

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 18, Friday, March 24, 2017/Chaitra 03, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 321 to 326	12-62
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 327 to 340	63-105
Unstarred Question Nos. 3681 to 3910	106-576

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	578-587
MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	588-589
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 18th Report	590
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 10th and 11th Reports	590
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 19th Report	590
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 30th Report	591
BUSINESS OF THE HOUSE	592-599
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i)Re: Need to persuade the international community to take action against Sri Lankan Government for alleged war crimes committed in 2009	600-603
(ii)Re: Issue of notice by the Supreme Court to the Centre and Election Commission pertaining to a petition on grant of pension to lawmakers	605-607
MENTAL HEALTHCARE BILL, 2016	642-677
Motion to Consider	642
Shri Jagat Prakash Nadda	642-647
Dr. Shashi Tharoor	648-668
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	669-677

PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED	678-706 747-748
(i) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Bhagalpur) Bill, 2016	
By Shri Shailesh Kumar	678
(ii) Overseas Workers (Management and Welfare) Bill, 2016	
By Shri Janardan Singh Sigrival	679
(iii) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Maharajganj) Bill, 2016	
By Shri Janardan Singh Sigrival	679
(iv) Abolition of Capital Punishment Bill, 2016	
By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	680
(v) Meritorious Students (Assistance in Higher Studies) Bill, 2016	
By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	680
(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Insertion of New Article 30A)	
By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	681
(vii) Indian Forest (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 26, etc.)	
By Shri A.P. Jithender Reddy	681
(viii) All-India Services (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 3A)	
By Shri A.P. Jithender Reddy	682
(ix) Bureau of Accountability Bill, 2017	
By Shri Naranbhai Kachhadia	682-683

(x) Child Nutrition and Development Nodal Agency Bill, 2017	By Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia	683-684
(xi) Farmers Welfare Fund Bill, 2016	By Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	684-685
(xii) Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2016	By Shrimati Rama Devi	685
(xiii) Tourism Promotion Authority Bill, 2016	By Shri Sunil Kumar Singh	686
(xiv) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 57, etc.)	By Shri Rabindra Kumar Jena	686-687
(xv) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 23, etc.)	By Shri Rabindra Kumar Jena	687
(xvi) Companies (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 135)	By Shri Rabindra Kumar Jena	688
(xvii) State of Arunachal Pradesh (Amendment) Bill , 2016 (Amendment of section 35)	By Shri Ninong Ering	688
(xviii) Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of article 15)	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	689
(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Insertion of new article 371-K)	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	689

(xx) Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of article 25)		
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	690
(xxi) Military Service (Regulation of Transfer of Personnel Appointed on Compassionate Grounds) Bill, 2016		
	By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	690-691
(xxii) Child Development Programmes Coordination Agency Bill, 2016		
	By Shri Gajanan Kirtikar	691
(xxiii) Slums and Jhuggi-Jhopri Areas (Basic Amenities and Clearance) Bill, 2016		
	By Shri Gajanan Kirtikar	692
(xxiv) National Authority for Rehabilitation and Welfare of Persons Living around Railway Tracks Bill, 2016		
	By Shri Gajanan Kirtikar	692-693
(xxv) Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2016 (Insertion of new sections 10A and 10B)		
	By Shri Gajanan Kirtikar	693
(xxvi) Solid Waste Management Bill, 2016		
	By Shri Rajesh Ranjan	694
(xxvii) Education Loan Bill, 2016		
	By Shri Rajesh Ranjan	694
(xxviii) Jute Growers and Workers (Welfare) Bill, 2016		
	By Shri Rajesh Ranjan	695

(xxix) Handloom Weavers (Protection and Welfare) Bill, 2016	
By Shri Rajesh Ranjan	696
(xxx) Compulsory Voting Bill, 2016	
By Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	696-697
(xxxi) Reservation of Posts in Services and Seats in Educational Institutions for Persons Living in Economically Backward Areas Bill, 2016	
By Shrimati Rama Devi	697
(xxxii) Provision of Uninterrupted Power Supply to Industries in Backward Areas Bill, 2016	
By Shrimati Rama Devi	698
(xxxiii) Clinical Trial of Drugs on Patients (Regulation) Bill, 2016	
By Shrimati Rama Devi	698-699
(xxxiv) Girl Child and Adolescent Girl (Welfare) Bill, 2016	
By Shri A.T. Nana Patil	699
(xxxv) Constitution (Amendment) Bill , 2016 (Amendment of article 16)	
By Shri Santokh Singh Chaudhary	700
(xxxvi) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill , 2017 (Amendment of the Schedule)	
By Shri Bidyut Baran Mahato	700
(xxxvii) Designation of States As Sponsor of Terrorism Bill, 2017	
By Shri Arvind Sawant	701

(xxxviii) Compulsory Teaching of North-East Culture in Educational Institution Bill, 2017	
By Shri Ninong Ering	702
(xxxix) National Skills University Bill, 2017	
By Dr. Kirit Somaiya	702-703
(xl) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new sections 6A to 6D)	
By Shri Sudheer Gupta	703-704
(xli) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.)	
By Dr. Dharam Vira Gandhi	704
(xlii) National Tribal Research and Development University Bill, 2017	
By Shri Ninong Ering	704-705
(xliii) Turmeric Board Bill, 2017	
By Shrimati Kavitha Kalvakuntla	705
(xliv) Compulsory Teaching of Sanskrit Language in Schools Bill, 2017	
By Shri A.T. Nana Patil	706
(xlv) Education Loan to Students Belonging to Economically Weaker Section Bill, 2017	
By Shri A.T. Nana Patil	706
(xlvi) Special Financial Assistance to the State of Punjab Bill, 2017	
By Shri Ravneet Singh	747
(xlvii) Special Financial Assistance to the State of Punjab (for the Welfare of Farmers) Bill, 2017	
By Shri Ravneet Singh	748

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015**

	707-746, 749-758
Shri Nishikant Dubey	707-731
Shri Pralhad Singh Patel	732-744
Shri Jitendra Chaudhury	745-746, 749-758

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	759
Member-wise Index to Unstarred Questions	760-765

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	766
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	767

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 24, 2017/Chaitra 03, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, I want to make a submission... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not now. I am sorry. Nothing now.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: The atrocities perpetrated by the Sri Lankan Government ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing now. You know it better. After the Question Hour, I will see whatever is there. I do not know what you want to say. You have not given anything in writing.

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 321.

Shri Pratap Simha --- Not Present

Kumari Shobha Karandlaje --- Not present.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister.

(Q. 321)

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Hon. Speaker, thank you very much for allowing me to raise this supplementary question since the persons in whose names the original Question had been listed are not present.

HON. SPEAKER: That is why you got the first chance. It is better to thank them. Both the persons have not come. So, you got the first chance.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Can I go through this Question also?

HON. SPEAKER: No. You put your supplementary.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: My question to the hon. Minister through you is this. I would like to know whether the Government is thinking of introducing very low dose pills which are not presently in the Government set up or supply chain. Those pills have got much less side-effects and success rate is more than Depo-Provera, which, as has been questioned by the hon. Member, has been introduced recently. It is being used for a very long time but in the Government set up it has newly been introduced. It is successful but it has got many fallacies and side-effects regarding bleeding and all. The very low dose of it is very successful and is as effective as the medium dose ones, and at the same time it is much less harmful and has less side-effect.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Madam Speaker, first of all I would like to thank the hon. Member for asking this question. As far as contraception is concerned, we have two kinds of methods – the limiting methods which consist of the male and female sterilization; and second is the spacing method which incorporates the oral contraceptive pills, the emergency as well as the injectable contraceptives. The hon. Member has specifically asked about the introduction of contraceptive pills which is already in place, people are using it.

Injectable contraceptive has been formally launched under the Antara Programme in 2015. We have decided upon a plan to roll it out in a phased manner. हम मेडिकल कॉलेजेज और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से इसकी शुरुआत करेंगे। We are not going to straightaway take it to the field level, to the PHCs and the Sub-Centres.

In the first phase, we will start with the Medical Colleges and the District Hospitals. In the second phase, we are going to take it to the CHCs, and in the third phase, we are going to take it to the PHCs and the Sub-Centres level.

In so far as the side effects are concerned, there are two side effects basically which are mostly talked about. Firstly, she said about amenorrhea and the second is the loss of bone mineral density. On the other hand, amenorrhea also causes an improvement in the anemic status of women. That is also seen as one of the non-contraceptive benefits of the injectable contraceptive.

The second is the bone mineral density loss. I want to inform the hon. Member that bone mineral density loss takes place about five to six per cent in five years and this is a temporary loss. It is completely reversible. It means that once you discontinue the injectable contraceptive, within four to six months, the bone mineral density is recovered. It is a temporary loss. So, it is not a big botheration.

Regarding Progestogen Only Pills (POPs) which you asked about, in small dose they can be used in the first six months after pregnancy and the mini pills are not very effective because the dose is very low.

I am sure that I have satisfied the hon. Member. ... (*Interruptions*)
DR. MAMTAZ SANGHAMITA: It was a very low dose combined with oral progestin estrogen pills. It is not only about the progestin pills alone.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 322। श्री रामा किशोर सिंह

(Q. 322)

श्री रामा किशोर सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि आज किसी भी पी.एस.यू.एस. विशेषकर ई.सी.एल., सी.सी.एल और बी.सी.सी.एल. आदि में आयुष पद्धति के माध्यम से मरीजों की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका जवाब इन्होंने दिया है।

महोदया, आज पूरे देश में डॉक्टरों का घोर अभाव है। आज हमारे यहाँ नौ लाख से अधिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, परंतु उनमें से मात्र 6-6.50 लाख डॉक्टर ही कार्यरत हैं। विशेष रूप जिन डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होती है, उनमें से ज्यादातर डाक्टर शहरों में चले आते हैं। वे देहाती क्षेत्रों में रहना नहीं चाहते हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर का घोर अभाव रहता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे राज्य बिहार में कई जिले ऐसे हैं, जहाँ डॉक्टरों का इतना अभाव है कि वहाँ मरीजों की जान चली जाती है। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से इलाज को बढ़ावा देने के लिए काफी कारगर कदम उठा रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : पिछड़े ही क्यों, अगड़े क्षेत्रों में भी आयुष का प्रभाव होना चाहिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, आयुष मंत्रालय को-लोकेशन के जरिए राज्यों तक पहुँचकर उन्हें सपोर्ट करता है। यह बात सभी जानते हैं कि हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। चाहे वह एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, केंद्र सरकार उसे आर्थिक दृष्टि से सपोर्ट करती है। केंद्र सरकार उसे अपने विभिन्न प्रोग्राम्स के जरिए सपोर्ट करती है। कोल कॉरपोरेशन या अन्य कॉरपोरेशंस अपनी विभागीय व्यवस्था द्वारा अपने वर्कर्स का ट्रीटमेन्ट करती हैं।

महोदया, यदि राज्य सरकारें हमें प्रोजेक्ट भेजे कि वे अपने को-लोकेशन की स्कीम्स के अंतर्गत प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स बनवाकर उन्हें सपोर्ट दे सकती हैं और कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स बनवाकर उन्हें सपोर्ट दे सकती हैं, तो हम उनके प्रोजेक्ट्स को मंजूर कर के उन्हें निश्चित तौर पर अपने संसाधनों द्वारा मदद और बाकी सुविधाएँ दे सकते हैं।

श्री रामा किशोर सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है। लेकिन सीजीएचएस की व्यवस्था देखने का काम केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके

माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सीजीएचएस केन्द्र का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष को बढ़ावा देने की दिशा में क्या मंत्री जी कोई कारगर कदम उठाएंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि राज्य सरकार से जब कोई प्रपोज़ल आता है तो हम उन्हें अपनी स्कीम के तहत मेडिसिन के अलावा अस्पताल के एक्सपेंशन के लिए फण्ड भी देते हैं। हम आयुष मिशन के तहत हर जिले में एक आयुष अस्पताल खोलने के लिए साढ़े दस करोड़ रुपये हर डिस्ट्रिक्ट को देते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से हमारे पास प्रपोज़ल आएगा, तभी हम यह सब कर सकते हैं।

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के साथ हमने दो महीने पहले मुम्बई में विज़िट की थी। मुम्बई में पोद्दार अस्पताल में आयुष का मुख्यालय है। वह बंद हो रहा है, स्पेस खत्म हो रही है। उन्होंने उसके लिए एक अल्टरनेटिव जगह भांडुप, मुम्बई में देखी है, जहां इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर बनाने का प्लान है। उस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है, उसका क्या स्टेटस है, कब तक काम शुरू हो जाएगा, उस बारे में मंत्री जी क्या कोई जानकारी सदन को देंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, हमारे पास श्री किरीट सोमैया जी से और बाकी लोगों से एक प्रपोज़ल आया था। आज काफी लोग कैंसर से पीड़ित हैं। मुम्बई में टाटा कैंसर अस्पताल के माध्यम से लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी हमने सोचा है कि आयुर्वेद में कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च पर हमारी एक संस्था होनी चाहिए। हम टाटा कैंसर अस्पताल के साथ मिलकर आयुष के माध्यम से लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी केन्द्र सरकार से हमें जमीन प्राप्त नहीं हुई है। मैंने भी दो-चार बार विज़िट किया है। हमारा प्रपोज़ल तैयार है, हमने डीपीआर भी तैयार कर लिया है। जब हमें यूडी मिनिस्ट्री से जमीन मिलेगी, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे।

SHRIMATI V. SATHYABAMA: Madam Speaker, thank you. Many CGHS dispensaries across the country are appointing doctors on contract basis, including doctors in ayurvedic segment. The hon. Minister, in reply to a Question in 2015 had accepted this fact.

So, my question is this: What action has been taken by the Government to fill up the sanctioned posts of doctors, including the ayurvedic ones, in CGHS and other Government-run hospitals of the Union Government thereafter? Thank you Madam.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : हमारी सीजीएचएस संस्था अच्छा काम कर रही है। यह हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है। राज्य सरकार अथवा सीजीएचएस हम से कोई सपोर्ट मांगते हैं, तो हम उनको वह सपोर्ट देते हैं। इनके लिए आयुर्वेद औषधियों की खरीद भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ही की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके जरिए ही होता है।

DR. A. SAMPATH: Madam Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity even though I am not a doctor by medical profession.

This is a very important Question in which our hon. Member has raised some issues. The Question is: “Whether there are reports of patients not getting medical treatment through AYUSH system due to shortage of doctors in most of the dispensaries.” The answer is very curious. With all respect to the hon. Minister, I would like to quote the replies given at paragraph (b) and (c). It says: “The Government does not propose to establish ayurvedic dispensaries in various Departments of Government organisations and PSUs.”

Here in line no. 6, it is stated:

“However, the Central Government implements National AYUSH Mission (NAM) which envisage better access to AYUSH services through upgradation of AYUSH Hospitals.”

Actually there is a deficiency of AYUSH Hospitals in our country. There is not only deficiency of doctors, but there is also deficiency of infrastructure. This is very much evident here from the figures given in Annexure II. The total Grant-in-Aid released and utilized during 2016-17 is Rs. 37,619.528 lakh. Of this, my State of Kerala has received only a meagre amount of 2.5 per cent of this total amount. It is Rs. 891.204 lakh.

There are a quite a lot of CGHS beneficiaries in our country. Their plight is very sad and they are actually representing through all MPs for improvement of AYUSH services. Our hon. Members of Parliament from this side also have raised this issue. They get neither get Ayurveda treatment nor Siddha treatment and they do not get even Homeopathic treatment because there are lakhs and lakhs of CGHS beneficiaries. In the State of Kerala, a CGHS beneficiary from Kasargod

district, which is the northern most district of Kerala, has to travel all the way to Thiruvananthapuram. Kasargod is near Mangalore and it is the northern part of Kerala. The CGHS beneficiaries from Kasargod have to come to my district. They have to travel more than 800 kms. which takes one day and one night. My district is very near to Kanyakumari in Tamil Nadu.

HON. SPEAKER: Okay. What is your question? Please ask your question.

DR. A. SAMPATH: Madam, my humble question is this. I would like to know whether the beloved Minister – he is one of my best friends – will be kind enough to establish more Ayurvedic and Siddha Hospitals. Ayurveda and Siddha are different from each other. Ayurveda is not equivalent to Siddha. Siddha is something different from Ayurveda. But we are clubbing altogether. Actually Siddha is not getting any help from the Government of India. Ayurveda is getting some help and they get help from the State Government. So, I would like to know whether the Government of India will take initiative for establishment of more Ayurvedic Hospitals and Siddha Hospitals.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे। उनका अर्थ इतना ही है कि पेशेंट के लिए अच्छी तरह से दवा मिलनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि आयुष मंत्रालय, सी.जी.एच.एस. के बारे में जो कुछ बोला है,

माननीय अध्यक्ष : डिस्पेंसरीज भी ज्यादा होनी चाहिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : जो आपकी डिमांड है कि उसको लम्बा डिस्टेंस पड़ता है। इसके लिए आप माननीय हैल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें। मैं भी बताऊंगा कि इतना लम्बा डिस्टेंस है, वे कासरगोड में एक और सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी की स्थापना करें ताकि इसमें जो मेडिसिन जाता है। मेडिसिन के बारे में सब कुछ हैल्थ मिनिस्ट्री देखती है। इसके लिए आयुष मेडिसिन का जो प्रपोजल आता है, उस प्रपोजल के हिसाब से हम जिस मिनिस्ट्री को जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा देते हैं, वही परचेज करके सबको बांटती है। को-लोकेशन के अंदर जहां-जहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हैल्थ सेंटर है, वहां कुछ डॉक्टर्स की जरूरत है। राज्य सरकारों को जहां-जहां जरूरत होती है, उसके हिसाब से हिसाब से हम उनको वित्तीय सहायता भेजते हैं और उसके साथ मेडिसिन भी भेजते हैं।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity. My question is very much specific. The hon. Minister is in-charge of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. If there is any health problem, we have to make an appeal to him.

Grant-in-Aid is given by this Department of the Government on the basis of proposals. What is the share of the Central Government and State Government in this? I would like to know whether it is 50:50 per cent or 60:40 per cent because all Members of this House are very much interested in Yoga and other things. Now Yoga is recognised by all countries of the world. So, what is the percentage share of the Central Government and State Government in Grant-in-Aid? This is one.

Secondly, here, the hon. Minister has illustrated that Mahanadi Coalfields is having one dispensary. For his kind information, Mahanadi Coalfields consists of two regions. One is in Sumbhalpur of my Constituency and the other is Dhenkanal. So, whether another dispensary would be set up there. Even though, he is not going to sanction the money but he is the monitoring agency. That is what we feel. So, what steps would be taken in this regard?

Another very important point is this...

HON. SPEAKER: No, it is okay.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: Madam, just one minute.

Neyveli Lignite Corporation is one of the Navratna Companies. They have been sanctioned a coalfield in my area where 20,000 people would be working. Their work, at present, is in Tamil Nadu and they have not started any work in my Constituency.

So, I would like to know whether it is to be mooted by the hon. Minister to materialize the whole programme. Thank you.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, जो हमारी सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम है, उसमें सेंटर का राज्यों के लिए आयुष का शेयर 60 परसेन्ट होता है और राज्यों का शेयर 40 परसेन्ट होता है। परंतु जो नॉर्थ-ईस्ट के राज्य

हैं और जो यूनियन टैरिटरिज हैं, उनके लिए उसमें 90:10 का प्रपोर्शन है। सामान्यतः जहां असैम्बली नहीं है, वहां भी 90:10 का शेयर रहता है। मैं समझता हूं कि यही माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिहार के संदर्भ में जानना चाहता हूं। बिहार में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कितने नये केन्द्र खोले जा रहे हैं। क्या सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र बांका, मुंगेर, जमुई के बरहट में एक बड़ा अस्पताल खोलने का विचार रखती है। यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, हम चाहते हैं कि बिहार की जितनी मदद हम कर सकते हैं, वह करें लेकिन दुख के साथ मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय से हमारी ग्रांट मिलती है, यह ग्रांट हम देते हैं, लेकिन जब तक वहां राज्य की आयुष की सोसाइटी नहीं बनेगी, तब तक मुश्किल पैदा होती रहेगी। क्योंकि केन्द्र का पैसा उसी सोसाइटी में ट्रांसफर होता है। बिहार सरकार ने अब तक वह सोसाइटी नहीं बनाई है, इस वजह से इस साल का ग्रांट उसे नहीं मिला है। जब ग्रांट ही नहीं मिलेगा तो विकास कैसे करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बिहार में कुछ काम हो तो राज्य सरकार से वह प्रपोजल आना चाहिए। जब वह 40 परसेन्ट शेयर का प्रोविजन करेंगे, तब वह प्रपोजल बन जायेगा।

मैं आपसे विनती करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान देकर वहां सोसाइटी बनाने का प्रावधान पूरा करें। हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए तैयार हैं।

(Q. 323)

SHRI NINONG ERING: Madam Speaker, in the reply of the hon. Minister, figures of child abuse, child labour have been given. I do not know, how they have prepared these statistics.

If you see the statistics 'Save the Children' – I just got it from the website – it is mentioned in the National Crime Record Bureau that in 2005 itself, there were 8,800 cases of child abuse whereas in the reply of the hon. Minister, the figure of child abuse is just shown as 397. So, I do not know how they have prepared this statistics.

Similarly, Madam, in 2014, cases of child abuse registered were 890. But in the year, 2015 there was a huge leap of 81 per cent of child abuse cases involving sexual offences and kidnapping. It is mentioned there in the record of the POSCO that 14,913 such child abuses cases were registered in 2015.

Madam, in your own State, Uttar Pradesh 3,078 cases of child abuse were registered. Similarly, in Madhya Pradesh 1,687 cases of child abuse were registered; in Tamil Nadu, 1,544 cases of child abuse were registered; in Karnataka, 1,480 such cases were registered and in Gujarat also, a huge number of 1,416 cases of child abuse were registered.

You have said that you have posted Nodal Officers and you are also using these officers under the POSCO Act. Therefore, I would like to know as to how we are going to stop this child abuse. How are we going to stop child trafficking? The girls from Assam and other parts of North East are being sent even abroad and to other places of the country like Haryana, Rajasthan and Gujarat. It is because of this sex ratio, girls from the North-East are being sent to different parts of the country.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to how we are going to stop all these.

श्रीमती कृष्णा राज : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर बात पर अपनी चिंता जाहिर की है। बाल संरक्षण करना और उनका जो लगातार दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने जो चिंता व्यक्त की

है, वह वास्तव में गंभीर है। लेकिन एनसीपीसीआर के आंकड़ें हमने प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो केंद्र द्वारा जो आंकड़ें आए हैं, मैं समझती हूँ कि वह मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन हमारा मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारे बच्चों का बचपन संरक्षित किया जाए। इसके लिए हमारे मंत्रालय ने कई कठोर कदम उठाए हैं। वर्तमान में हमारा बाल संरक्षण आयोग है, उसकी विगत तीन वर्षों की सूचना आपने मांगी है, मैंने अब तक, फरवरी, सन् 2017 तक के आंकड़े आपको उपलब्ध कराए हैं। इसमें कहीं न कहीं सन् 2015-16 में कमी आई है। सन् 2016-17 में इसमें कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन जो आंकड़े बाल संरक्षण आयोग द्वारा आए हैं, वे हमने प्रस्तुत किए हैं। संबंधित मुद्दों पर अब तक की जो शिकायतें आई हैं, बाल संरक्षण आयोग को उसमें 4202 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें यौन दुरुपयोग, बाल श्रम एवं की शिकायतें थीं। इनको दूर करने के लिए सभी राज्यों में कुल मिला कर 620 केंद्र बनाए गए हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि लगातार जो इन बच्चों का शोषण हो रहा है, वास्तव में ये मानसिक शिकार होते हैं, समाज के अराजक तत्व इनका शोषण करते हैं। यह निश्चित तौर पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग व्यापक तौर पर इसको रोकने के लिए प्रचार-प्रसार करें। हम उन आंकड़ों को तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हमारे निकट संबंधी और जो हमारे आस-पास के लोग हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से स्कूलों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिससे हमारे पेरेंट्स एवं शिक्षक आदि सभी जागरूक हों और हमारे बच्चों के बचपन को बचा सकें। दूसरा, हमारा यह प्रयास है कि जो हमारा जे.जे. एक्ट बना हुआ है, उसमें ऐसे 620 मामले ऐसे हैं, जिन पर इस तरह के अपराधों की सुनवाई होती है। दूसरा, हमारा आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा भी हमारा प्रयास है कि दूर-दराज गांवों में जागरूकता फैलाई जाए। बच्चों की ट्रैफिकिंग भी होती है, शारीरिक शोषण भी होता है और जागरूकता न होने के कारण यह सब होता है। जमीनी स्तर पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का और हमारे मंत्रालय का यह प्रयास है कि इन तमाम माताओं-बहनों द्वारा गांवों के लोगों में यह जाग्रति पैदा करें कि आपके परिवार में एवं आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग आपके बच्चों का शोषण कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि हम सभी लोग भी इस बात पर चिंता व्यक्त करें और अपने बच्चों के बचपन को बचाने का प्रयास करें।

श्री निनांग इरिंग: मैडम, कृष्णा जी नई मंत्री हैं, इसलिए आंकड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी।

लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था है वासे (डब्ल्यू.ए.एस.ई.) - वूमन अगेंस्ट सोशल इविल नाम से, जो वहां पर काम कर रही है। यह संस्था चाइल्ड एब्यूज, ड्रग टैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन और एल्कोहल के खिलाफ काम करती है। हमारी मानसिकता ऐसी

संस्थाओं को बढ़ावा देने की है, जैसा मंत्री महोदया ने कहा है। शायद सभी माननीय सदस्य हमारी इस बात का समर्थन करेंगे और बहुत सारे प्रश्न बहुत से माननीय सदस्य पूछेंगे। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हम इन संस्थाओं को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार से इनको सपोर्ट करें, उनको कोई इन्सेन्टिव आदि दे सकें। क्या ऐसा कोई प्रावधान मंत्रालय की तरफ से है या नहीं है? धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने आपको पहले ही प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिस तरह भी हमारी यह जागरूकता हो, जन-जन की जागरूकता हो, उस पर हमें बल देना चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहूँगी। चाइल्ड हेल्प लाइन के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाएँ जागरूकता फैलती हैं, यह सच बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं और जहाँ तक हमारी निगाह जाये, हम लोगों को जागरूक करें। इस जागरूकता के कारण ही हम इस बढ़ते हुए आँकड़े पर नियंत्रण पा सकेंगे।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: I have one isolated event. There are criminals and they have their chain all over the country. They procure child by paying some money to the parents and they sell it throughout the country. It is more so in different parts of the country in the rural areas, in the riverine areas and in the tea gardens also. So, the major fault is with the nodal officers, according to the reply of the Minister. But the point is that if there is no proper monitoring, we cannot find out what is what and what is not. Mere awareness is nothing. The time is already out. Although the Minister has given here the figure as 4,202, I feel it is more than that. It is because all the data is not coming properly. If you find at random, you will find it is more than thousands. So, my question is this. Does the Minister try to get into the root of the criminals? They have a chain. How are they moving around the country collecting girl child, collecting male child and small child? Do they have got a proper means or not to get into all these things?

My second question is this. Does the hon. Minister try to collect this information? The MPs cannot do it. The MPs can give some sporadic information but not all. My question is: can the hon. Minister get the proper information through Panchayat and up to the district level? Then only, you can collect proper information. That is my question.

श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, माननीया सांसद जी बहुत सीनियर हैं और इनका अनुभव भी बहुत ज्यादा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि हमारे मंत्रालय के द्वारा एन.सी.पी.सी.आर. के साथ ही पॉक्सो एक्ट और जे.जे.एक्ट की निगरानी करने के लिए जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में एक उच्च स्तर का अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो लगातार आँकड़ों पर ध्यान दे रहा है और इस बात पर दवाब बनाये हुए है, ताकि कहीं न कहीं जो ऐसे लोग बैठे हैं, उन पर निगरानी की जा सके। जो आँकड़ों की बात कही गई है, मैंने पहले ही बताया कि हमारे राज्य अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं और केन्द्र सरकार अपने ढंग से कार्य कर रही हैं, लेकिन नोडल अधिकारी हमें सारे आँकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी इसका गठन हुए एक साल का समय भी नहीं हुआ है और अभी तो इसका कार्य प्रारम्भ ही हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले एक साल में इसके सुखद परिणाम आयेंगे और जो आपकी मंशा है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(Q. 324)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत विस्तारपूर्वक जवाब दिया है। मैं मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि वे इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि न्यूयार्क की एक संस्था सहित देश-विदेश की तमाम शोध संस्थाओं ने आयुर्वेद से सम्बन्धित लगभग 20 से भी अधिक ऐसे उत्पादों पर नितान्त गुणवत्ता के अभाव में प्रतिबन्ध लगाया है। ऐसी स्थिति में, जबकि सारे विश्व में हर्बल की मेडिसिन्स का चार लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का मार्केट है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह है कि वे कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं?

ऐसी स्थिति में आयुष औषधियों, उत्पादनों के लिए जो अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा है, उसको देखते हुए उसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी है? उसके वितरण के लिए एलोपैथ की तरह जो फार्मैसी डिप्लोमा को लाइसेंस दिया जाता है, क्या उसको भी लाइसेंस देने का कोई प्रावधान है? प्रधान मंत्री जी का जो 'मेक-इन-इंडिया' है, क्या उससे जोड़ कर इसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में लाने की कोई विशेष कार्य योजना बनाई गयी है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद का जो प्रश्न है कि न्यूयार्क में करीब 69 मेडिसिन्स को बैन किया हुआ है, इसका विवरण मैं उन्हें अलग से दे दूंगा।

फार्मैसी डिप्लोमा के बारे में उन्होंने जो पूछा है, उसके बारे में हम अभी एक नया कानून लाने जा रहे हैं और उसका निराकरण हम निश्चित रूप से करेंगे। जिन औषधियों पर बैन लगा हुआ है, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। भस्म और 'रसशास्त्र' में जो औषधियाँ आती हैं, उनके लिए यह है कि हमारे ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद में उसका टेस्ट करके उन्हें डाला हुआ था, लेकिन वे लोग इसे नहीं मानते हैं। इसलिए उसके बारे में साइंटिफिकली रिसर्च करके उन्हें बताने के बाद ही वे लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम इन औषधियों को साइंटिफिकली रूप से क्लियर करने के बाद उन्हें एक्सेप्ट कराने में कामयाब होंगे।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह गांवों का देश है और 80 प्रतिशत से भी अधिक जनता आज आयुर्वेदिक उत्पादों और उनकी औषधि का प्रयोग करती है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसा सर्वे किया है कि इस देश में आयुर्वेदिक दवाइयों की कुल खपत कितनी है और उस पर आधारित जड़ी-बूटियों का उत्पादन कितना है, क्योंकि जड़ी-बूटियों के उत्पादन का अभाव और आयुर्वेदिक दवाइयों की खपत का बढ़ाव लगातार उसकी गुणवत्ता

पर सवाल खड़ा कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि जड़ी-बूटियों की खेती की दिशा में इस कच्चे माल को, जैसे हिमालय का जो क्षेत्र है, उसमें संजीवनी बूटियों के होने की असीम संभावना है, तो क्या सरकार ने इन जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उसका संरक्षण, संवर्द्धन, प्रसंस्करण और शोध के लिए कोई विशेष कार्य-योजना बनाई है? अगर बनाई है तो वह क्या है और अगर नहीं बनाई है तो ऐसा क्यों है, और वे इसे कब तक बनाएंगे?

माननीय अध्यक्ष : यह आवश्यक है, मगर यह कठिन काम है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने आयुर्वेदा की मेडिसिन के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो हमारे जो ड्रग मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसका उद्देश्य है कि अच्छा और सही ड्रग लोगों तक पहुंचे, ऐसे हमारे 8,667 यूनिट्स हैं। इसमें से आयुर्वेदा के 7,439, सिद्धा के 235, यूनानी के 585 और होम्योपैथी के 408 यूनिट्स हैं। हमारी कोशिश है कि जैसी डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ के अंदर औषधियां बनाती हैं, अगर उनके मेडिसिन्स की भी जरूरत पड़े तो हम उन्हें लेते हैं।

माननीय सांसद ने कच्चे माल के बारे में जो प्रश्न पूछा, कच्चे माल के लिए जो प्रयास करने हैं, वे निश्चित तौर पर करने हैं। आज कई जड़ी-बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इसके लिए हमारा 'नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड' है, जो अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके प्लांटेशन के लिए हम 90 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं, इसके लिए प्राइज़ देते हैं। वह हम एन.जी.ओज़. को भी देते हैं। 'नेशनल आयुष मिशन (एन.ए.एम.)' के ज़रिए हम राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह की जो औषधियां हैं, उनका सही तरह से लाभ हो और आयुर्वेदा की जो डिमांड बढ़ रही है, उसकी पूर्ति करने में हम सक्सेसफुल हों।

PROF. K.V. THOMAS: Under CGHS, the Members of Parliament and government employees are allowed to have Indian medicine, especially ayurveda and yoga, in approved private medical institutions. We have seen two defects. If you look at the approved institutions, many of them are substandard which I have seen in Kerala.

Secondly, the charges approved by CGHS for treatment as well as medicine are so low that it is difficult to get better medicines. I would like to know from the hon. Minister whether he will look into this matter so that when they approve the

institutions, they should be of some standard and the charges for treatment and medicine should also be at a reasonable level.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्षा जी, हमारे सांसद जी ने मेडिसिन के बारे में कहा है। हमारा प्रयास है कि लोगों को सही तरीके से अच्छी मेडिसिन मिले। हम लोग अच्छी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि मैंने गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में कहा है, हम लोग अच्छा मेडिसिन प्रोवाइड करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं।

माननीय सांसद जी ने सी.जी.एच.एस. की बात की है, इसके पूरे कारोबार के बारे में मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि इसको हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही है। हम लोग जो दवा बनाते हैं, उसको सी.जी.एच.एस. की डिमांड पर सप्लाई करते हैं और अच्छी दवा सप्लाई करते हैं।

डॉ. बंशीलाल महतो: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में दो प्रकार की मेडिसिन होती हैं, एक काष्ठ औषधि और दूसरी रस औषधि। काष्ठ औषधि जड़ी-बूटियों से बनती है और रस औषधि धातुओं से बनती है। रसायन शास्त्र के जो औषधि केंद्र हैं, क्या उनमें इसकी अलग-अलग परिभाषा है?

दूसरे, रसायन शास्त्र के आधार पर जो रस औषधि है, उसका शोधन, मारन, भस्मिकरण होता है। जिस प्रकार से पतंजलि या शास्त्रों में इसका उल्लेख है, क्या वास्तव में उस प्रकार से आज काम हो रहा है? इनके पास ऐसे कितनी रसशाला हैं, जिनमें रस औषधि का निर्माण होता है और वहां पर धातुओं को उपलब्ध कराया जाता है?

मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनेक प्रदेशों में स्मार्ट कार्ड है और यह केवल एलोपैथी डॉक्टरों के लिए एलाऊ है, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए स्मार्ट कार्ड उपयोगी है और यदि है तो वह किस प्रकार से है? इस संबंध में मंत्री महोदय विस्तार से बताएं। जिस प्रकार इन्होंने 50 करोड़ रुपये का अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट में देने के लिए कहा है, क्या कोरबा जिले में इस प्रकार के अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपये दिया गया है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : मैं आखिरी प्रश्न का पहले जवाब देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्य सरकार आयुष स्कीम के तहत अस्पताल के लिए प्रस्ताव करती है, उस प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा देते हैं। जो राज्य सरकार इसके लिए पैसा मांगेगी, उसी के लिए हम पैसा देंगे, इसके सिवा हम कैसे देंगे।

इन्होंने दूसरा मुद्दा रस औषधि के बारे में कहा है। इसके लिए हमारा एक फार्मा कूपिया है, जो कंपल्सरी है। भस्म से रस औषधि बनती है, उसके लिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 है, यह सबके

लिए कंपल्सरी है। जो कंपनी दवा बनाती है, वह दवा को डिटॉक्सिफाई करके ही लोगों तक पहुंचाती है, इसके बिना दवा लोगों तक नहीं जाती है। इसके लिए स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। हमारा जो चेक करने का सिस्टम है, वह बेहतर है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सांसद ने प्रश्न पूछा है, वह खुद ही एक डॉक्टर हैं और उनको इस बारे में पता भी है। हमारा यह प्रयास है कि अच्छी दवा बने और अच्छी दवा ही लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचे ।

(Q. 325)

श्री हरि ओम पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की शल्य क्रिया करने में साधारणतयः लगने वाले समय और वास्तव में लगने वाले समय का ब्यौरा क्या है? इसके लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है? क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया अस्पताल सहित केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में काफी संख्या में शल्य क्रिया की जानी है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य संघ क्षेत्रवार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार का समाज के निर्धन और सीमांत वर्ग में आने वाले रोगियों की शल्य क्रिया हेतु वित्तीय सहायता करने का विचार है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय अध्यक्ष : ये प्रश्न आपने पूछे हुए हैं। उनका उत्तर सभा पटल पर रखा है।

श्री फगन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह मूल प्रश्न है, जिसका उत्तर हमने सदन में रखा है। इसके साथ में अगर कोई दूसरा प्रश्न वे पूछना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री हरि ओम पाण्डेय: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में प्रस्तावित एम्स एवं संचालन को शीघ्र आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में क्या कुछ प्रावधान किये गये हैं?

मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। वहां एक रमा बाई मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 23 आचार्य, 13 सह-आचार्य और 16 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। वहां कुल 23 विभाग हैं, लेकिन प्रवक्ताओं का स्थान रिक्त है, क्या इसको भरा जाएगा?

श्री फगन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने विशेषकर यूपी के बारे में पूछा है। वैसे हमने निरन्तर प्रयास किया है और माननीय सदस्य को जानकारी के लिए अभी तक देश में एम्स की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पूर्व में हमारे पास मात्र एक एम्स हुआ करता था। हमने 6 एम्स प्रारम्भ किये हैं और 6 एम्स ने पूरे देश भर में काम करना प्रारम्भ किया है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दो एम्स, पहले फेज के अंदर एक प्रारम्भ हुआ था, जिसका अभी ओपीडी प्रारम्भ नहीं हुआ है और दूसरा हमने अभी गोरखपुर में प्रारम्भ किया है। हम उत्तर प्रदेश के बारे में निश्चित रूप से चिंता जाहिर कर रहे हैं और निरंतर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है।

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, मैं यहीं से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप तो हमेशा ही वहीं से बोलते हैं।

श्री शरद त्रिपाठी : माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं विशेष रूप से माननीय कैबिनेट मंत्री नड्डा जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय राज्य मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अभी जल्द ही गोरखपुर दौरा किया और जिस संबंध में इन्होंने उत्तर दिया है, बहुत जल्द गोरखपुर में भी एम्स की स्थापना का ये निर्णय ले चुके हैं और कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ओपीडी के संबंध में जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जो विस्तार से उत्तर दिए हैं, उसी के अंतर्गत कहना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, अब तक हमारी सरकार के पहले पांच एम्स हुआ करते थे और हमारी सरकार को अभी तीन वर्ष पूरे नहीं हुए और हमारी सरकार ने 6 एम्स की स्थापना करके एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया है।

एनएचएम का पैसा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पैसा, पिछली बार यह प्रश्न पूछा था, तो 1,227 करोड़ रुपये विशेषकर केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में पड़े हुए थे, जो निष्प्रयोजित था, जिसको वहां की सरकार उस समय खर्च नहीं कर पाई। माननीय मंत्री की एक पीएसयू एचएलएल है, हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड करके कोई पीएसयू है, हमारे संज्ञान में आया है कि उसने प्रस्ताव बहुत पहले बनाकर दिया था।

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी प्रश्न पूछिए। इतना लंबा-चौड़ा नहीं बोलते हैं।

श्री शरद त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, एम्स जैसे संस्थानों पर जन-दबाव बढ़ता है, रोज हम लोग पत्र लिखते हैं। एक बार मरीज जांच करवाने के लिए आता है, उसके बाद उसको सर्जरी का समय दिया जाता है। उसका हर तरह से उत्पीड़न होता है। इसमें चार-चार साल तक लग जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आपके ही एक पीएसयू ने बनाकर रखा था कि जो हमारे सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, उनमें जितनी भी जांच की प्रक्रियायें हैं, क्या जल्द से जल्द वहीं पर उसकी स्थापना करेंगे? अगर संभव हो, तो एनएचएम से उसके पैसे को दे सकते हैं और इसे कब तक करेंगे?

श्री फगन सिंह कुलस्ते: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अस्पतालों के विस्तार के बारे में पूछा है, वह काम हम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने पीएसयूज के बारे में कहा है। यह हमारे यहां कंसल्टेंट का काम करता है। उसका डिज़ाइन करना है। इस प्रोजेक्ट को स्थानीय चयन की एक्सपर्ट कमेटी देखती है, उसके बाद फाइनल ऐप्रूवल होता है। यह कैबिनेट तक जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा विलंब होता है। जहां तक संख्या का सवाल है, इस बारे में अनेक तरह की

व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। अस्पतालों पर काफी दबाव है। हम इसकी संख्या को निरंतर बढ़ा रहे हैं। एम्स जैसे संस्थान में अभी तक बैड्स की संख्या में 140 प्रतिशत वृद्धि हुई है, सफदरजंग में लगभग 85 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आरएमएल में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है, एलएचएमसी में 46 प्रतिशत, पांडुचेरी के अस्पताल में 15 प्रतिशत, पीजीआई, चंडीगढ़ में 13 प्रतिशत है। बैडों की संख्या बढ़ने से हम भविष्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएं, हमारा यह प्रयास है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे गंभीर सवाल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां मंत्री जी नड्डा साहब बैठे हुए हैं। मैंने इस प्रश्न को कई बार रखा है। जब लोग बिहार के एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें दिल्ली के एम्स में रैफर कर दिया जाता है क्योंकि वहां न न्युरो का डाक्टर है, न स्पाइनल का डाक्टर है यानी उन डाक्टरों की काफी कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उसे दिल्ली के एम्स की तर्ज पर कब तक चालू करेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): अध्यक्ष महोदया, जहां तक पटना के एम्स का सवाल है, पिछले साल भी उसकी फैकल्टीज़ के इंटरव्यू हुए थे। उसकी प्रोसिजरल प्रॉब्लम्स होने के कारण फैकल्टी के इंटरव्यू को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। हम सितम्बर-अक्टूबर के महीने में सारे प्रोसैस को पूरा करेंगे और दिसम्बर तक सारी फैकल्टीज़ आ जाएंगी।

SHRI THANGSO BAITE: Madam, my question may not be directly related.

HON. SPEAKER: No, It should be related.

SHRI THANGSO BAITE: The Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur, has been functioning for the last many months without a regular Director. Due to that, the functioning of the hospital as well as the Institute is drastically affected, and there are always strikes by doctors, nurses and other staff.

HON. SPEAKER: Yes, I understand.

SHRI THANGSO BAITE : Now, the hospital is almost non-functional.

HON. SPEAKER: So, you want a regular Director. That is the thing.

SHRI THANGSO BAITE: When will the regular Director be appointed? What is the problem in appointing a regular Director? That is my question.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The issue of Director got delayed because of the court issue. The case was pending in the court. Now, it is at the final stage, and we will be appointing the Director very soon. Interview has been conducted.

श्री धर्म वीर गांधी: अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रिमियम इंस्टीट्यूशन्स जैसे एम्स, पीजीआई, संजय गांधी, पीजीआई में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो रश है, उसका कारण है कि हमारे राज्यों में सैकंडरी केयर के लिए न मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही प्रॉपर्टी ट्रेड स्टाफ है। मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पहली बार इतनी गंभीरता से ट्रेड डाक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स की सीटें बढ़ाई हैं, खास तौर से अति आवश्यक जैसे ऐनैस्थिजिया, साइकैट्री है। वहां का रेशियो 3:1 कर दिया गया है, टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स का रेशियो बढ़ा दिया गया है। उससे आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे।

मैं एक और विनती करना चाहता हूँ कि हमारे यहां का बजट विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत कम है। बजट कम से कम 5 से 8 प्रतिशत तक होना चाहिए ताकि राज्यों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।... (व्यवधान) मेरा कहना है कि राज्यों को और सहायता दी जाए, केन्द्र सरकार और योगदान करे ताकि राज्यों में मूलभूत सुविधाएं हो सकें, टर्शरी, सैकंडरी केयर राज्यों में विकसित हो जिससे पीजीआई और एम्स का रश कम हो सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम जी, इन्होंने कहा कि पी.जी. सीट बढ़नी चाहिए। मैं सबसे पहले हाऊस को बताना चाहूंगा कि अभी बजट पास नहीं हुआ है और बजट में हमने कहा था कि पी.जी. सीट बढ़ाएंगे। इस वर्ष बजट पास होने से पहले ही 5000 सीटें बढ़ा दी गई हैं और इसके तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात फंड के बारे में कही, इस साल 27.7 परसेंट हेल्थ का बजट बढ़ा है। पहले रिअल एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट और रिअल एक्सपेन्डिचर में हमेशा बजट एस्टिमेट ज्यादा होता था रिअल एक्सपेन्डिचर कम होता था। For the first time in 2015-16 and 2016-17, the real expenditure was more than the Budget Estimates. बजट एस्टिमेट से रिअल एक्सपेन्डिचर 9 परसेंट ज्यादा है उस तरीके से खर्च कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, 27.7 परसेंट बजट इन्क्रीज हुआ है। प्रोब्लम दूसरी है। It is not the question of budget. कोई भी नेशनल प्रोग्राम बजट के कारण सफर नहीं करता है। It is because of the absorbing capacity of the States. राज्यों से पैसे वापस लौट रहे हैं। मैं किसी स्टेट का नाम लेकर कहूँ, यह अच्छा नहीं होगा। स्टेटों के पास पैसे गए हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में पैसा मांगा, हमने पैसा दिया, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं आ रही है और वह पैसा उन स्टेटों में पड़े हुए हैं। जैसे-जैसे वे इसे खर्च करेंगे और अपनी कैपिसिटी को बढ़ाएंगे, उसमें हम उनको देंगे। We are giving them technical support, we are giving them infrastructural support and, of course, we are giving them financial support. हम तीनों सपोर्ट उनको देंगे।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Madam Speaker, the hon. Minister has tabled the answer in the House. Among various reasons, one of the primary reasons for delay in surgery is the non-availability of adequate infrastructure and doctors. This is very critical in rural areas. I come from a rural constituency where 86 per cent of the people live in rural areas. While almost 70 per cent of the people of our country live in rural areas, 80 per cent of doctors, 75 per cent of dispensaries and 60 per cent of hospitals are there in urban areas. So, there is a huge urban-rural divide existing in our country.

Madam Speaker, my question to the hon. Minister is: will the Government take cognizance of this serious urban-rural divide and make out a tangible action plan, possibly by setting up a Special Task Force, to address this issue so that this urban-rural health divide is addressed without any delay?

Also, for the All India Institute of Medical Sciences Extension Centre, which is coming up in my parliamentary constituency of Balasore, I met the hon. Minister, Shri J.P. Nadda Ji. I will request him to kindly confirm a date by which he will go and lay the foundation-stone so that the physical work can start. People of our State and my constituency are suffering. I would like to request the hon. Minister, through you, Madam, to kindly give us a date and commit here. Thank you.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम जी, जहां तक अरबन और रूरल डिवाइड का सवाल है, उसके बारे में पहले भी कहा कि रूरल एरिया में डॉक्टर को भेजने के लिए, हमने स्टेट को फैसिलिटी दी है कि वह पोस्ट ग्रेज्युएट सीट को इन्क्रीज करने के लिए या पोस्ट ग्रेज्युएट में एडमीशन के लिए एमबीबीएस को चांस दें। that they have to do and they have to see to it that लोग रूरल एरिया में सर्विस करें ताकि to get the PG seats. दूसरा, जो फाइनेन्शियल सपोर्ट चाहिए वह एनएचएम के तहत देंगे। मैंने पिछली बार एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में नेक्सलाईट एरिया बीजापुर में दिया था, In Bijapur, Chhattisgarh, you have got anaesthetists and you have got gynaecologists. जितनी तन्खाह देने के लिए फंडिंग चाहिए more than a lakh rupees उसको देने के लिए हम तैयार हैं। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें इंटेस्ट लेना पड़ेगा कि वह डॉक्टर्स को वहां भेजने के लिए प्लॉन बनाएं और उसके

तहत करें। When we appoint doctors from the State Government, the State Governments अगर स्टेट इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एप्वाइंटमेंट देंगी तो you will get doctors at the rural level. These initiatives have to be taken at the State level. दूसरी बात इन्होंने इनके ब्लॉक के लिए कही तो after the Parliament Session is over, I will go and start that work. उस काम को शुरू करेंगे लेकिन उसके चलते काम रुकेगा नहीं, बल्कि उसके पहले ही काम शुरू हो जाएगा।

श्री राजीव सातव : माननीय अध्यक्ष जी, अभी सर्जरीज में जो समय लग रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। पिछले चार दिन से महाराष्ट्र में मरीज बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। वहां की राज्य सरकार डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने में नाकायाब रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और अगर लिया है तो क्या स्टैप्स उठाए गए हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि सिक््योरिटी दें और इस बात को देखे कि डॉक्टर्स को कार्य करने का वातावरण दिया जाना चाहिए। यह मैटर सीरियस है, इसके लिए प्रदेश सरकारों को एक्टिवेट होकर काम करना होगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 326।

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी : अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मिनिस्टर, आप उत्तर सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर सभा पटल पर रखता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए एक सप्लीमेंटरी प्रश्न इस पर जरूर पूछा जाना चाहिए।

(Q. 326)

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी ने पिछले तीन साल का चार्ट दिया है कि एग्रीकल्चर लोन में कितना पैसा दिया है। उत्तर प्रदेश में 2013-14 में 59,276 करोड़ रुपए, 2014-15 में 72,600 करोड़ रुपए और 2015-16 में 37,328 करोड़ रुपए लोन दिया है। 2015-16 में कृषि का लोन कम क्यों हुआ? जो पैसा डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में जमा हुआ है, इसमें लोन देन की क्या नीति बनेगी?

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रियारिटी सैक्टर खास तौर से एग्रीकल्चर माइक्रो एन्टरप्राइजिस, स्माल और वीकर सैक्शन के लिए लोन की संख्या प्रति वर्ष बढ़ी है। अगर 2014-15 में आठ लाख रुपए का टारगेट का था तो 8,45,000 करोड़ रुपया दिया गया था। 2015-16 में 8,50,00 की तुलना में 8,77,000 करोड़ रुपए दिया गया था। इस वर्ष भी संख्या बढ़ी है। माननीय सदस्य ने जैसा बताया है, हम इसे दिखवाने का काम करेंगे। हमारा आग्रह है कि डिमोनेटाइजेशन का असर खास तौर से इस वर्ग पर बिल्कुल नहीं पड़ा है।

मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया से प्रसन्न है और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की तारीफ करती है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि अगर इसके आगे कोई बात है तो बताएं।

12.00 hours

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विषय ऐसे हैं कि उसके लिए कार्य स्थगन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने किसी भी प्रस्ताव के लिए कार्य स्थगन की अनुमति नहीं दी है।

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have given a notice for an Adjournment Motion on the Supreme Court trying to interfere in the affairs of the Parliament.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बाद में आपको समय दिया जाएगा।।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you.

... (*Interruptions*)

12.02 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table: --

.

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6700/16/17]

... (*Interruptions*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6701/16/17]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग./1/138/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग./23/135/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग./24/136/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन या पारिश्रमिक या पुरस्कार का संदाय) विनियम, 2016 जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग./25/137/2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6702/16/17]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 2017 जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 370(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6703/16/17]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 176(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथालागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए किसी संग्रहालय में प्रवेश हेतु सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है।

(दो) सा.का.नि. 150(अ) जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथालागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्र के प्रचालकों द्वारा सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है।

(तीन) सा.का.नि. 1200(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-कै.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1201(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6704/16/17]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2016 को समाप्त होने वाले तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) 31.12.2016 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 6705/16/17]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कुरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ. 309(अ) जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) अधिसूचना सं. 09/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 451(अ) जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) अधिसूचना सं. 12/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ. 665(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) अधिसूचना सं. 14/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 1198(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 18 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 1199(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6706/16/17]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

- (एक) सा.का.नि. 1195(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 1197(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6707/16/17]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1196(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6708/16/17]

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.207(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.208(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6709/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चिकित्सीय उपकरण नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6710/16/17]

(2) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1945 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत साधारण बीमा भारतीय नर्स परिषद् (कारबार संचालन विनियम), 2009 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 11-1/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6711/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table: --

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1042(E) in Gazette of India dated 4th November, 2016.
- (ii) G.S.R.1089(E) published in Gazette of India dated 25th November, 2016 containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. No.166(E) dated 15th February, 2016.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.188(E) in Gazette of India dated 3rd March, 2017.
- (iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eighteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1118(E) in Gazette of India dated 7th December, 2016.
- (v) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.01(E) in Gazette of India dated 2nd January, 2017.
- (vi) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.16(E) in Gazette of India dated 10th January, 2017.

- (vii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.17(E) in Gazette of India dated 10th January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6712/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-

- (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 in Gazette of India dated 15th December, 2016.
- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG006 in Gazette of India dated 31st January, 2017.
- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG007 in Gazette of India dated 31st January, 2017.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Advisory Committee) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG008 in Gazette of India dated 31st January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6713/16/17]

(3) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) Union Territories without Legislatures (Report No. 8 of 2017)-Compliance Audit Observations, for the year ended March, 2016 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 6714/16/17]

(4) A copy of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.178(E) in Gazette of India dated 28th February, 2017 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 6715/16/17]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table: --

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6716/16/17]

12.02 ½ hours**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

I am directed to inform the Lok Sabha that the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th August, 2016, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2017, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, (*or* the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, (*or* the figure "2016", the figure "2017" be *substituted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

Madam Speaker, I lay on the Table the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016, as returned by Rajya Sabha with amendments.

* Laid on the Table.

“(i) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of Rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2017 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

“(ii) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of Rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.2) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2017 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

12.03 hours**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS**
18th Report

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं “आवास और शहरी विकास निगम” के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.03 ½ hours**COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE**
10th and 11th Reports

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Tenth and Eleventh Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2016-17).

12.04 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS**
19th Report

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोल बेड मीथेन का उत्पादन के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.05 hours**STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL**
30th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I gave notice of Adjournment Motion. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह हो गया।

... (*Interruptions*)

1205 ½ hours**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Hon. Madam, I beg to lay the *statement regarding Government Business during the week commencing the 27th March, 2017.

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains consideration and passing of the Mental Health Care Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha.]*
2. Consideration and passing of the following Bills: -
 - (a) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.
 - (b) The Indian Institutes of Management Bill, 2017.
 - (c) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2016.
 - (d) The Footwear Design and Development Institute Bill, 2017.
 - (e) The Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017.
 - (f) The Repealing and Amending Bill, 2017.
3. Consideration and passing of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha.

* Laid on the Table

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

1. उपेक्षित वर्ग को अद्वितीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रनिर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर का विजन, आधुनिक विश्व इतिहास का महानायक सुभाष चन्द्र बोस, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल स्वरूप का सपना देखा था तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम् स्थान रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह का देश के लिए दिये गये बलिदान को दृष्टिगत रखते हुए इन महापुरुषों के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित करते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये।

2. देश की पहली महिला अध्यापक-सह-नारी मुक्ति आन्दोलन की पहली नेता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोलकर सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति बन्धन को तोड़ने के साथ-साथ उन्नीसवीं सदी में छुआ-छूत, सती प्रथा, बाल-विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया एवं उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। ऐसे उच्च विचार रखने वाली महान् महिला की जीवनी को देश भर के स्कूलों में कक्षा छः तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सख्त विधि नियम बनाया जाये।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये।

अहमदाबाद स्थित चाणस्मा से वाया हरीश से रुदनपुर 63 कि.मी. की सड़क को ब्रॉडगेज निर्माण कर कच्छ तक जोड़ना चाहिए व नई रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए, जिससे जनता को यातायात में सुविधा हो। चूंकि यह पाकिस्तान बार्डर से समीप है, अतः यह सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह, दिनांक 27.3.17 से 31.3.17 की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने की कृपा करें।

मैं झारखंड राज्य के धनबाद लोक सभा के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हं। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स को अभी हाल ही में आई.आई.टी. का दर्जा मानव संसंधान विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है। यहां इस्पात मंत्रालय का बोकारो इस्पात प्लांट भी स्थित है और धनबाद कोयला नगरी कोयलांचल के रूप में सुप्रसिद्ध है। परन्तु मैं बहुत ही खेद के साथ यह बताना चाहता हूं कि यहां खेल-कूद के विषय में यदि सोचा जाये तो धनबाद लोक सभा में एक भी उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की बहुत ही कमी है, जिससे कि यहां के

खिलाड़ियों के कौशल विकास पर अंकुश जैसे लगा हुआ है। यहां बहुउद्देशीय स्टेडियम न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में भाग नहीं ले पाते हैं। धनबाद लोक सभा के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किन्तु उचित मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की कमी के कारण धनबाद के प्रतिभावान खिलाड़ी देश के अन्य राज्यों व जिलों से पिछड़ रहे हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में उच्चस्तरीय खेल अकादमी, उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की पद नियुक्ति कराने का कष्ट करें, जिससे धनबाद में रह रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी देश, समाज की धारा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:

1. जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात की भौगोलिक स्थिति बुंदेलखंड के समान होने के उपरान्त भी दोनों जनपदों को बुंदेलखंड जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आपसे आग्रह है कि उक्त दोनों जनपदों को भी बुंदेलखंड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर में पीने के पानी की विकट समस्या है, जिसके कारण आम जनमानस के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पीने के पानी की समस्या को देखते लगभग 500 इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाये जाने की महती आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई - उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मण गिलुवा - उपस्थित नहीं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

मेरे यहां चित्रकूट धाम स्थित पवित्र तीर्थस्थल के क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दो भागों में बंटे हैं। अस्तु, उक्त दोनों भागों के तीर्थस्थलों को दोनों प्रदेशों द्वारा आवागमन के लिए फ्री जोन घोषित किया जाए, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके।

1. चित्रकूट धाम स्थित पवित्र मंदाकिनी नदी में नर्मदा के जल को मझगवाँ के पास से लाकर मिलाया जाए, जिससे इस पौराणिक एवं पवित्र नदी के जल स्तर में वृद्धि हो सके और तीर्थयात्री एवं क्षेत्रवासी इससे लाभान्वित हो सकें।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Hon. Speaker Madam, I would request you to include the following matters in the next week's business:

On 15th March, there was a *dharna* conducted by Delhi Union of Working Journalists as well as Newspaper Employees Federation of India. My submission is that there is no tripartite agreement in the media sector of India, neither in the print media nor in the visual media. So, in order to protect the journalists, only a report of the Wage Board is placed and there is no compulsion on the management to implement the Wage Board report. We all know that the period of Majithia Wage Board has already expired. Hence, I urge upon the Government of India to constitute a new Wage Board and also include the journalists working in visual media, because they are presently outside the purview of the Wage Board. They should also be included in the ambit of the Working Journalists Act which was enacted by the Parliament of India.

My second submission is regarding the headload workers and the ancillary labourers working in Food Corporation of India. There have been rampant complaints regarding transfers of headload workers and ancillary labourers under the direct payment system of the Food Corporation of India. Many of the ancillary workers are aged women; they have been transferred hundreds of kilometres away from the place where they usually work. They are not permanent employees of Food Corporation of India. We have to ensure equal pay for equal work in the

FCI as reminded by the hon. Supreme Court of India. There should be a sufficient and fruitful scheme for the workers also.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र की ओर से वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रुपये की रीइम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाइंडर लेटर्स भी प्रेषित किए गए हैं। लम्बित बकाया राशि को शीघ्र जारी किए जाने से सम्बंधित विषय।
2. महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2013 एवं 23 दिसम्बर, 2013 में केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ग्रेटर मुम्बई के सी.आर.जेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के साथ दिनांक 7 नवम्बर, 2013 को चर्चा भी की थी। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 6 जनवरी, 2011 में संशोधन किए जाने से सम्बंधित विषय।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, the population of Delhi in 2021 will be around 2.36 crores for which 16 lakh residences and around 35 million square feet workspaces are to be created. To achieve this, the Master Plan Delhi 2021 was notified on 7th February, 2007; the Delhi Land Pooling Policy was notified by the Urban Development Ministry on 5th September, 2013, and regulations for its implementation were notified on 26th May, 2015. Now, development area has to be notified under Delhi Development Act, 1957 and 89 villages are to be notified as urban villages under Delhi Municipal Act, 1957. Investment of more than US \$ 6 billion is stuck due to this and unscrupulous financial and development companies have collected more than Rs. 1,000 crore from unsuspecting consumers. It is necessary that the Ministry of Urban Development and the Government of NCT of Delhi create a consensus for implementing the Land Pooling Policy. आई.ए.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास, इलाहाबाद

विश्व विद्यालय, इलाहाबाद में 1958 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु स्थापित किया गया था। यहां से लगभग 2500 आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारी पूरे देश के लिए चयनित हुए हैं। 1998 के बाद से न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही मंत्रालय यहां के कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मान रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मैं मांग करता हूं कि इस संस्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाकर सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के किसी विभाग के अधीन कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की तरह इसके कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएं, प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रहने व खाने की सुविधा मुहैया करायी जाए। तत्काल उपरोक्त संस्थान में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए ग्रांट को निरस्त करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को रोका जाए और मंत्रालय से सीधे अनुदान देकर निःशुल्क प्रवेश दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गयी। सबमिशन के लिए सभी लोग यह बात ध्यान में रखिए कि केवल दिया हुआ विषय ही पढ़कर सुनाना है। लम्बा-चौड़ा भाषण उसमें नहीं देना है।

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour' – Dr. P. Venugopal.

... (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैडम, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है, ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you later. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

12.18 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re: Need to persuade the international community to take action against Sri Lankan Government for alleged war crimes committed in 2009**

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I want to bring the attention of the Government to the very serious issue concerning the Tamils in Sri Lanka.

In the final days of the civil war in 2009, Sri Lanka committed grave human rights violations. It wiped out the entire Tamil race of more than 1.5 lakh people in a matter of few days alone.

It took almost two years for them to assess how many were massacred. In 2011, when the international community at the United Nations Human Rights Council said that there will be an international probe into the issue, Sri Lanka said that it was an internal matter of Sri Lanka and it would look into it on its own. It sought two years to go into it.

In 2013, it came out with an interim report only and sought two more years to inquire into the entire episode. In 2015 again it followed the same ruse.

Now in 2017, following the same dirty trick, it has sought two years from UNHRC and yesterday the UN Council also has permitted two more years' extension to Sri Lanka.

How long should the Indian Government be a mute spectator to this human rights violation by Sri Lanka against Tamils? We discussed this several times in the past but no tangible action has emerged.

I would like to draw the attention of the House and the Centre to the Resolutions adopted by the Tamil Nadu Assembly three times. Late Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalithaa, *Amma*, through Resolutions adopted in the Tamil Nadu Assembly, urged India to move a strong resolution at the UNHRC along with the US, seeking international probe against war crimes

committed by Sri Lanka. She also sought diplomatic efforts at the international level against the human rights violations. She also termed the internal probe by Sri Lanka as ‘natural injustice’ for the Tamil race.

Madam, I would like to say that India has been consistently following a friendly foreign policy towards all the countries of the world. But the same policy should not be extended in the case of Sri Lanka.

Madam, here I would like to quote what External Affairs Minister, Shrimati Sushma ji said:

“India will go with consensus on Sri Lankan Resolution at the UNHRC. Our aim is to protect the interests of Tamils in Sri Lanka. You can achieve this through two means; either by doing it forcefully or through persuasion with the friendly country.”

My point here is that when the entire Tamil race is razed and annihilated, Sri Lanka is no more a friendly country, and that the policy adopted towards other countries should not be adopted in case of Sri Lanka. The Indian Government need not treat Sri Lanka as a friendly country, more so, in view of the fact that on 6th March this year, Sri Lankan Navy had shot dead a Tamil fisherman who was fishing in Indian traditional waters.

I am also at a loss to understand why India is keeping a studied silence in this regard. It gives an impression that it has failed miserably in dealing with Sri Lanka.

Hence, I urge the Centre that it should go with all her might at the UNHRC and persuade the international community to support us and insist that there should be an international probe against the atrocities committed by Sri Lanka.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. P. Venugopal.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mahtab ji, you can associate with him.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, a group of parliamentarians led by the then Leader of Opposition, Shrimati Sushma Swaraj had visited Sri Lanka to see how the rehabilitation of the Sri Lankan Tamils is going on because the Indian Government had provided funds. Our nation's interest lies with the peaceful atmosphere prevalent in Sri Lanka. In that respect, extending it by these two years is actually not in any way going to help restore peace. It will rather precipitate the tension inside the country.

For the cause of Sri Lankan Tamils, I would like to understand from the Government, supporting what Dr. Venugopal has said, the support that we are providing to Sri Lankan Tamils for their rehabilitation to come back to the mainstream, to come back to the original position as they were some 30 years ago, what steps have been taken in between after the visit of Shrimati Sushma Swaraj.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, Speaker, the hon. Member from Tamil Nadu, Dr. Venugopal, my dear colleague in the Parliament, Shi B. Mahtab and other hon. Members have raised a very important issue of the safety and security and the matter of human rights of our Tamil brethren in Sri Lanka as well as the fishermen of Tamil Nadu who have been now and then intimidated and attacked by Sri Lankan Navy.

It is a very serious issue, Madam. Our hon. External Affairs Minister, Shrimati Sushma Swaraj has made it amply clear that their safety and security is of paramount importance to the Government of India. We will leave no stone unturned to achieve that. At the same time, with neighbourly countries we need to pursue matters with persuasion. We know the matter is before the UNHRC.

I will definitely bring to the kind attention and notice of our hon. External Affairs Minister the concerns expressed by the hon. Members so that appropriate steps can be taken to safeguard our Tamil brothers.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Thank you, hon. Speaker Madam. The entire nation is convinced and worried about the mysterious and suspicious death of our most beloved leader, former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma. Even the Union Government has expressed exactly the similar concerns on the Floor of this august House. The hon. Parliamentary Affairs Minister accepted the same view on 14.03.2017 saying that the report of the investigation order by the State Government has to come before the Centre and further action will be taken after the said report is submitted.

Madam Speaker, unfortunately the Government of Tamil Nadu has so far not ordered any investigation. Even if the Government of Tamil Nadu orders for an investigation, it would not be fair and the hidden real facts would not be brought to light. The AIIMS doctors under the control of the Central Government are also involved in the treatment of our beloved leader, Amma.

So, I urge upon the Government that a mandatory and a detailed inquiry by the Central Bureau of Investigation be done in this matter.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Sundaram.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can associate. Every Member will not speak. You have not given any notice.

12.26 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS Contd.****(ii) Re: Issue of notice by the Supreme Court to the Centre and Election Commission pertaining to a petition on grant of pension to lawmakers**

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Madam. I bring to your attention to something which concerns the honour and prestige of MPs and of the Indian Parliament. The hon. Supreme Court on Wednesday issued a notice to the Central Government and to the Election Commission on a petition moved by an NGO Lok Prahari as to why the cost of MPs' perks and pensions should be borne by the taxpayers.

As you know Madam, the MPs' allowances and pension is covered by an Act of 1954 which was amended in 2006. By issuing and accepting a notice on MPs' perks and pensions, the hon. Supreme Court is actually transgressing into the area of Parliamentary privileges and their rights. We are not asking as to why the Judges of the hon. Supreme Court are being paid pension. But, why the hon. Supreme Court should ask that why MPs are being paid pension? This is not the first example of the hon. Supreme Court interfering into the affairs of the Parliament. You are the custodian of our rights in the Parliament. I bring to your notice and through you that of the Government that such transgressions by the hon. Supreme Court in the exclusive areas of MPs' privileges, perks and pensions, which are part of the law of the land, should not be allowed.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Why ex-MPs are also provided pension?

PROF. SAUGATA ROY: They are asking why ex-MPs are provided pensions, whereas it is guaranteed by law. Madam, we should take a stand as a whole in this House against this hon. Supreme Court's attitude.

HON. SPEAKER: Shrimati Kothapalli Geetha, Adv. Narendra Keshav Sawaikar, Shri Nishikant Dubey, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Om Birla, Shri Arjunlal Meena, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Devji M. Patel, Shri Rahul Kaswan,

Shri Harish Meena and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Prof. Saugata Roy.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, our learned friend, Prof. Saugata Roy Ji, has raised a very important issue that is of the hon. Supreme Court of India. I think Madam every section of this august House agrees with both of us that the rights and privileges of this Parliament is sacrosanct. It is the right of the hon. House to decide and determine the salaries, pensions and allowances of the Hon. Members of both the Houses of Parliament.

He has talked about the provisions of the Act of 1954 but at same time, it is a matter of constitutional mandate. According to article 106 which talks about the salaries and allowances of Members:

“The members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may, from time to time, be determined by the Parliament.”

It means that this Parliament has every right to decide about salaries, allowances and pensions.

Madam, you are the protector of the right of this Parliament and the entire House is with you to uphold this right... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बस-बस, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। I have not called you.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। क्या आप उस बात का विरोध कर रहे हैं?

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam, since January this year, the attacks on immigrants, particularly on Indians, are going on unabated. Some hon. Members had raised this issue earlier when three Indians were attacked recently.

Madam, I am bringing to your notice and also bringing to the notice of the Government as also the hon. Minister of External Affairs, Shrimati Sushma Swaraj Ji, a brazen incident which occurred in the US in which two Indians - wife of a software engineer and her six-year old son, Hanisih Sai - were killed last night in New Jersey. It is reported that while Narra Hanumanthu Rao was in office, his wife, Shrimati Sashikala and his son, Hanisih Sai, were attacked and killed. When Hanumanthu Rao returned his home, he noticed this terrible incident and he is still in shock. This is the pinnacle of racial discrimination being shown towards immigrants in the US after taking over by Mr. Trump.

The relatives of Mr. Rao are in terrible shock. They are from Prakasam district which is my native district. Mr. Rao belongs to Thimmarajupalem village from my district. We are still struggling to forget the tragic killing of Srinivas and one more Indian and a new dastardly act has come to light.

I strongly feel that now it is high time and we should not take this issue lightly. We have to make the US aware of India and Indians. Otherwise, these kinds of incidents would continue unabated. We will be raising such issues without taking any concrete steps to protect our Indians in the US...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri Subba Reddy.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस बारे में दे चुके हैं। एक बार बोल भी चुके हैं।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, in today's *The Hindustan Times*, a news has appeared on the front page regarding attendance of the Members of Parliament. In this news, the newspaper has mentioned that the attendance of A.P. Jithender Reddy – myself – from Telangana, as a floor leader, is worse and that it is only nine per cent.

माननीय अध्यक्ष : यह तो यहाँ रिकॉर्डिड है।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, this is totally incorrect. My attendance is much more. By putting this false report, the newspaper has defamed me and lowered my standing amongst my electorates as also general public. It is not only a breach of my privilege, but it is, moreover, a contempt of Parliament.

So I would request you that the Parliament should issue a notice for breach of privilege. My attendance is almost 90 per cent whereas they have mentioned it as only nine per cent. How can they do this? Madam, you are our custodian. You take our attendance. We are in front of you and every day you are seeing us. How can this paper write in this way? So I want you to please issue a notice for contempt of Parliament.

HON. SPEAKER Shri A.T. Nana Patil is permitted to associate with the issue raised by Shri A.P. Jithender Reddy.

श्री शरद त्रिपाठी।

पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से अनुरोध है कि उनको यह सीट अलॉट कीजिए ताकि बार-बार उनको भागना न पड़े।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में जहांगीर गंज से लेकर जनपद मुख्यालय तक जाने में लगभग 55 से 60 किलोमीटर

* Not recorded.

की दूरी तय करनी पड़ती है। आए दिन गांवों में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होते रहते हैं, जिनको ठीक करवाने में वहां के लोगों को परेशानी होती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जहांगीर गंज में एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग केन्द्र स्थापित किया जाए, जिससे वहां के आम जनमानस को परेशानी न हो।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करें, अगर वह संविधान के दायरे में है। लेकिन हम इस देश में रोज़ देख रहे हैं कि देश के कट्टरपंथियों द्वारा देश में संविधान का राज होने के बाद भी रोज नये फतवे जारी कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में असम की 16 साल की एक बच्ची नाईदा के खिलाफ 46 लोगों ने फतवे जारी किए। मेरा निवेदन है कि इस देश के संविधान के अंतर्गत व्यक्ति की धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इतना ही नहीं इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, विचार और पसंद की जिंदगी जीने का अधिकार है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस देश के अंदर किसी भी धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जो फतवे जारी किए जाते हैं, सरकार उनके खिलाफ एक्शन प्लान बनाए ताकि इस देश के नागरिकों की धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई कट्टरपंथी हनन न कर सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राहुल कास्वां, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोडमल नागर, श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री देवजी एम. पटेल को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोल इंडिया की भारत कोकिंग कोल लिमिटेड क्षेत्र के अंतर्गत सिजुआ क्षेत्र की बांसजोड़ा कोलियरी साइडिंग एवं गोविन्दपुर क्षेत्र की साउथ गोविन्दपुर साइडिंग से रेलवे वेगनों द्वारा पावर प्लांटों को भेजे गए कोयले में बीसीसीएल को डेमरेज के रूप में लाखों रुपए रेलवे को दिया गया था, जिससे बीसीसीएल को नुकसान उठाना पड़ा है। यह खुलासा विजिलेंस टीम की जांच में सामने आया है। बीसीसीएल के विजिलेंस वरीय अधिकारी के अनुसार वैगन लोडिंग क्षमता से अधिक लोड किए जाने के कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलवे के कांटा घर रेलवे वेगन में अधिक लोड होने के कारण वेगन को लौटा देते हैं। बीसीसीएल की विभिन्न कोलियरियों की साइडिंग से रैक में क्षमता से अधिक

कोयला लोडिंग करने से बीसीसीएल को धन का भी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे माफिया तत्व को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि उपरोक्त पूरे मामले की कोयला मंत्रालय, भारत सरकार उच्चस्तरीय जांच करवाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री निशिकांत दूबे को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत जुगसलाई आरओबी विगत 5 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। इतने लम्बे समय में रेलवे बोर्ड के अधिकारी यह तय नहीं कर पाए हैं कि सीधा आरओबी होना चाहिए या यूटर्न आरओबी बनाना है, जबकि ये बहुत ही आवश्यक आरओबी है। इस आरओबी को सीधा बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा, राज्य सरकार द्वारा 50 सालों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया गया है ताकि यूटर्न आरओबी बन सके। राज्य सरकार द्वारा खाली कराए गए पांच हजार स्क्वायर फीट जमीन का रेलवे के द्वारा सात करोड़ रुपए मूल्य मांगा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर कितने आरओबी बने हैं, जिसमें आरओबी बनाने के लिए जमीन का पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आरओबी है, यहां थोक विक्रेता के साथ-साथ करीब सात से आठ हजार लोगों का रोजाना आना-जाना लगा रहता है।

अधिकारियों ने सीधा और यू-टर्न बनाने को लेकर 5 वर्ष का समय लगा दिया। अब राज्य सरकार एवं रेल अधिकारियों के साथ यू-टर्न बनाने का निर्णय हो गया, लेकिन जिस भू-खण्ड पर बनाना है, उस जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपये आंकी गई। जबकि आर.ओ.बी. बनाने में 50 प्रतिशत रेलवे और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ता है। फिर अगल से जमीन का मुआवजा मांगने पर यह योजना अधर में लटक जाएगी। महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर.ओ.बी. है, क्योंकि यह बंगाल-उड़ीसा और मुम्बई-दिल्ली को जोड़ता है। ट्रैक काफी व्यस्त है, काफी लोगों का आना जाना है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि रेलवे के नियमानुसार 50-50 प्रतिशत राशि के आधार पर जुगसलाई आर.ओ.बी. बनाने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विद्युत वरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में किडनी, गुर्दे की बीमारी के हजारों मरीज हैं, लेकिन क्षेत्र में इसके इलाज हेतु कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। लोगों के इलाज हेतु करीब 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। रोज पी.जी.आई. व एम्स में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहती है, जहां उनको बेड नहीं मिल पाते हैं, न उनका डायलैसिस हो पा रहा है। लोग बहुत ही परेशान हैं। सरकार ने हर जिला केंद्रों पर डायलैसिस सेंटर खोलने हेतु पिछले बजट में प्रावधान किया था और राज्य सरकारों से मिलकर निर्देश दिए थे। अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा या चित्रकूट जनपर के दोनों जिला अस्पतालों में ये सेंटर्स नहीं खुले हैं। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट दोनों जिलों में यथाशीघ्र गुर्दे के इलाज हेतु कारगर व्यवस्था की जाए, जांच केंद्र खोल जाएं और डायलैसिस सेंटर्स यथाशीघ्र खुलवाकर मरीजों को लाभ देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम बिरला, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री लखन लाल साहू को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे 'जीरो आवर' में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदया, मुम्बई में वर्ष 2005 में बरसात के दिनों में बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। उसके बाद राज्य सरकार ने चितले समिति का गठन किया। चितले समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके माध्यम से सभी नदियों को चौड़ा करके दीवार बांधने का काम शुरू किया। मुम्बई महानगरपालिका ने इसमें बहुत बड़ा काम किया। हमारे सांसद किरीट सोमैया जी ने भी इसमें बहुत बड़बुद कर योगदान दिया। मैं महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई महानगरपालिका का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। इन दिनों में आश्चर्य की बात यह है कि महानगरपालिका 350 करोड़ रुपये खर्च करके रिवर के बेस को कॉन्क्रीटाइस करने की शुरुआत की है। मुम्बई शहर में एक एनजीओ रिवर मार्च के नाम से है। इसके बारे में इन दिनों हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया जी, जो कैनल बनता है, उसके बेस को कॉन्क्रीट करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन नदियों में नीचे बेस को कॉन्क्रीट करना ऐसा है, टैक्सपेयर्स का पैसा पानी में डालने जैसा है। पानी के जो नेचुरल सोर्सज हैं, उस बेस को कॉन्क्रीट न किया जाए। इस बारे में मुम्बई में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मुम्बई महानगरपालिका को बेस को कॉन्क्रीट करने से रोका जाए, नहीं तो प्रेसीडेंट बनेगा तो फिर पूरे देश के लोग

इस प्रकार का काम करना शुरू कर देंगे। टैक्सपेयर्स का सारा पैसा पानी में डाला जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम बिरला, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री निशिकान्त दुबे को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र सरकार के माननीय केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी के साथ दिनांक 4 मई, 2016 में हुई बैठक के दौरान राज्य में चालू एवं नए रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज के लिए निधि से संबंधित एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव में राज्य में चल रहे चालू एवं नए 142 रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज, जिनकी लागत 5,3041.25 करोड़ रुपये है, के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने 18 जुलाई, 2016 में भी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए राज्य में चल रहे 142 चालू एवं नए रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज को शीघ्र शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। जिस कारण राज्य में रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज के निर्माण कार्य में वित्तीय अड़चन आ रही है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किए गए चालू एवं नए रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव हेतु शीघ्र शतप्रतिशत वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें। मैं ऐसी विनती करती करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आज वर्ल्ड टी.बी. डे है और हिंदुस्तान में टुबरकुलोसिस की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। इसका जी.डी.पी. पर भी बहुत भारी असर पड़ता है और देश में एक महामारी के रूप में यह बीमारी उपस्थित है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2022 तक इसे समाप्त करना है। हमने पोलियो जैसी बीमारी को खत्म किया है तो टी.बी. को भी खत्म कर देंगे, लेकिन इसके चार मेजर आस्पैक्ट्स हैं - पहला प्रिवेंशन, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा ट्रीटमेंट और चौथा सोशल साइक्लोजिकल सपोर्ट।

मुझे आपके माध्यम से पूरे देश को यह कहना है कि टी.बी. सबसे ज्यादा प्रिवेंशन के अंदर जो फैलती है, वह थूकने से फैलती है। इस देश के अंदर जब हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं तो उस

स्वच्छ भारत में केवल ओपन डेफिकेशन या यूरिनेशन के खिलाफ ही काम न हो, बल्कि स्पिटिंग के खिलाफ भी काम होना चाहिए, थूक फेंकने के खिलाफ कानून आना चाहिए।

महोदया, दिल्ली में एक जगह एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में मैंने प्रयास किया कि जहां दीवारों पर पान के दाग और थूक के निशान थे, उन्हें साफ करके पेन्ट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया की जिस प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता थी, वह नहीं मिली, बल्कि यह कहानी चली कि जहां-जहां इसका उल्लंघन किया जा रहा था और लोग थूक रहे थे, उसे और मेरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश हुई, यह बताने की बजाय कि ओपन डिफिकेशन, ओपन यूरिनेशन या थूकने की वजह से इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है। अगर भारत सरकार को इसे कंट्रोल करना है तो थूकने को कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि उसके खिलाफ कानून हो और मेरा मानना है कि टी.बी. के कंट्रोल के लिए भी पूरा देश एक कानून लाये और सर्वसम्मति से यह सदन उसे पारित करे, ताकि इतनी बड़ी महामारी को हम समाप्त कर सकें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्षमता की हानि होती है।

मुझे वह समय याद है, जब सुषमा जी देश की हेल्थ मिनिस्टर थीं और किसी कार्यक्रम की वजह से हम लोग उनसे बात करने के लिए गए थे तो कोई 'नेको' के माध्यम से एड्स कंट्रोल के लिए फंड आ रहा था तो मैं उस समय थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोली थी और आज मुझे लगता है कि वह सब सही है कि एड्स से मरने वाले लोग भी अल्टीमेटली टी.बी. से मरते हैं। इस देश में टी.बी. से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। जो फॉरेन एजेन्सीज हैं, वे 'नेको' के माध्यम या अन्य तमाम माध्यम से एड्स को फंड करती हैं, जबकि महामारी टी.बी. है। इसलिए कहीं न कहीं इस बात पर ध्यान देकर जो भी पैसा है, वह इस दृष्टि से, इस दिशा में लगाया जाए, ताकि टी.बी. के खिलाफ हम कार्रवाई करें और एक अवेयरनेस कैम्पेन सब राज्यों के माध्यम से हर एक क्षेत्र में हम कर पायें और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसे बहुत सीरियसली ले। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम बिरला, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अर्जुनलाल मीणा, श्री प्रहलाद जोशी, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री देवजी एम.पटेल, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री निशिकान्त दुबे, श्रीमती रीती पाठक, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री रोडमल नागर, श्रीमती गीता कोथापल्ली, श्री विष्णु दयाल राम, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती नीलम सोनकर, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती रेखा वर्मा, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में भर-राजभर सहित उत्तर प्रदेश की 17 जातियां यथा निषाद, केवट, बिन्द, कश्यप, कहार, धीमर, बाथम, मछुआ, माझी, मल्लाह, तुरहा, कुम्हार, प्रजापति, गोड़िया और धीवर जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ये बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अतः इन सभी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाए। चूंकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कालांतर में रही सभी सरकारों ने इन सभी 17 जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। महारजिस्ट्रार, भारत सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से नृजातीय सामग्री की मांग की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रस्ताव के समर्थन में सामग्री भेजी थी, परंतु महारजिस्ट्रार ने इन जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने पर अपनी असहमति जता दी है। महारजिस्ट्रार की इस प्रतिक्रिया से इन जातियों में बेहद निराशा व्याप्त है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में इन जातियों की करीब 25 प्रतिशत आबादी है और इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इन सभी जातियों को सम्मान के साथ जीने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना बेहद जरूरी है। इतनी बड़ी आबादी को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने से राष्ट्र का विकास तो होगा ही साथ ही साथ इन जातियों को अपनी स्थिति को सुधारने और समानता प्राप्त करने में काफी आसानी होगी।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि भर-राजभर सहित उत्तर प्रदेश की सभी 17 जातियां जो कि कुंठा और निराशा से ग्रसित हो रही हैं, को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि वे अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सकें और जीवन स्तर को सुधार सकें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, लिख कर भी इतना ही लाएं, जिससे कि वह एक मिनट में पढ़ कर समाप्त किया जा सके।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री हरिनारायण राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदय, मैं शून्य काल के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राँची में स्थित उरमांझी ब्लॉक चौराहे पर खराब यातायात व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह उरमांझी ब्लॉक चौहराहा पटना-राँची राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हजारीबाग राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। इस चौराहे से रोजना राँची के प्राथमिक से ले कर महाविद्यालय के सात-आठ हजार विद्यार्थी एक से दूसरी तरफ आवागमन करते हैं। छात्रों को इस व्यस्त चौराहे से हो कर गुजरना पड़ता है। तेज वाहनों की चपेट में कई छात्र-छात्राओं की दुर्घटना हो गई है एवं कई छात्रों की मौत भी हो गई है। इस चौराहे से लाखों की संख्या में वाहन

हजारीबाग-बोकारो-धनबाद-पटना आदि रोजाना निकलते हैं, जो तेज गति से इस चौराहे को पार करते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के समुचित रूप से संचालन के लिए कई पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेज चुका हूँ, परंतु अधिकारियों ने इस संबंध में आज-तक कुछ नहीं किया है। समय के साथ इस चौराहे का यातायात बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र रांची के उरमांझी ब्लॉक चौराहे पर छात्रों का जीवन सुरक्षित करने एवं बढ़ते यातायात को सुचारु रूप से धीरे से चलाने हेतु आदेश दिए जाएं। इसके लिए तत्काल स्पीड ब्रेकर लगाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदया, आपने शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। गरीबों के मसीहा माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत उज्ज्वला गैस सयोजना की शुरुआत की गई है, वह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना में बहुत सी मूलभूत कमियां रह गई हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की सन् 2011 की जो बीपीएल सूची है, उसको पुनः पुनरिक्षण कराए जाने की आवश्यकता है। उस समय बहुत से लोग छूट गए हैं। उन पात्रों को भी उसमें शामिल कराया जाए।

दूसरा, आज इस योजना में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों से वहां के स्थानीय अधिकारी और उनकी एजेंसियों के लोगों की मिलीभगत के द्वारा अवैध पैसे की वसूली की जाती है। मैं इस संबंध में पहले भी आपको शिकायत आपके माध्यम से यहां दर्ज कर चुका हूँ एवं उनको भी लिखित रूप से दिया गया है। इस संबंध में हमारे कानपुर देहात के मैथा विकास खण्ड के भंवरपुर गांव में 5300 की आबादी और 1600 मतदाता हैं, लेकिन मात्र बीस लोगों को रखा गया है और तीन-चार एजेंसियों के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ - अंशिका स्टेट एजेंसी - मड़ौली, वैणों गैस एजेंसी - धनीरामपुर, विशाल गैस वितृक - तिउली, इनके द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जाती है। अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें संज्ञान लेने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, आयुर्वेद और योग विश्व के जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुनिया में शीर्ष प्राथमिकता को स्वतः साबित कर चुका है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना

चाहता हूँ, जिनकी अगुवाई में दुनिया के 171 से भी अधिक देशों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में योग और आयुर्वेद के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आयुष शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं, वे संस्कृत में हैं, इसलिए बी.ए.एम.एस. और उससे संबंधित जितने भी कोर्स हैं, उनके लिए कम से कम इंटर तक संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही योग को भी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। 4 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक औषधियों का मार्केट वाला यह इतना बड़ा क्षेत्र है, आज आयुर्वेद की दवाइयां परचून की दुकानों पर मिल रही हैं, जो कि शर्मनाक बात है। इसलिए इसमें गिरावट आ रही है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं, उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाये और दवाइयों की बिक्री जो परचून की दुकानों पर हो रही है, इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। मेरा विशेष अनुरोध यह है कि उत्तराखंड आयुर्वेद प्रदेश है, इसलिए आयुर्वेद प्रदेश में आयुष की शिक्षा और शोध का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाये, ताकि वहाँ से हिमालय, गंगा, आयुषोवेदः, आयुर्वेद की ललक पूरी दुनिया तक जा सके। मैं यह आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रोडमल नागर, श्री भगवंत खुबा, श्री प्रहलाद जोशी, श्री सुरेश सी. अंगड़ी, डॉ. बंशीलाल महतो, श्री लखन लाल साहू और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Madam Speaker, in my Constituency in Meghalaya, the people living in the border of India and Bangladesh are facing a very difficult situation. Firstly, the fencing is almost completed but there is no road to connect from the border to the rest of India. Therefore, especially in the village Hurai and Hungaria, there is no road to connect, and there is no mobile tower along the border.

I would, therefore, urge upon the Government through the Ministry of Road and Transport that they should construct roads along the border and also erect mobile tower so that the people can be connected. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Rajiv Satav is permitted to associate with the issue raised by Shri Vincent H. Pala.

श्री राजू शेट्टी (हातकणगले): महोदया, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, पिछले कई सालों में देश में किसानों की आत्महत्याएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। लागत मूल्य से कम दाम मिलना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं और उसके सिर पर कर्ज का बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करने की चर्चा गम्भीरता से हो रही है। खुद प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह आश्वासन दिया था कि किसानों का कर्ज माफ करने के बारे में देश सोच सकता है।

महोदया, स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की चेयरमैन ... *ने किसानों की ऋण माफी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं। इससे समूचे देश के किसानों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : वे इस सदन की सदस्य नहीं हैं, आप उनका नाम लेकर मत बोलिए। आप एस.बी.आई. की चेयरमैन बोलिए। नाम रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

श्री राजू शेट्टी: महोदया, मैं यह कहता हूँ कि स्टेट बैंक की चेयरमैन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैंने जो नाम बोला है, उसे मैं वापस लेता हूँ।

महोदया, इस देश का किसान हमारा अन्नदाता है, उसके बारे में इस तरह से इस संवेदनशील पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हो रही हैं, वे उचित नहीं हैं। यह पूरे सदन का अपमान हुआ है। एक किसान नेता होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, सरकार से विनती करता हूँ कि इसे गंभीरता से लीजिए और स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की चेयरमैन के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में कारपोरेट सेक्टर के करीब दस उद्योगपति देश का 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज डुबोकर खुलेआम घूम रहे हैं, विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग गये हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार नाम क्यों ले रहे हैं?

श्री राजू शेट्टी: फिर भी किसानों की कर्ज माफी के बारे में इस तरह से टिप्पणियाँ होती हैं, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूँ।

* Not recorded.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, हम इनके विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री रामचरण बोहरा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री राजीव सातव को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Hon. Madam Speaker, adequate changes are to be made in the Coastal Regulation Zone Act so that the traditional fishermen and people who live near the seashore get permission to construct new houses and repair the old existing houses where there is high concentration of the people and fishing activities. The distance from the high tide line should be limited to 50 metres and at other places to 200 metres. There should also be provision to keep fishing equipments and nets near the seashore.

Homestays connected with the tourism should also be allowed in this area. Fishermen should get adequate participation and share in all the developmental activities including tourism. Mangroves are to be protected. Incentives should be given for protecting and growing mangroves. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Rajiv Satav and Mohs. Faizal are permitted to associate with the issue raised by Pro. K.V. Thomas.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय शून्य प्रहर में यहाँ उपस्थित करने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ।

महोदया, हमारे प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने एक विचित्र निर्णय, एक बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया कि पूरे देश को डिजिटल इंडिया बनायेंगे। अब उस निर्णय पर जिस ढंग से अमल होना चाहिए, पिछले बजट में 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। आप और हम सभी जानते हैं कि अगर इस देश में कोने-कोने से लेकर शहरों तक किसी की पहुँच है तो वह पहुँच बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की है।

13.00 hours

आज ये दोनों कंपनियां घाटे में हैं। इनके पास पैसे हैं, उनके पास क्षमता है। हम देख रहे हैं कि 'डिजिटल इंडिया' के लिए जो फाइबर की केबल्स डाली जा रही हैं, उसे कोई प्राइवेट कंपनी डाल रही है। इन दोनों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को उसमें शामिल करें। मैं यह नहीं कहता हूँ कि उस प्राइवेट कंपनी से काम न लें, पर इन कंपनियों को उसमें शामिल करेंगे तो इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी और इन्हें काम भी मिलेगा।

जैसा कि अभी हमारे एक सहयोगी सदस्य ने कहा कि वहां रोड्स हैं, पर वह मोबाइल टावर्स नहीं हैं। वहां कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी। वे सिर्फ मुनाफा देखती हैं। सेवा का काम तो सिर्फ अपना पब्लिक सेक्टर ही करता है, जैसे 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूँ कि 'डिजिटल इंडिया' के लिए यह जो ऑप्टिकल फाइबर का काम चल रहा है और इसे ग्राम पंचायतों तक जो पहुंचाने की बात है तो उसके साथ गांवों में पोस्ट ऑफिसें भी हैं। इसे दोनों जगहों पर जाने की आवश्यकता है। हमने अभी गांवों में ग्राम पंचायत को ही प्राथमिकता दी है। पर, ये गांवों के पोस्ट ऑफिस में भी जाएं और इन दोनों सरकारी उद्यमों का भी सहयोग ले लें, इतना ही मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से है।

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : अध्यक्ष महोदया, आज शून्य प्रहर में मैं जिस इश्यू को उठाने वाला हूँ, ऐसे तो 15 मार्च को भी मेरा नाम शून्य प्रहर में बोलने के लिए था, पर उस दिन शून्य प्रहर रद्द हुआ था।

महोदया, आप मराठी भाषा अच्छी तरह से जानती हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 'लोकसत्ता' एक समाचार-पत्र है। उसमें 15 मार्च, 2017 को एक न्यूज़ आई थी - 'यूपीआय घोटाय्याची व्याप्ती 75 कोटींवर!'।

अध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के बाद मोबाइल के यू.पी.आई. एप्स के द्वारा पैसे का बहुत गलत ढंग से ट्रांसफर हुआ है। खासकर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 84 लोगों के खिलाफ अभी तक एफ.आई.आर. दाखिल हुआ है। जो लोग इस एप्स को यूज़ करते हैं, जिन्होंने इस मोबाइल से फोन किया है, वैसे लोगों के खिलाफ ही सिर्फ एफ.आई.आर. दाखिल हुई है। मेरा कहना है कि इस यू.पी.आई. एप्स को बनाने वाली कंपनी 'इन्फ्राटेक' का इसमें दोष है। मगर, एफ.आई.आर. ग्राहकों पर हुआ है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि यह चोर को छोड़कर संन्यासी को फॉसी देने का काम चल रहा है। इसमें तो यू.पी.आई. एप्स बनाने वाली इस 'इन्फ्राटेक' कंपनी का दोष है। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दाखिल होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Thank you Madam Speaker for giving me an opportunity to speak on a matter of urgent public importance.

There is a fast passenger train no. 56926 which is running between Tumkur and Bengaluru regularly. It starts at 8.15 a.m. at Tumkur and reaches Bengaluru by 9.50 a.m. Tumkur is the district headquarters of my Parliamentary Constituency. More than 1,600 passengers regularly travel between Tumkur and Bengaluru in this particular train. Majority of them are Government officials and students. The timing is very convenient so as to enable them to reach Bengaluru on time.

Unfortunately, without giving any proper and convincing reason, the Railway authorities have changed the timings of this train. They have also shifted the starting point of this train from Tumkur to Hirehalli. It has resulted inconvenience to the 1,600 passengers who have been regularly traveling.

Therefore, I urge upon the Railway Minister to restore the old timings as well as the starting point of this train.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदया, मेरा नाम भी दिनांक 15 मार्च, 2017 को ज़ीरो आवर में था। पर, उस दिन वह कौन्सल हो गया है। इसलिए आज हमें पूरा समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ऐसे समय नहीं मिलता है।

श्री ददन मिश्रा: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र में एकमात्र रेल लाइन है, जिसका आमान परिवर्तन नवम्बर, 2015 में पूर्ण हुआ। माननीय मंत्री जी ने स्वयं जाकर उसका लोकार्पण किया है। उसके आमान परिवर्तन से पहले वहां पर कुछ समपार फाटक बने हुए थे, जिसे आमान परिवर्तन में बंद कर दिया गया है। अब इससे लाखों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। उन लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो तभी था, जब रेल लाइन बंद थी। अब रेल लाइन चालू होने से उनका आवागमन बंद हो गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जो पांच समपार फाटक बंद कर दिए गए हैं, वहां पर आरओबी/आरयूबी बनाना नितांत आवश्यक है। झारखण्डी तथा गैजहवां रेलवे स्टेशनों के बीच पुल संख्या 151 के निकट, पुल संख्या 149 के निकट, तुलसीपुर और लैबुड्वा स्टेशन के बीच में मानिकौरा काशीराम गाँव में नहर समपार गेट बना हुआ था, जिनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 135/6-7 के पास समपार फाटक बना हुआ था, इसको भी बंद कर दिया गया है, यहां पर आवागमन बाधित हो रहा है। हमारे रेलवे की पॉलिसी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को समपार फाटक से मुक्त किया जाए। बलरामपुर नगर के अंतर्गत झारखण्डी स्टेशन के सामने एक समपार फाटक है, यहां पर आरओबी न होने की वजह से घंटों जाम लगा रहता है। यहां पर एक आरओबी बनवाया जाए। एक आरयूबी जो सिरसिया गांव में स्वीकृत हुई थी, जो आसाम बाईपास के नाम से जाना जाता है, इसका भी निर्माण तत्काल कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ददन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और साथ ही श्री गडकरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे यहां जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मैं खासकर अपने संसदीय क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में छह जिले आते हैं, जिसमें से तीन-चार जिले ऐसे हैं, जहां रोड नहीं होने की वजह से लोग जिला मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जगदलपुर से भोपालपटनम-निजामाबाद के लिए एक रोड स्वीकृत हुई थी, यह आज भी अधूरी है। हमारी सरकार आने के बाद वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाकर फिर से काम शुरू किया गया है। भोपालपटनम तक रोड बन चुका है तथा पुल-पुलिया का काम तीव्र गति से चल रहा है। भोपालपटनम का आखिरी छोर आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा को जोड़ता है। इन्द्रावती नदी पर

एक पुल बनने वाला था जो वर्ष 2016 तक पूर्ण होने वाला था, लेकिन अभी तक यहां पर 10 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि यह दो राज्यों को जोड़ने वाला पुल है। इससे दो राज्यों के लोगों को अवागमन का मार्ग प्रशस्त होगा और इसमें सामाजिक कार्य भी होगा। ऐसा मेरा मानना है कि जब अवाजाही बड़ेगा तो नक्सली मूवमेंट भी कम होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इसका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दिनेश कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अब मैं लिस्ट के अलावा कुछ लोगों को समय दूंगी, लेकिन केवल आधा-आधा मिनट बोलने वाले हैं तो समय दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय अध्यक्षा जी, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान "दैनिक जागरण" समाचार पत्र दिनांक 15.3.2017 में प्रकाशित "लौरिया के इंजीनियरिंग छात्र की चेन्नई में मौत" शीर्षक की तरफ केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लौरिया प्रखंड के कपड़ा व्यापारी श्री पिंटु जायसवाल का पुत्र विशाल जो निफ्ट संस्थान, चेन्नई में फैशन डिजाइनिंग का छात्र था तथा चेन्नई के अदयार जिले में निवास करता था। दिनांक 12.3.2017 को वह अपने कमरे में मृत पाया गया, जिसके कारण उसका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, परंतु परिवाजन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे हत्या की साजिश बता रहे हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इसकी उचित जांच करवा कर उस परिवार को न्याय दिलवाने की कृपा की जाए।

हमारे यहां बिहार में कोई भी बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं है। बिहार के सारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं और अगर आए दिन ऐसी घटनाएं घटेगी तो फिर उनके गार्जियन के ऊपर क्या गुजरेगा।

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, you cannot complete your speech within half-a-minute? Why are you trying?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मैडम, मैं सिर्फ दो शब्द बोलूंगा। जब भूखमरी की हालत होती है, तो एक कहावत कहा जाता है कि "ऊंट के मुंह में जीरा" और "हाथी के मुंह में इलाज"। मुझे लगता है कि अब इसके जगह नया शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे "शेर और बब्बर शेर के मुंह में पक्षी"। आज सुबह मुझे यह बहुत बुरा लगा, जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, जहां बब्बर शेर और शेरों को मांस नहीं दिया गया और उनको मीट के बदले चिकन दिया गया। इस दुनिया में जो हमारा

इको-सिस्टम है, इसमें सबको बचना चाहिए; मैन, एनिमल और प्लांट सबको बचना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं पर मांस को बंद कर देते हैं...(व्यवधान) लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि हम पैंक रिवोल्यूशन करेंगे।

हम हर साल 28 हजार करोड़ रुपये का मांस निर्यात करते हैं। शेर और बब्बर शेर को हम मांस नहीं देते हैं। कोई अगले दिन शेर और बब्बर शेर से यह न कहे कि तुम पालक- पनीर खाकर रहो। ... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल में एक बहुत जरूरी विषय को उठाने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हमारे बेहतर सुधार के बावजूद भी हमारे देश विशेषकर बिहार के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि इसका एक कारण समय-समय पर मौसम की बेरूखी रही है। दिनांक 10 मार्च, 2017 से 20 मार्च, 2017 के बीच संसदीय क्षेत्र शिवहर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी जिले में तूफान एवं बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। इससे किसानों के खेतों में लगी रबी फसल, जैसे मसूर, गेहूं, मक्का, सरसों आदि की काफी क्षति हुई। ओलावृष्टि इतनी अधिक हुई कि शेड एवं छप्पर पर निर्मित मकान भी क्षति ग्रस्त हो गए तथा दो घंटे के बाद भी खेतों तथा छत पर बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े देखे जा सकते थे। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान ने किसानों एवं गरीबों की कमर तोड़ दी है, जिससे उनमें काफी मायूसी है। उन्हें सरकार से तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। किसानों और गरीबों का हित हमारी केन्द्र सरकार की भी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी जिले में तूफान एवं बारिश के साथ जो भारी ओलावृष्टि हुई है, उसके नुकसान का आकलन कराते हुए किसानों को मुआवजा देने की कोशिश की जाए।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam, thank you very much for giving me the opportunity.

Madam Speaker, our East Godavari district is the house for lush greenery in our entire Andhra Pradesh. River Godavari blessed us with greenery always. Coconut farming has been taken up in 1.25 lakh acres in our district. Almost 132 by-products can be taken out from coconuts. With the presence of one crore coconut trees, approximately 34.5 crore coconuts have been produced every year.

Coconut cultivation is an integral part of every farmer of our district. Our East Godavari district competes with Kerala in coconut farming.

We have been persistently requesting the Union Government to establish a Coconut Board Regional Office in our East Godavari district. It will help the coconut farmers for the integrated development of coconut cultivation and industry, with focus on productivity increase and product diversification and also strengthen their economic condition.

Hence, I request the hon. Minister of Agriculture, through you Madam, to take steps to arrange to establish a Coconut Board Regional Office in East Godavari district of Andhra Pradesh immediately for the benefit of the coconut farmers. Thank you.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले लगभग पूरे सप्ताह से इस बिंदु को सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहा था।

अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थियों का देश भर के अलग-अलग प्रदेशों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। उत्तर भारत के छात्र पश्चिम बंगाल के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में लगभग 50 छात्र हैं। उन छात्रों पर वहां क्षेत्रीय भेदभाव के कारण बार-बार हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ...(व्यवधान) उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को और सब जगह इसके लिए रिपोर्ट की है, पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन रिपोर्टों की जांच होने के बजाए उल्टा उन्हीं विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। उनको बहुत सारी चोटें आई हैं और अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की जांच हो। ...(व्यवधान) ऐसे बच्चों को, जो अखिल भारतीय परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करके अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम बिरला और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is not an allegation on the Government. It happens. Is it not?

... (Interruptions)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

भले ही सिख धर्म का ओरिजन देश के पंजाब प्रदेश में हुआ। खुशकिस्मती से यह मेरी कांस्टीच्युएंसि श्री आनंदपुर साहब में हुआ। आप जानते हैं कि सिखों ने अपने पहनावे, शकल-सूरत और सख्त मेहनत के कारण देश और दुनिया भर में अपनी पहचान और सत्कार बनाया हुआ है। कनाडा जैसे देश में तो 4 मंत्री भी बने हुए हैं। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 20 हजार से ज्यादा सिख रहते हैं। वहां जनगणना हो रही है। जनगणना में, पहली बार हिस्ट्री में सिख धर्म का कॉलम ही डिलीट कर दिया।

वहां एक साजिश के तहत ऐसे हो रहा है। दुनियाभर के सिख बहुत सहमे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ईशू को डिप्लोमैटिक लैवल पर लिया जाए ताकि ऐसी कोई वारदात न हो। इसे गंभीरता से लिया जाए ताकि सिखों की भावनाओं को जो चोट लगी है, उसे बचाया जा सके। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस ईशू को जल्दी से जल्दी लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Madam Speaker, in our country, delay in providing justice is the order of the day as Judiciary denies justice due to delay symptom across the Judiciary. In such a situation, according to several studies, the under-privileged suffer the most. I urge upon the Government of India to take steps to introduce Professional Court Management and Time Management System to improve the functioning of the judicial system.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को प्रो. रिचर्ड हे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूँ। देश के वे सभी कार्य स्थल जहां 30 या उससे अधिक महिलाएं काम करती हैं, संस्थान के नियोक्ता और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वहां क्रेच की सुविधा प्रदान करें। यह देखने में आता है

कि इस पर अमल नहीं होता, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में ऐसे होता है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, टीकमगढ़, छतरपुर, बिहार, ओडिशा और बंगाल आदि से लाखों की संख्या में महिलाएं काम करने के लिए आती हैं। जहां वे काम करती हैं, वहीं मिट्टी, गिट्टी का ढेर लगा रहता है, सीमेंट पड़ी रहती है, लोहा पड़ा रहता है और उनके छोटे-छोटे बच्चे खेलते रहते हैं जो कुपोषण और प्रदूषण का शिकार होते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन नौनिहालों को कुपोषण और प्रदूषण से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय क्रेच निधि का मसौदा तैयार किया जाए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, गरीब कल्याण वर्ष है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन नौनिहालों को कुपोषण और प्रदूषण से बचाने के लिए क्रेच की सुविधा दी जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री ओम बिरला, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री अश्विनी कुमार चौबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डा. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोक हित का मामला उठा रहा हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। राज्य में जो पीएमसीएच एवं अन्य अस्पताल हैं, वहां के डाक्टर पीएमसीएच में सरकारी कार्य कर रहे हैं और अपना निजी अस्पताल भी खोलकर बैठे हैं। यह सरकार और संविधान के नियम के विपरीत है।

अभी सफदरजंग से लेकर सभी जगह के डाक्टर हड़ताल पर जा चुके हैं। हिन्दुस्तान में डाक्टर हड़ताल न करें। डाक्टर फीस लेते हैं और अपने को भगवान कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि उन पर एस्मा लगाकर किसी भी परिस्थिति में डाक्टर्स की हड़ताल खत्म की जाए। हिन्दुस्तान में डाक्टर्स हड़ताल न करें, इस पर कोई कठोर कानून बने।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जा है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वन मंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बड़ी तेज गति से सिर बोझा लकड़ी वाले मजदूरों के माध्यम से जंगलों की कटाई हो रही है। यह बात सही है कि उनका हक है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उनका एक सर्वेक्षण कराया जाए। वे वन ग्राम में रहते हैं तो वन उपज पर उनका पूरा हक हो। ... (व्यवधान) जिस तरह किसान का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी आधार पर उपज खरीदी जाती है, उसी तरह उनका भी रजिस्ट्रेशन हो और वन उपज पर पूरी तरह उनका हक बने। उनके माध्यम से वन उपज खरीदी जाए। अभी बड़े-बड़े ठेकेदार वन उपज का फायदा उठा रहे हैं। मजदूरों को लाभ दिलाने के

लिए उनका बाकायदा पंजियन हो और पूरे देश में उनका सर्वेक्षण कराने का काम किया जाए। उन्हें वैकल्पिक रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वनों की अवैध कटाई रोकी जा सके।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Madam Speaker, I thank you very much for allowing me to speak.

Madam, you know that supply of petroleum products in Lakshadweep is a very big question mark before us. As of now, we do not have any public sector undertaking of Government of India's retail outlets in any of the islands. Therefore, we depend on the local retail outlets either in Kerala or Mangalore. We are paying high tax to them and transporting those materials to the island whereas now we are in the process of developing fisheries and other sectors for which fuel is an essential part.

Taking that into consideration, Lakshadweep Administration made an agreement with Indian Oil Corporation to construct bulk oil storage tanks. As of now, there are two bulk storage tanks constructed in Kavarati and Minicoy. Two years have completed, but still the IOC is not in a position to, or could not, supply the fuel to these tanks. On the other hand, there are three other islands also where the land-owners have given their consent to construct the oil storage tanks. It is very essential for the future growth of the islands.

I urge upon the Government that the Petroleum Ministry may take a note of this and may direct the IOC to complete the process as quickly as possible. Thank you very much.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं फुड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला की 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों के साथ पड़ता है, वहाँ के लोग फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं, इसके साथ-साथ कालका, जिसे गेट ऑफ हिमाचल कहा जाता है। वहाँ से सब्जियाँ और फल दिल्ली में आती है यदि पंचकुला में कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर दी

जाती है तो 18-25 प्रतिशत तक जो फल और सब्जियों का जो वेस्टेज होता है उसको बचाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam, I may be permitted to speak from here.

HON. SPEAKER: Yes.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Thank you so much, Madam, for giving me this opportunity to speak in the 'Zero Hour' about the Tribal Sub-Plan.

The Government is committed in supporting the tribal welfare through Sub-Plan grants. Since, the last three years after I became an MP, the Central Government has sponsored more than Rs. 3,000 crore per year for the Tribal Sub-Plan. The Tribal Sub-Plan grants cannot be diverted to any other activity. But, unfortunately, these grants are being diverted.

Hence, I would request, through you, Madam, to the Tribal Welfare Minister to conduct a special audit on the Tribal Sub-Plan grants that have been given to the States from the Centre so that these grants will be utilized to the maximum. Thank you so much.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, चार दिन पहले ओबीसी कमेटी के चयरमैन और हम सभी सदस्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उनसे हमने विनती की थी कि ओबीसी के कमीशन को कंस्टीट्यूशनल स्टेट्स दिया जाए और ओबीसी मंत्रालय का निर्माण किया जाए और क्रीमिलीयर की मर्यादा बढ़ाई जाए। कल हमने न्यूजपेपर और न्यूज चैनल में सुना है कि ओबीसी कमीशन को कंस्टीट्यूशनल स्टेट्स देने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में सदन को अवगत कराएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां नगर के रेलवे स्टेशन पर होकर कानपुर से अमृतसर गाड़ी संख्या 14153 और 14154

और कानपुर से जम्मूतवी गाड़ी संख्या 12469 व 12470 गुजरती है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन दोनों गाड़ियों को मल्लावां स्टेशन पर रोकने का आदेश जारी करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं लालगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद हूँ, जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जिले की आबादी काफी बड़ी है जिसके कारण एक केन्द्रीय विद्यालय काफी नहीं है। इससे पहले पूर्व मंत्री जी से भी मैंने कहा था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे लालगंज संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए जो आजमगढ़ जिले से 50 किलोमीटर दूर है। इसके अंतर्गत फुलपुर, अहरौला, ठेकमा घनी आबादी के बच्चे वहाँ पर हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपने सेंट्रल स्कूल की मांग की है न? असवपे कम्पलीट किया या नहीं? कम्पलीट कर लो।

श्रीमती नीलम सोनकर: मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे दीदारगंज क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Madam, I am deeply grateful to you for giving me this opportunity as well as I am deeply grateful to our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, as due to her I have come here.

I have three points to mention.

HON. SPEAKER: You can raise only one point and not mention three points.

... (Interruptions)

श्री इदरिस अली: पिछले वर्ष बजट में पास हुआ था, मेरे कंस्टीट्यूएंसी में एक भाबला स्टेशन है लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ। The hon. Minister is here. I draw his attention, through you.

HON. SPEAKER: You can raise only one point.

... (Interruptions)

श्री इदरिस अली: महोदया, मेरे सात कंस्टीट्यूएंट के अंदर एक हिगलंगंज जहां ज्यादा से ज्यादा एससी/एसटी रहते हैं, लेकिन एक पोस्ट वहां नहीं है। मेरा एरिया बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है It is very unfortunate that वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आर्सेनिक वॉटर है, रोड का कन्डीशन बहुत खराब है।

माननीय अध्यक्ष : यह नेशनल हाईवे नहीं है, इतने सारे विषय नहीं उठाते हैं।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूईआर, अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 और 2 बने हुए हैं। रोड दोनों तरफ से बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है जिसके कारण बहुत समस्या पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि यहां फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाए।

विधान सभा में किराड़ी बहुत बैकवर्ड है, मैं यहां केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की मांग करता हूँ।

श्री जनक राम (गोपालगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में रेलवे स्टेशन के सम्पर्क पथ के जीर्णोद्धार की मांग है। गोपालगंज जिले में जलालपुर, सिपाया, सासामुसा, नरकटिया, थावे जंक्शन, गोपालगंज, मांझा, शेर, सिधवालिया कई रेलवे स्टेशन तथा हाल्ट हैं। यहां अभी भी सम्पर्क पथ की समस्या बनी हुई है। स्टेशनों से गुजरने वाले रेल पथ बहुत ही बुरी एवं जर्जर हालत में हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कोई भी जीर्णोद्धार का काम नहीं हो पाया है, इस कारण जनता और स्कूली बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानियां होती हैं। यहां आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। इसे लेकर जनता में काफी आक्रोश होता रहता है। जीर्णोद्धार एवं रेलवे सम्पर्क पथ नहीं बनने से दिनों दिन समस्या बढ़ती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का निदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

SHRI PARTHA PRATIM RAY (COOCH BEHAR): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak. The Ministry of Civil Aviation released an order dated 4th march, 2014 regarding air transport services in different regions and in remote areas of the country. In this order, a list of airports identified for providing air services connectivity was also published. Fortunately, Cooch Behar Airport which is situated in my constituency is also listed as one of the important regional airports under Airports Authority of India. Unfortunately, air services in Cooch Behar Airport are yet to be started. I demand to start the air transport

services in Cooch Behar Airport to remove all the adversity as early as possible for the better interest of Cooch Behar people.

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ग्रामीण मंत्रालय से तीन साल से लगातार कर्नाटक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कोई अनुदान नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में यहां के लिए एलोकेशन दिया जाए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत बहुमूल्य विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों के विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ। बुंदेलखंड में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। यह बहुत बड़ा भू भाग है। यहां कृषि की अनेक समस्याएं हैं और पानी की कमी है, इस कारण भारत सरकार बुंदेलखंड को विशेष पैकेज देती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। लघु एवं सीमांत किसान पांच एकड़ के आसपास आते हैं, लेकिन मुख्य समस्या है कि 10 एकड़ का काश्तकार पलायन करने को मजबूर है। वह ईंट भट्टे में काम कर रहा है।

बुंदेलखंड विशेष क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहां लघु और सीमांत किसानों की सीमा बढ़ाई जा सके ताकि पलायन रुक सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

As the Civil Aviation Minister is there, those two people want to raise the issue.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान के सिरोही जिले का विषय उठाना चाहता हूँ। इस जिले को राजस्थान का पिछड़ा जिला और बार्डर भी कहा जाता है, लेकिन आज तक यह जिला रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। दुर्भाग्य से पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम सिरोही रोड कर दिया गया है। जब भी हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि सिरोही रोड जुड़ा हुआ है।

हमने वहां से प्रस्ताव भेज दिया है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह है, इसका नाम चेंज करके पिंडवाड़ा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दीक्षा और शिक्षा भूमि है। एक मुख्य केंद्र होने के कारण इसे केंद्र सरकार ने रामायण परिपथ से जोड़ने का निश्चय किया है। आजादी की लड़ाई में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश-विदेश से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री यहां तीर्थाटन के लिए आते हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पहले भी आग्रह किया था। मेरा सरकार से विशेष रूप से आग्रह है कि बक्सर स्थित राज्य सरकार की हवाई पट्टी के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की अति आवश्यकता को देखते हुए छोटे सेवा विमानों द्वारा बक्सर से पटना, भागलपुर, देवघर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया तथा बनारस तक गैर सेवा या फिर कम सेवा वाले हवाई अड्डों के जरिए छोटे-छोटे शहरों और बड़े शहरों के बीच हवाई सम्पर्क शुरू करवाया जाये। साथ ही बक्सर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण कराया जाये। माननीय प्रधान मंत्री जी वहां गये थे, उन्होंने मिनी काशी कहकर उसे विकसित करने के लिए कहा है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): This is regarding facilitating the fertilizer rake points with necessary infrastructure like platform, covered shed, electricity, drinking water facility, and approach road for the trucks in Odisha. For provision of new rake points and two-point rake operation facility for better distribution of fertilizers, the Department of Fertilizers, Government of India have already requested the Railway Board. Due to non-availability of required infrastructure, the Government of Odisha has to bear around Rs. 5 crore annually.

My request to the Railway Ministry is to provide the necessary infrastructure for the smooth functioning of trucks for transportation of fertilizers in Odisha. Thank you.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again 2.30 p.m.

13.31 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.32 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Two Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MENTAL HEALTHCARE BILL, 2016

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No. 13, the Mental Healthcare Bill, 2016.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I rise to move:

“That the Bill to provide for mental healthcare and services for persons with mental illness and to protect, promote and fulfil the rights of such persons during delivery of mental healthcare and services and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

As we all know, we had come in 2014 with a Mental Health Policy. After the Mental Health Policy, there was an active consideration to change the laws related to mental health. Mental healthcare has gone a long way. If we talk about 1912, we had the Lunacy Act which was more giving seclusion and custodial treatment to the patient. It was more about coercive measures that were enunciated at that time. Later on, in 1987, we came up with the Mental Health Act of 1987. In that, it was based on the institutional-based mental health delivery. That was the basic framework on which it was working. But in the course of time, it was also found that the mental health services needed change. Broadly, because of that, we came out with the Mental Health Policy in 2014.

And now when we are coming with this Mental Health Bill which has been passed in the Rajya Sabha in August 2016, we have gone through a lot of consultations. First of all we had a consultation at the regional level. Practically in the South, in the West, in the East and in the Northern part of the country we arranged regional conferences where the stakeholders and the people working in

the mental health sector were consulted. After that we had a national consultation and after national consultation a Bill was drafted and brought before the Committee of Secretaries, and after it went through the Cabinet, Group of Ministers in the Cabinet, last year it was brought into the Rajya Sabha and it was passed, and now it is here for consideration. So, this Bill has come after due consideration on various forums and with due consultations we are coming out with this Bill.

This Bill is progressive in nature and it is patient-centric. It empowers the patient for mental healthcare. The focus is to give treatment at the community level; not seclusion but inclusion. The society should give a congenial environment in which we should see that maximum mental healthcare is given in the community and that it is community based. So, the focus is on community, and all the stakeholders who participate in the community mental healthcare are taken into consideration and that is how the focus is there. And it gives the patient, empowers the patient for the rights so that he is not denied or discriminated against because of his illness. So, it is a right-based, patient-centric, progressive and community-focused Bill that we are doing.

There is an international obligation also. We are the signatory to the United Nations Convention of Rights of Persons with Disabilities on October 1, 2007. So, that is also one of the obligations which we have to fulfil and we are going in this direction.

The unique feature of this Bill is that it has got the provision of advance directive. That means, a person who is sane, who is absolutely alright but there are chances that at a given point of time in future he may suffer some mental illness, so he can give the direction today that if mental illness happens, which type of treatment be given to me, who should take care of me, what type of facilities I would like to take, whether I would like to go into the institution-based services or community-based services, etc. This advance directive we can give. This is the novel feature of this Act which I would like to point out.

It has got the provision of nominated representative. When a person is sane, he can nominate his representative who is going to take care of him and who is going to take care of all his personal rights and his treatment part, his financial aspects. All that has to be taken into consideration. So, he can nominate his representative.

The Bill also gives rights to the mentally ill persons. As I said, it is a rights-based Bill. So, it gives right to access for mental health, community living, equality and no discrimination and confidentiality. He is also entitled for legal aid to make complaints about the deficiencies. And it can be done by his representative also. And he has a right to all medical records. So, the confidentiality is there and he also has the right to have the medical records.

Here the role of caregivers has also been recognised. When we say caregivers, caregivers are those who are community-based and serving the people. The mental health authority or the State health authority, or the District Board recognises the role of the caregivers also. In this Bill we have taken care of that also.

Mental illness, mental healthcare and determination of mental illness are defined. Previously the definition was very vague. We have defined what we mean by mental illness and that provision has been made in this.

There were many cases where people were put into the institutions for other family reasons and they were left there only. To safeguard their position, we have defined the mental illness for which he has to be treated and in which conditions he can be admitted into the institutions.

Any involuntary admission will need the consent of the authority that is district level review board. If any surgeon or any mental healthcare giver or any doctor has given a certificate that he should be admitted, then it is the board to decide whether involuntary admission has to be given to him or not.

Initially, when a person used to be mentally ill, the decision of the sterilization of the person, whether man or woman, was considered by the care

giver or by the doctor. Now this sterilization part is restricted. You cannot sterilize a patient just because he is mentally ill. Supposing the mother is insane or mentally ill, we used to see to it that the child is separated. Now, according to this Bill, we cannot separate the child for three years. If we do it, we need the support of the mental doctor or a certificate. That is how we will see to it that the child stays with the mother.

We have seen that mentally ill persons are chained. After passing of this Bill, you cannot chain a mentally ill person, whatever the reasons may be. The electro-convulsive therapy can be given only after giving anaesthesia and that too under medical supervision and consent. For mental illness, no psychosurgery can be done without informed consent.

One very important factor is that this Bill separates the attempt to suicide from the Indian Penal Code. So, it does not now invite the provisions of the Indian Penal Code, because it is said that a person goes for suicide under great mental stress. So, it is mental illness in which he is doing it. This is a very unique feature which has been brought in this Bill.

In the Bill, there is a provision of penalty from Rs. 5,000 to Rs. 50,000, penalty for imprisonment for those who do not obey these laws; punishment to individuals is also there; fine is there and imprisonment is also there. So, we have tried to see to it that the patient who is mentally ill is protected. It is right based, whatever best possible support can be given is given and no coercive method or methodology is adopted on the patient. He has got the right for the advanced directive to nominate his representative, to decide and choose which type of treatment he wants; his property and other things are protected. Accordingly, those who do not adhere to this are liable for penalty and penalty is in terms of financial penalty and also in terms of imprisonment.

I think this is a very progressive Bill. After due consideration for a long time, we have come with this Bill. Hon. Members will throw light on it and after the discussion, it may be passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to provide for mental healthcare and services for persons with mental illness and to protect, promote and fulfill the rights of such persons during delivery of mental healthcare and services and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for allowing me to speak on the topic which, frankly, has not been easy for us as a society to deal with. I must say that mental illness has been an issue which by and large we in India have preferred to brush under the carpet in the hope that it will go away or it is really not something we have to deal with. But the fact is that we do need to acknowledge, to understand and to take measures to do something about it. The big elephant in the room is the fact that every one of us actually knows somebody who has a mental health problem. We do not realise it; we may not like it; we may not be aware of it; they may not be aware of it; or they may not be conscious of it but I can assure you that not one of us in this room has failed to come across it.

HON. DEPUTY SPEAKER: All those who are in public life have all problems!

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Deputy Speaker Sir, you are right that the problems are there but we have not been giving this issue the importance that it deserves. That is why I think this debate is an important one. As our hon. Minister said that we owe it to ourselves, to our loved ones, and to the future of our society to find solutions in grappling with it. We must stop looking the other way.

As a Congressman, hon. Deputy Speaker, I am proud that this Bill was first brought to this House in 2013 by my esteemed colleague now in the Rajya Sabha, then the Union Health Minister Shri Ghulam Nabi Azad. He recognised early the necessity for India to take pro-active steps to protect the well-being of our citizens. I am sorry that in some ways it has taken so long, three years for the present

Government to bring it back but I want to congratulate Shri Nadda for his masterly exposition of the provisions of the Bill; and to congratulate the Government of today for having recognised the good work that was being done on a number of issues by its predecessors.

It is striking that we have now seen so many Bills brought to the House in the last two and a half years by this Government for which preparatory work and very often the drafting were done by the UPA Government and this is one such Bill. I think we all know there is Aadhar, there is FDI, and there is insurance reform; so many other things have come to this House thanks to the hard work done by the predecessors of this Government. I hope, they will also have the grace to acknowledge that this is the legacy of that hard work.

Let me come back to the substance of the Bill. Frankly hon. Deputy Speaker, the numbers in our country really plead for urgent measures. It is estimated that at least one in twenty people in India live with mental illness; that is about five per cent. So, fifty million of our citizens are dealing every day with a problem that we are only now starting really to even acknowledge in all its gravity. The fact is that experts think this may be an underestimate. By 2020 as much as 20 per cent of our population might be affected by mental health issues. Yet as I said, we have really ignored the problem; and very often when we have considered mental health, we have done so with ignorance and prejudice.

Let us just look for example at the past legislations on this subject. We have for instance the Lunatics Removal Act of 1851, the first legal provision on this subject; the Indian Lunatic Asylum Act of 1858; the Military Lunatics Act of 1877 – perhaps we may think that they have all gone to the other side of the border but still military lunatics had an Act here – and the Indian Lunacy Act of 1912. These were all bequeathed to us by the colonial authorities. I think many of you know what I think of many of the legal and penal provisions left behind by the colonial authorities but the fact is that their only answer to mental health problems was to

brand individuals as lunatics, confine them in so-called mad houses, physically in certain spaces and pretend that that took care of the problem.

Even just before Independence in 1946 there was a Bhure Committee, a Government Committee of Inquiry which concluded and I quote:

“The majority of mental hospitals in India are designed for detention and safe custody without regard for curative treatment.”

But I am sorry to say that this has continued largely to be the pattern even after Independence. It was easy for a foreign power dominating a subject people to incarcerate individuals and continue with the business of ruling as they saw fit but in independent India our Government is there to serve Indians. We must look after the health and well being of our own people. We owe it to our people to find answers, not to just brand them as lunatics and look the other way instead of giving assistance.

It has to be admitted that we are already late in rising to the occasion. The 1987 Act which we are now here to amend was first drafted actually in 1950. It took decades of protracted debate even to get adopted 37 years later. By the time that Act was passed, it was already out of date. It is no wonder that Human Rights Watch, for example, has reported that inmates, particularly women and children in our mental health facilities, are treated worse than animals; not only have our laws been stuck in this colonial era mindset but our own mindsets with regard to mental health have also been frozen in time and frozen in history.

As India looks to a new future in the 21st century, it must acknowledge the errors that we have made in the past. We must right long standing wrongs even if we have to accept hard truths and reorient our thinking.

It was only in 2007 that India ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, following which the UPA Government commenced the process of overhauling the antiquated Mental Health Act of 1987. Even the basics have had to be re-visited for the better. I note from Shri Nadda's

Bill that the term 'mentally ill' has been replaced with 'person with mental illness' which preserves the dignity of the individual seeking treatment. I am really grateful that Shri Nadda has continued this kind of line of logic and approach and continued the good work. On this, I want to assure you and the Government that my Party and I are with him. We agree that there is no justification for India to continue to rely on outdated and patently unjust notions of so-called treatment which really is locking people up.

The world has moved ahead. Other countries have discovered better answers. The truth is that if we can focus on helping those affected directly, helping their families, helping them within their communities, then people afflicted with mental illness can re-build their lives and move forward. It is for us as a society, if we want to be a modern, progressive society, we must do this, Mr. Chairman.

Mental health remains an issue that is not only difficult for many to comprehend but it comes as a colossal baggage of stigma. People think यह तो पागल है। This whole attitude that comes in, the way in which people are disregarded, despised, one is shunned as a mad person, a lunatic and worse if it is known that one has even been to a psychiatrist one is looked upon by many people with fear or with confusion. 'What is the matter with this person? He goes and sees a psychiatrist.' That is the attitude in our culture. The patient is painted with a brush of ignorance and very often kept at a distance. This person is not well mentally, let us keep distance from him. The real truth is this person needs medical assistance, needs help and understanding. It is an illness. It is not just a behaviour pattern.

The truth is, of course, that mental illness is a very complicated disability to gauge. When you have another kind of disability, somebody is sitting with a broken leg you can see he has a broken leg. But when somebody has a broken mind, it is extremely difficult to diagnose it. Sometimes, people as far as their appearances go seem perfectly healthy. They are happy. They come across as

social beings while confronting painful inner battles. I can tell you, Mr. Chairman, from personal experience that there is nothing sadder than witnessing a close one, a loved one, with mental illness at close quarters. I have lived with a victim of mental illness. Like many in that condition, very often such people are in a state of denial. They do not accept that they have a mental problem. They do not even go to see a doctor. Nadda Sahib is talking about how they can easily authorise somebody to help them but they do not accept that they are mentally ill. One of the first symptoms of mental illness is an inability to recognise it and to be in denial about it. They are, therefore, unwilling to seek help even after their behaviour may raise questions about their mental condition. Very often you can see in public behaviour that somebody is really not normal or right and when you say 'will you go and see a doctor as this is not a right behaviour', they will say, 'nothing wrong with me'. The truth is, it gets ten times worse with their private behaviour. Even diagnosis is a challenge. There are many-many people, perhaps even in our own profession, suffering from un-diagnosed mental illness.

I must say that we need more people to set an example of a prominent film actress. I cannot take her name in the House but she has courageously spoken out about her battle with depression and how difficult it was for her to receive understanding, let alone help for her condition. And by doing so she has brought some people out to seek help. But this is again a part of the challenge. I would urge the Minister to think in terms of how to use role models to go and say, 'I have had this problem, it can be treated. There is nothing wrong'. She is a big star in Bollywood. Therefore, her message gets across to the general public.

There are patterns, of course, that experts can notice but where even seeking an expert's assistance is sometimes treated with stigma, many are reluctant to seek help. The stigma and the lack of a support system mean that most of them must fight these battles on their own. A frustrating and isolating experience sometimes lead to such eventualities, that is, suicide, which the hon. Minister has mentioned.

Sir, the National Crime Records Bureau has calculated in 2014 that at least 15 suicides take place in India every hour. That is too many and the fact is these 15 instances in every 60 minutes is a reflection of our collective failure to recognise and solve the problem. This is what confronts us. This Bill brings to the Table an opportunity for us as a society to do better about it.

Sir, I am very glad that the hon. Minister has flagged the issue of suicide because our treatment of suicide or attempted suicide has been appalling. The fact is, suicide is now a leading cause of deaths amongst young and adults in India. On the one hand, we sing songs about the demographic dividend and the potential of our youth, but, on the other hand, do we realise how many of our young people are depressed. The world around us is changing constantly. The pressures are mounting. There are economic necessity and academic pressures. There are jobs to be found as there are no jobs in our economy today despite the assurances made by the hon. Prime Minister. We have only created a lakh and a half jobs last year when we need to create a crore. These are genuine problems. There are uprooted lives from villages to cities and from joint families to individual units. There is the weight of expectations and there is a fast pace at which familiar culture networks are being replaced by new and unfamiliar systems. It is because the people are lacking an anchor and a steady base and the nation is also in a state of transformation, as a result, our young population is lapsing into depression and disorientation and they are getting stigmatised.

In 2013, around 62,960 adolescents' suicides were reported. Most worrying, 3,594 suicides were committed by children aged between 10 and 14 years. So, these numbers obviously show that they had no one to turn to or no one to rely on and no help available. Our education system is one where we do not have counsellors. We do not have counsellors who can serve the mental health needs of our youth. We expect them to deal with the weight of expectations and performance pressures. परीक्षा पास करो। This is the whole pressure coming from home and from their peers and we expect them to do it single-handedly while we

pursue them relentlessly to do this. I hope the hon. Minister will not only take note of this alarming phenomenon, but, I hope that you can persuade your colleague Shri Javadekar to make it mandatory for educational institutions to hire professionals who can attend to the mental health needs of our students and the young. It is literally the need of the hour.

In order to try and persuade us to take cognisance of the issue, some studies have even tried to estimate the effect it has on GDP annually. I am not going to equate invaluable human life to any monetary equivalent. The children, who are our future, are falling prey to mental illness. But, let me say, to brush this issue under the carpet means to handicap the future of this nation just to satisfy our prejudices. I know that there are many Members on the other side who represent the State of Rajasthan. We have Kota where so many students go there every year to study and to pass the IIT examinations and so on. Every month there is a suicide of a student there. Can we realise what kind of an intolerable pressure we are putting our children under.

So, I do welcome the decriminalisation of suicide and your intention to look at the matter in a more comprehensive manner. But, I would like to call upon you to have a wider look on the points that I have raised and to ensure that the law enforcement agencies and those who are the first responders in incidents of suicides or attempted suicides are sensitized to the issue. In fact, we should also sensitize our media to the issue. Sometimes, our media reports suicides in such a way that encourages other depressed people to take copy cat actions and commit suicides. We have to change not only our law today but also our mindsets. That is a bigger and steeper challenge than just changing the law. That is why, this Bill must be accompanied by effective mechanisms for implementation. If we do not implement it, this law will remain on paper. You have good intentions. I really hope that you will be able to give implementation priority. We need the Government to ensure that your officers are sensitive to the needs of those who are in distress and depressed.

15.00 hours

The police should be trained to understand that an attempted suicide is a cry for help and it is not a crime. Who is going to tell this to the police, Mr. Minister? I hope you will raise this in the Cabinet. It is not only just here today in this law, it is other Ministries also that have to be conscious. In fact, if we treat attempted suicides as a crime to be punished, the police way is going to prevail over the humane way that your Bill is actually talking about. What we need to ensure is that people get help. They get guidance and assurance that they would get the helping hand that they are seeking from all of us. Then, they would find their way back to a happy and productive life. We owe it to them to extend that hand to bring them back to a meaningful life and a life full of meaning quite literally.

I am sorry to say that our educational system is so much at fault in this particular problem. I am afraid the very institutions that we have created to give our children a future are also putting them under so much of pressure that their future is disappearing.

Sir, there was a recent study which I have here, to ascertain the presence of psychological problems amongst medical under-graduates in India. Just people who are going to be doctors and who are studying medicine, half of our medical students suffer from depression, anxiety and stress as per a global study. This is 50 per cent. This is not a small matter. We have both Dr. Harsh Vardhan and Dr. Nadda sitting there. They are eminent doctors. This is the process which is producing our doctors. They need trained professionals to help them and I hope that the Bill will deliver trained professionals.

I am concerned very seriously by the gap in our professional capacities at the moment. The psychiatrists are telling us that ours is a society where psychiatrists amount to 0.2 for every one lakh people, there is one psychiatrist in our country for five lakh people. Not to speak of the shortage of nurses, psychologists, psychotherapists and even NGOs working in the mental health space which are few and far between. How can we rise to this challenge? We

have to put this issue higher on the agenda. We are discussing it on a Friday afternoon in a half empty House. The truth is that this is an issue that is a national challenge. I certainly hope that you will also contribute, Mr. Minister, to building networks to seriously rehabilitate mentally ill patients and persons who require constant assistance even after their treatment.

Now there are a number of good things in this Bill but they leave also a number of significant issues out. Even when you talk about mental health professionals, clinical psychologists and even those trained in homoeopathy, naturopathy, ayurveda and Unani who have been recognised in your Bill, but psychoanalysts, psychotherapists counselling psychologists and others have not been included in the Bill amongst the professionals who can help us and our people on mental health issues. I would request the Minister - when the Bill is adopted - to bring in a small amendment and just add these categories. When you have mentioned so many, you have failed to mention psychoanalyst, psychotherapist and counselling psychologist, it is a genuine omission and rather a serious omission. As you know, Mr. Minister, there would be no technical difficulty in just amending the Bill at the moment of adoption with one small change, especially since we are going to continue this process on Monday, I understand.

All around the world, these are the people who are assisting mental health victims and in various contexts, in the family, in the schools and hospitals and so on. The whole principle is that we should not only address mental health problems after they have emerged and have been diagnosed but we should prevent individuals from going into depression in the first place. If you have counsellors in the school system and if you have them in the medical colleges, you may be saving suicides, you may be benefiting India with future geniuses, future good doctors and so on because you have prevented them from committing suicide.

We have to help our children. We have to help our adolescents and we have to help all our citizens who are at risk. Therefore, we need a wide range of

professionals with a wide range of skills. Mr. Minister, I think we need to ensure that we create an infrastructure where mental health issues, even as they arise at the earliest of stages, can be addressed and resolved without having to wait for treatment at a later more complicated stage.

I will give you one example from my home State of Kerala. I have been informed there by the Indian Association of Clinical Psychologists that every individual who seeks mental health services whether it is a child who is learning disabilities or somebody with serious psychiatric complications, is expected to meet with a psychiatrist.

As I said there are very few psychiatrists available, but you have to meet a psychiatrist; that too, only medical science professionals, those qualified with a medical degree are deemed suitable. Those who studied behavioural sciences are treated as subordinate or inferior, whereas what we clearly need is a multi-disciplinary, multi-pronged approach that takes advantage of all that is offered in different streams, levels, layers and branches of mental health discourse and practice so that more holistic answers and solutions can be found. We want to address the issue and not to create another hierarchy of professionals when we are dealing with this issue. We are already having a very hierarchical society. Let us not reduce mental health again to being stuck in a hierarchy of professional treatment.

Sir, the Bill is very broad in its defining terms and definitions. Even individuals with, what could be deemed to be relatively minor ailments such as memory orientation, or mood disorders are brought within its purview. Now, I think, that is good. But if we are doing that then we must also be able to provide wide range of assistance at all levels; bring on board professionals with different kinds of skills and focus areas. In our society it is not just a question of people in the drawing rooms or offices that we all frequent, there are displaced persons whose lives have been devastated by natural calamities, by riots, the people who have lost their homes, the Kashmiri Pandits who have fled. What we need is

psychological first aid provided by relevant professionals. They cannot be herded into clinics of psychiatrists. They would be overwhelmed by the sheer scale of the problem. What we need, it seems to me, is different degrees of support for different kinds of professionals.

The Military has been neglected. I tried to raise a question in Parliament. It did not get asked, but I think a written answer is coming. The Military has a crying need for treating post-traumatic stress disorder, and it is not just after military engagement, obviously they have some real issues there, but even during prolonged periods of service in high tension environments, such as the LoC in Kashmir, sometimes in the North-East and so on, they need psychological counselling. Tomorrow we cannot afford a situation where one of our soldiers armed with a gun becomes mentally disturbed. The consequences could be very serious for the morale of our Armed Forces. It is cheaper and wiser and more far-seeing to just have mental health professionals available in the Army to counsel people in high stress environments.

Sir, the Bill is finally with us after nearly five years of consultation and it clearly has promise and potential. It is farsighted in looking upon mental health as a right and the delivery of mental health facilities as a responsibility of the Government. I hope the Government now will allocate significant resources to this end. I do want to say now that we have seen now three Budgets from this Government. Many essential things, particularly in the health care area as a responsibility of the Government. I hope the Government now will allocate significant resources to this end. As far the first three Budgets from this Government, many essential things, particularly in the health care area, were cut in the first two years. This year you have succeeded in getting some health care money restored, but now that you are passing a Mental Health Bill, please speak to your Finance Minister colleague to ensure that you will get the money you need to make this Bill real and operational because we have seen such schemes being really let down by the present Government. That debate is for another day. The

Government is setting up a Mental Health Review Commission to regulate patient admission and so on. That is fine. I do not talk only about resources for salaries for these people. I am talking about resources for actually getting help to the victims.

Now, on the question of violation of rights, my colleagues were mentioning and reacting when you were speaking Mr. Minister, you must appreciate that in our country very often mental health hospitals, especially women's hospitals are often packed with people who should not be there. They have been actually forced unknowingly, sometimes by their husbands, sometimes by their family members to be admitted under some pretext or the other and we really must protect people against this. The first resort is they live in their community; they live in their home and they get help and only in extreme cases of danger to themselves or others. If they are harming themselves, or harming others, then they should be put in a mental asylum. This is, at the moment, is a very worrying and disgraceful practice. We should ensure that long-term hospitalisation is only in extreme cases.

Now, Mr. Minister, you have struck a good balance in the Bill between involuntary treatment and the rights of the patient. But the fact is that when you are talking, as you just did in your introductory remarks, about them nominating a person to decide on their behalf, that is a bit worrying. Because the fact is, who decides whether one is at risk of harming oneself or another? Who decides that you are well enough to nominate somebody else or when you are not well enough that you need to nominate somebody else? In practice, we are talking about a condition that many people are in denial about. If the people are in denial and are then expected to nominate somebody else, they would not do it because they think they are not ill in the first place. Then if the nomination is coaxed under duress or if a signature is false or anything else, you are suddenly subjecting a person to involuntary treatment. I think, this is not going to be easy. I hope that you will be careful in drafting the regulations of the Bill to ensure that it is not misused because if we decide to disallow involuntary treatment, then we will be leaving out mental patients who have lost their capacity to judge their own mental state. But if

we give people unsolicited powers to impose involuntary treatment to lock up people, incarcerate people without adequate medical evidence, then we are actually opening the door to abuse and misuse. So, by instituting review procedures for hospitalisation and leaving room for medical institutions and family members to take action on behalf of a patient, I think, we should really strike a balance, Mr. Minister, not just in the Bill but in the regulations under which you will implement the Bill. You should strike the right balance, the balance that we have lacked so far and I do want to applaud you for the steps you have taken in this Bill in that direction.

I am glad that the drafting of this Bill was inclusive as Minister has mentioned. A wide range of people have offered comments, suggestions, and expertise which include the civil society and medical professionals. Indeed, we should today appreciate the efforts of the previous Government and Shri Ghulam Nabi Azad who offered a well rounded Bill and of course, Shri J.P. Nadda for keeping up the momentum and bringing it to us today.

The Bill will inevitably require refinement from time to time because the world is moving on. The treatment of mental health illnesses is getting more sophisticated each year. We have to be prepared to keep amending our provisions. But I do want to say that the issue of mental health, in our legislative process, needs to find an important place and we need to accept the progress being made in today's Bill but also that newer methods and solutions may be found.

Some may raise questions like whether we are over-reaching and whether our society is really prepared for a Bill of this nature. It might well add to the stigma with which victims are seen. Legislation, laws, sometimes have to take a leap and we have to move not only with the times but we have to move ahead of the times also.

Just earlier today, somebody was pointing out that the judiciary keeps moving ahead of us. Let us for once not give our friendly judges the opportunity to say that we are behind the times or something like this and some PIL may come

up with new farther reaching things. Let us pass this Bill soon and let us make sure that this landmark legislation you have officered us today, Mr. Minister, is implemented quickly with good regulations and is kept open for amendment as we need in the future.

I believe, future generations will be grateful to us for having laid down a much improved marker for treating mental health.

I have a couple of final points. I do want to make one more request to the hon. Minister, not to amend the Bill but just requiring your action. You need to review the existing case load of mental patients admitted in our institutions because all those who are admitted now are being admitted under the old law and that includes people who are involuntarily locked up and so on. You should give us a date by when you can review these cases.

As an MP, a case has been brought to my attention of a 46 year old woman who was forcibly institutionalised. She was drugged unconscious by health workers, brought by her doctor who said that they were giving her a vaccination. Then she was taken; she was given forced medication and electric shock therapy. Somehow her friends and relatives went to the courts and the courts ruled that she was not mentally ill and should be released. Thank God, your Bill does allow for the consent of the patient as well as the approval from the concerned Board before administering any electric shock therapy but this is what had happened to this lady.

So, if our existing laws and our existing societal biases against certain segments of people make it extremely easy to falsely institutionalise a person, then those who suffer under the previous law must not be left behind and forgotten when we pass today's law. That is why, I request you to order an inspection and review of the existing case load of those locked-up.

I do want to say something else that is of concern to my party, which is that in our country, sadly, whenever we do anything that is good for society we are forced to bear in mind that the problems are particularly severe for the poor, for

the lower castes, for the marginalised sections of the society, women, and homeless, and such people are the first victims of abuse. I want to request you that we must take monumental steps to reduce our social biases, restore the right of life with dignity that is fundamental to each person.

Just today we are talking about an MP misbehaving in an airline and certainly action must be taken. But I can tell you about an airline misbehaving with the mentally handicapped person. A person suffering from cerebral palsy was forced to leave a flight. People with physical and mental deformities are facing humiliations. ... (*Interruptions*)

We must change our attitudes. We must change the attitudes of society. All public servants must also have a constructive attitude.

Let me conclude by welcoming this legislation. I congratulate the Minister for rising to the occasion. Let us all, as a society, rise to ensure that our citizens do not fight these battles of the mind alone. Let us tell them that we as a people are here to support, to help, to hold their hand until once again they are able to stand strong and lead a healthy, happy and self-determined life. Thank you.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I rise to support the most remarkable and important Bill in the true sense which is going to do justice to the people who have mental illness. Broadly we can say that time has come in India where dignity and other human rights for persons with mental illness now shall be ensured by allowing the passage of this Bill.

Mental and behavioural issues are increasing part of health problems across the globe. Psychiatric disorders account for five to ten leading disabilities in the world. Currently mental and behavioural disorders account for around 12 per cent of global burden of diseases. The WHO has estimated that globally over 450 million people are suffering from mental disorder and this is likely to increase more by 15 per cent by 2020.

With the changing health patterns among Indians, mental, behavioural and substance-used disorders are coming to fore in the healthcare delivery system. In India nearly 150 million people are in active need of intervention for their mental illness. In India around one per cent of the population is reported with high suicidal risks. While common mental disorders like depression, anxiety, substance-used disorders are affecting nearly ten per cent of our population, very severe mental illnesses like psychosis, bio-polar disorders are affecting nearly one per cent of our population.

This Bill is very important in the sense that first of all it defines what is mental illness. For categorising somebody as suffering from mental illness or not, it is very important to define what is mental illness. The Mental Health Act, 1987 has grossly said, “any mental disorder other than mental retardation will be a mental illness.” But this Bill defines mental illness as, “a substantial disorder of thinking, mood perception, orientation or memory that grossly impairs judgement, behaviour, and capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs, but does not include mental retardation which is a condition of arrested or

incomplete development of the mind of a person, especially characterised by sub-normality of intelligence”.

This Bill seeks to fulfil India’s international obligation pursuant to the Convention of Rights of Persons with Disabilities and its optional protocol. India signed and ratified the United Nations Convention of Rights of Persons with Disabilities in October, 2007. The Convention requires the laws of the country to align with the Convention.

The Bill adopts a more understanding of mental illness than the Act of 1987. This Bill also seeks to empower persons suffering from mental illness marking a departure from the Act of 1987. But the Act of 1987 did not recognise the agency and capacity of a person suffering from mental illness, the Bill adopts a radically different approach empowering the individuals to make decisions concerning their mental healthcare or treatment. This is in line with the objective of the Convention to uphold the inherent dignity of a person with disabilities. The capacity to take decision is recognised. If an individual is able to understand his situation, if he is able to understand the foreseeable consequences of his decision and if he can communicate it, then that person can take his own decision. As the hon. Minister has rightly mentioned about advanced directive, this is a very important provision made in this Bill. Earlier, when a person was suffering from mental illness, he was not given an option whether he would like to choose the kind of treatment he wants to undergo. People were just treated like that these persons are mentally ill and they will be put in some mental asylum. But today, this provision in this Bill gives the rights to these people who are suffering from mental illness to choose the kind of treatment they want to undergo and to choose the kind of care they wish to take. So, I think, it is a very good and welcome provision that has been brought in this Bill because this will really make it mandatory for every medical officer and psychiatric doctor to provide treatment to an individual as per Advance Directive. If a person is not in a condition to decide as to what kind of treatment he should take, then the doctors or medical officers

can refer this case to the Mental Health Review Board and they can take a decision whether Advance Directive should be taken in consideration or should not be taken in consideration. This is a very good provision that the hon. Minister has brought in through this Bill.

The Bill also adopts a right based approach which has been done for the first time in mental health law in India. This is a remarkable difference that has been made from the Act of 1987. The Act of 1987 provided only general protection against cruel treatment. But Chapter V of the Bill operates as a Charter of Rights for person with mental illness, consolidating and safeguarding the basic human rights of these individuals. The Bill guarantees every person the right to access mental healthcare and treatment from mental health services. This right is meant to ensure mental health services of affordable cost, of good quality, of sufficient quantity are geographically accessible and are provided without discrimination.

The Bill also recognises the right to community living, right to live with dignity, protection from cruel, inhuman or degrading treatment, treatment equal to person with physical illness, right to relevant information concerning treatment, other rights and recourses, right to confidentiality, right to access their basic medical record, right to personal contacts and communication, right to legal aid, and recourse against deficiencies in provision of care, treatment and services. A very good provision that has been brought in through this Bill and a very good decision taken by the hon. Minister is that insurance will be provided to the patients who are having mental illness. Till date, insurance was given only to people who have physical illnesses. But now even with mental illness will get insurance.

Sir, the people, who are having mental illness, they do not have short term treatment, they have long term treatment and because the treatment is expensive, sometimes even the family is not ready to support such patients and the treatment

is left incomplete. So, this is a very welcome and a very good provision that has been provided through this Bill.

This Bill also seeks to decriminalise the attempt to commit suicide. As I just mentioned, in India one per cent of the population is at high risk of suicidal attempts. Till date, in India when a person commits suicide, that was punishable under Indian Penal Code and so, sometimes people who attempt to commit suicide never go to the doctor because of the fear that they will be tried under Indian Penal Code and they will be given punishment. So, many people who require treatment never turn up to the doctor. But due to decriminalisation of the attempt to suicide, because of this clause, even people who are attempting suicide will come to a doctor and will get treatment because this Bill says that the most important feature of the Bill is that a person attempting suicide shall be presumed, through rebuttable, to be suffering from severe stress and hence exempt from trial and punishment. Therefore, this is a very good decision that has been taken through this Bill.

As my colleague, hon. MP, Dr. Shashi Tharoor-ji mentioned that medical doctors have more stress; and, me myself being a medical doctor, I have seen, yes there is so much of stress. But I think, this step of exempting people, who are committing suicide, is a very good decision that the hon. Minister has taken. I think that this Bill will actually bring more stressful people to the doctors and they will get adequate treatment. So, I think, this is again a very good step that has been taken.

Electroconvulsive therapy (ECT), Sir, is a therapeutic treatment given to patients, who are suffering from mental disorders. I would like to highlight what is electroconvulsive therapy, which we know as 'shock treatment'. In this ECT, what happens is that the brain is stimulated and the patient gets artificial seizures/convulsions, which has to last for, at least, 20 seconds. In this case, when the patient is non-manageable or when the patient is very violent, in such conditions, ECT is given. But the contraindication to ECT is there when the

patient has any other disorders, say, the patient has brain tumour or the patient has 'raised intracranial tension'. There have been incidences where the patients have been given ECT in emergency and they have died. When the patient is brought to the hospital, he is behaving like a mentally ill person and his condition underlying is not some mental illness but some other pathological abnormality in the brain, and if he is given ECT, he may die.

So, this decision that our hon. Minister has taken through this Bill is very good that ECT will not be given in emergency. It is because in emergency, nobody does brain scans; nobody checks for 'raised intracranial tension'; and nobody checks for bipolar oedema. So, other conditions causing that kind of behaviour is not ruled out, and the patient is very blindly given ECT. So, it is a very good step that ECT will not be given in emergency.

Sir, another important provision in this Bill is that ECT will be given only with anaesthesia and muscle relaxant. Some hospitals in our country, who are treating mentally ill patients, are giving ECT without giving anaesthesia to the patient. Let me tell you that when the patient is conscious, he can see that his body is contracting, he can see that his body is getting seizures. That entire incident is so traumatic to him that he never wants to take ECT again in his life. So, this is very important that when the patient is given ECT treatment, he should be under anaesthesia and he should get muscle relaxant because his body muscles contract and he might get injuries. So, this is again a very good step.

Sir, that minors will not be given ECT, again is a very welcome step. In this Bill, a very good provision that has been made is that minors will be given ECT only after they get consent from their guardians, and the Review Board decides the case that this minor patient should get ECT treatment. So, it is again a very good decision taken as far as ECT treatment is concerned. If the patient normally on pharmacological treatment, will require a course of treatment for, say two to three months, in the ECT treatment he will recover in one to two

weeks. So, in shorter duration, the patient recovers. Plus, it has got very good benefits. So, again, it is a welcome step.

Sir, the Bill has also provisions for registration of institution and regulation sector. This also provides for creation of Central and State Mental Health Authorities. This is very important because when the institution is registered and through this Authority, there will be registration and supervision mental health establishment. To develop the quality and service norms of these establishments, to ensure registration of psychologists, mental health nurses, psychiatric social workers, to train law enforcement officials and mental health professionals about implementation of the Bill, and to advise the Government on mental health related issues, the registration of mental health establishment is made mandatory by providing for stringent penalty for violation. The registration is contingent on the establishment complying with regulation issued by relevant Authority.

Sir, again, another important decision in this Bill is the creation of Mental Health Review Board. That has adjudicatory powers over the various rights and protections guaranteed by the Bill. Further, an appeal is allowed to the High Court against any Order that is being given by the Authority or the Board, and there is a bar on jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter, which the Authority or the Board is empowered to decide. Sir, this will not replicate cases. This will help us to come to a conclusion or come to a decision faster because there is a bar on jurisdiction on civil courts. Now, the cases which are decided or reviewed by the Board will directly go to the High Court. So, again this is a very welcome step.

The Bill also makes provision for responsibility of certain other agencies. In our country, many a times we see patients with mental illness roaming here and there on the streets. Nobody is there to take care of such people. So, it is very important that such people should be taken care of. That has been taken care of by provisions made in the Bill like the Bill imposes a duty on the police officer in the charge of a police station to take under protection any person found wandering at

large within the limits of the police station; such person will be subject to examination by a medical officer and based on such examination will be either admitted to a mental health establishment or be taken to her residence or to an establishment for homeless persons.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, you can continue later on when this Bill will again be taken up for discussion.

15.31 hours**PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are taking up Private Members' Legislative Business.

Item No. 14 – Yogi Adityanath – not present.

Item No. 15 – Yogi Adityanath – not present.

Item No. 16 – Shri Shailesh Kumar.

(i) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Bhagalpur) Bill, 2016*

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Patna at Bhagalpur.”

The motion was adopted.

श्री शैलेश कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.31 ½ hours**(ii) Overseas Workers (Management and Welfare) Bill, 2016***

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के बाहर नियोजित भारतीय नागरिकों के प्रबंध और कल्याण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for management and welfare of Indian citizens employed outside the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.32 hours**(iii) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Maharajganj) Bill, 2016 ***

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की महाराजगंज में स्थापना का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Patna at Maharajganj.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.32 ½ hours**(iv) Abolition of Capital Punishment Bill, 2016***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में मृत्युदंड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of capital punishment in India.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.33 hours**(v) Meritorious Students (Assistance in Higher Studies) Bill, 2016***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मेधावी छात्रों को उनका उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for loan facilities to meritorious students for pursuing their higher studies and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.33 ½ hours**(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2016 ***
(Insertion of New Article 30A)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.34 hours**(vii) Indian Forest (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 26, etc.)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1972.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1972.”

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.35 hours**(viii) All-India Services (Amendment) Bill, 2017***
(Insertion of new section 3A)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 58, Shri A.P. Jithender Reddy.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the All-India Services Act, 1951.

HON. DEPUTY The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the All-India Services Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : I introduce the Bill.

15.35 ½ hours**(ix) Bureau of Accountability Bill, 2017***

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 53, Shri Naranbhai Kachhadia.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने, प्रशासन को कुशल बनाने के लिए जवाबदारी ब्यूरो की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Bureau of Accountability to suggest measures for rooting out corruption; making the administration efficient and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.36 hours**(x) Child Nutrition and Development Nodal Agency Bill, 2017***

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 56 Shri Jyotiraditya M. Scindia.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बच्चों में कुपोषण की पहचान करने तथा उसके उन्मूलन हेतु उच्च, मध्यम एवं न्यून भार वाले जिलों में बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के प्रचालन और पर्यवेक्षण तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और योजनाओं के साथ-साथ अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप को सुकर बनाने, समन्वित करने और समावेशित करने के लिए पोषण योजना के एक अथवा अन्य को समाहित करते हुए जो वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्यरत हैं, के निमित्त एक बालक पोषण और विकास नोडल एजेंसी का गठन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Child Nutrition and Development Nodal Agency for operation and supervision of multi-sectoral programme in high, medium and low burdened districts in mission mode to identify and eradicate malnutrition amongst children; facilitate, coordinate and converge ‘direct targeted interventions and schemes’ as well as ‘indirect multi-sectoral interventions’ covering one or the other aspects of nutrition scheme presently functioning under various Ministries of the Government of India and the State Governments and for matters connected therewith or incidental thereto”.

The motion was adopted.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 17, Shri Shivaji Adhalrao Patil – Not present. Item No. 18, Shri Shivaji Adhalrao Patil – not present. Item No. 19, Dr. Bhola Singh – not present. Item No. 20, Dr. Bhola Singh – not present. Item No. 21, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria.

15.36 ½ hours

(xi) Farmers Welfare Fund Bill, 2016*

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषक कल्याण निधि का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of Farmers Welfare Fund and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.37 hours

(xii) Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2016*

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 24, Smt. Rama Devi.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण करने के लिए प्रभावी पद्धतियों का संप्रवर्तन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

“That leave be granted to introduce a Bill to establish bribery as a criminal offence and to promote effective practices to prevent bribery in private sector and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

15.37 ½ hours

(xiii) Tourism Promotion Authority Bill, 2016*

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 25, Shri Sunil Kumar Singh.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में पर्यटन के संप्रवर्तन के लिए पर्यटन संप्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना करने उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of Tourism Promotion Authority for the promotion of tourism in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.38 hours**(xiv) Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2016***
(Amendment of section 57, etc.)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 29, Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.40 hours

**(xv) Right of Children to Free and Compulsory
Education (Amendment) Bill, 2016***
(Amendment of section 23, etc.)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.30, Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce** the Bill.

15.40 ½ hours

(xvi) Companies (Amendment) Bill, 2016*
(Amendment of section 135)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.31, Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

15.41 hours**(xvii) State of Arunachal Pradesh (Amendment) Bill , 2016***
(Amendment of section 35)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.32, Shri Ninong Ering.

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the State of Arunachal Pradesh Act, 1986.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the State of Arunachal Pradesh Act, 1986.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING: Sir, I introduce the Bill.

15.41 ½ hours**(xviii) Constitution (Amendment) Bill, 2016***
(Amendment of article 15)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.33, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.42 hours**(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2016***
(Insertion of new article 371-K)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.34, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.42 ½ hours**(xx) Constitution (Amendment) Bill, 2016***
(Amendment of article 25)

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.35, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.43 hours**(xxi) Military Service (Regulation of Transfer of Personnel Appointed on Compassionate Grounds) Bill, 2016***

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.36, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सैन्य कार्मिकों के स्थानांतरण के विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the regulation of transfer of military personnel appointed on compassionate grounds.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.43 ½ hours**(xxii) Child Development Programmes Coordination Agency Bill, 2016***

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.37, Shri Gajanan Kirtikar.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of the Child Development Programmes Coordination Agency in order to ensure smooth functioning of child development programmes and achievement of targets for such programmes within a set timeframe.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of the Child Development Programmes Coordination Agency in order to ensure smooth functioning of child development programmes and achievement of targets for such programmes within a set timeframe .”

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Sir, I introduce the Bill.

15.44 hours

(xxiii) Slums and Jhuggi-Jhopri Areas (Basic Amenities and Clearance) Bill, 2016*

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.38, Shri Gajanan Kirtikar.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for basic amenities and clearance of *Jhuggi-Jhopri* areas and slum areas.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for basic amenities and clearance of *Jhuggi-Jhopri* areas and slum areas.”

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.44 ½ hours**(xxiv) National Authority for Rehabilitation and Welfare of Persons Living around Railway Tracks Bill, 2016***

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.39, Shri Gajanan Kirtikar.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living around railway tracks.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living around railway tracks.”

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Sir, I introduce the Bill.

15.45 hours**(xxv) Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2016***
(Insertion of new sections 10A and 10B)

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.”

The motion was adopted.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.45 ½ hours**(xxvi) Solid Waste Management Bill, 2016***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रीकरण, अपशिष्ट-ऊर्जा संयंत्रों में पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोग करने तथा गैर-पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्ट का अपशिष्ट भराव-क्षेत्र परिवहन एवं उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the segregation and re-cycling of municipal solid waste, use of re-cyclable waste in waste-energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste into landfills.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.46 hours**(xxvii) Education Loan Bill, 2016***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for education loan to students.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

15.46 ½ hours**(xxviii) Jute Growers and Workers (Welfare) Bill, 2016***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पटसन उत्पादकों के लिए कच्चे पटसन हेतु सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत पटसन की उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किए गए लाभकारी मूल्यों, सरकार, अभिकरणों द्वारा कच्चे पटसन की अनिवार्य खरीद, केन्द्रीय सरकार द्वारा पटसन की फसलों के निःशुल्क अनिवार्य बीमा तथा पटसन उत्पादकों और पटसन संबंधी कार्यों में लगे हुए पटसन कामगारों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कतिपय कल्याणकारी उपायों तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of the remunerative prices for the raw jute to the jute growers, compulsory purchase of raw jute by Government agencies, compulsory insurance of Jute Crops free of cost by the Central Government and certain welfare measures to be undertaken by the Central and the State Government for the jute growers and jute workers.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.47 hours**(xxix) Handloom Weavers (Protection and Welfare) Bill, 2016***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे निराश हथकरघा बुनकरों, जो ऋण से ग्रस्त हैं, शोषित हैं और कल्याण सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे जीवन बीमा कवर, ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी और उपभोग ऋण, बच्चों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख और शिक्षण सुविधाएं, किफायती कच्चे माल की उपलब्धता, करघों का आधुनिकीकरण, आवास और सरकार द्वारा हथकरघा की अनिवार्य खरीद, को संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of distressed handloom weavers who are debt ridden, exploited and are committing suicide for welfare measures like life insurance coverage, interest free working capital and consumption loan, healthcare, educational facilities to the children, availability of affordable raw material, modernisation of looms, housing and compulsory purchase of handloom cloth by Government.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.47 ½ hours**(xxx) Compulsory Voting Bill, 2016***

श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country.”

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

The motion was adopted.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.48 hours

(xxxii) Reservation of Posts in Services and Seats in Educational Institutions for Persons Living in Economically Backward Areas Bill, 2016*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित लोगों के जीवन-यापन के स्तर में सुधार करने और स्वतंत्रता के पश्चात् देश द्वारा दी गई प्रगति के लाभ उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवाओं में पदों तथा सभी श्रेणियों की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण देने तथा उनसे संसक्त वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reservation of posts in the services of the Central Government and Public Sector Undertakings and seats in all classes of educational institutions for the persons living in economically backward areas in the country with a view to improving their living standard and expending them the benefits of progress made by the country after independence and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.48 ½ hours**(xxxii) Provision of Uninterrupted Power Supply to Industries in Backward Areas Bill, 2016***

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को ऐसे क्षेत्रों में समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा उनसे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for uninterrupted power supply to the industrial units operating in the industrially backward areas of the country by the Central Government to ensure the overall industrial development of such areas and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

15.50 hours**(xxxiii) Clinical Trial of Drugs on Patients (Regulation) Bill, 2016***

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि देश में विभिन्न औषधियों के क्लीनिकल भेषजगुण विज्ञान या प्रतिकूल प्रभावों का सत्यापन करने, उनकी सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता का अवधारण करने, और इन कंपनियों द्वारा किसी भी सूचना या संविदा के अभाव में इन परीक्षणों के अधीन रोगियों के हितों का संरक्षण करने के लिए विभिन्न भोज कंपनियों द्वारा रोगियों पर क्लीनिकल परीक्षणों का विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनवृत्तिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to regulate clinical trials of various new drugs on patients being conducted by various

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

pharmaceutical companies in the country to verify their clinical pharmacology or adverse effects; to determine their safety and efficacy; and to protect the interests of patients undergoing these trials in the absence of any information or contract by these companies and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

15.50 ½ hours

(xxxiv) Girl Child and Adolescent Girl (Welfare) Bill, 2016*

श्री ए.टी. नाना पाटील(जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिका और किशोरियों को कुपोषण, रक्ताल्पता और उन्हें रोगग्रस्त करने वाले विभिन्न रोगों से संरक्षण तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of girl child and adolescent girls from malnutrition, anaemia and various diseases afflicting them and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item Nos. 50 and 51, Shri Ravneet Singh -- not present.

Item No. 52, Shri Santokh Singh Chaudhary.

15.51 hours

(xxxv) Constitution (Amendment) Bill , 2016*
(Amendment of article 16)

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY (JALANDHAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY: I introduce the Bill.

15.51 ½ hours

(xxxvi) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill , 2017*
(Amendment of the Schedule)

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Schedule Tribes) Order, 1950.”

The motion was adopted.

श्री विद्युत वरण महतो: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.52 hours**(xxxvii) Designation of States As Sponsor of Terrorism Bill, 2017***

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I beg to move for leave to introduce a Bill to designate certain States as sponsor of terrorism, to provide for withdrawal of trade relations with such States, to create legal, economic and travel sanctions, for the citizens of such States and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to designate certain States as sponsor of terrorism, to provide for withdrawal of trade relations with such States, to create legal, economic and travel sanctions, for the citizens of such States and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ARVIND SAWANT : I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item Nos. 59, 60 and 61, Shrimati Darshana Vikram Jardosh -- not present.

Item No. 62, Shri Ninong Ering.

15.52 ½ hours**(xxxviii) Compulsory Teaching of North-East Culture
in Educational Institution Bill, 2017***

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of North-East Culture in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of North-East Culture in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING: I introduce the Bill.

15.53 hours

(xxxix) National Skills University Bill, 2017*

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill to promote quality skill education in an integrated manner with higher education in the context of the demographic dividend and meeting the qualified skill requirements of a growing national economy and for that purpose to address gaps in the institutional delivery framework in skill education by establishing National Skills Universities as institutions of national importance for imparting skill education and to develop qualified youth with skill proficiencies and standardized competencies around national principles and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to promote quality skill education in an integrated manner with higher education in the context of the demographic dividend and meeting the qualified skill requirements of a growing national economy and for that purpose to address gaps in the institutional delivery framework in skill education by establishing National Skills Universities as institutions of national importance for imparting skill education and to develop qualified youth with skill proficiencies and standardized competencies around national principles and to provide for certain

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

other matters connected with such institutions or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. KIRIT SOMAIYA: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria – Not present.

15.55 hours

(xl) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new sections 6A to 6D)

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.”

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.55 ½ hours

(xli) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI : I introduce the Bill.

15.56 hours

**(xlii) National Tribal Research and Development
University Bill, 2017***

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a research and teaching university at East Siang in the State of Arunachal Pradesh to facilitate and promote research in the domain of tribal studies and to provide for matters therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a research and teaching university at East Siang in the State of Arunachal Pradesh to facilitate and promote research in the domain of tribal studies and to provide for matters therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.56 ½ hours**(xliii) Turmeric Board Bill, 2017***

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of export of turmeric and for the control of turmeric industry including the control of cultivation of turmeric and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of export of turmeric and for the control of turmeric industry including the control of cultivation of turmeric and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I introduce the Bill.

15.57hours**(xliv) Compulsory Teaching of Sanskrit Language
in Schools Bill, 2017***

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the teaching of Sanskrit as a compulsory language in schools.”

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.57 ½ hours

(xiv) Education Loan to Students Belonging to Economically Weaker Section Bill, 2017*

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for education loan to students belonging to economically weaker section and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

15.58 hours**SIXTH SCHEDULE TO THE
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015 - Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 73. Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, विसेंट पाला जी, जो हमारे मित्र हैं, वे जो बिल लेकर आए, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि देखने में यह बिल बहुत छोटा लगता है, लगता है कि बहुत छोटा संशोधन है, लेकिन पूरी की पूरी जो छठे शैड्यूल की आत्मा है, उसमें जो उन्होंने तीन पाइंट दिये हैं कि जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी जाए, खान और खनिजों से संबंधित आदिवासियों की परम्परागत उपजीविकाओं को जिला परिषद की विधायी सक्षमता के अंदर लाया जाए और आदिवासियों की रूढ़िजन्य पद्धतियों और हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव है। मूल में आदिवासियों का विकास हो, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह खुद ही आदिवासी बहुल्य इलाका संथाल परगना है।

16.00 hours

यह पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और हम छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद अंग्रेजों की नीतियों के कारण आदिवासी समाज का विकास आज तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। श्री विनसेंट एच. पाला कांग्रेस के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जे.बी. पटनायक जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल भी बनाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर छठी अनुसूची क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हम आज कहां खड़े हैं। मैं पटनायक जी को क्वोट कर रहा हूँ -

“In the Sixth Schedule Areas, there is no decentralization of powers and administration. There is no Panchayat and Parishad. All you have is only a District Council which elects a few people and they enjoy unbridled power, but democracy demands that power should not be concentrated in a few hands.”

आर्टिकल-275 और 342, आप जितने आर्टिकल्स की बात करेंगे, उसमें पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के लिए सारे अधिकार कांस्टीट्यूशन ने गवर्नर के ऊपर निहित किए हैं। गवर्नर को अधिकार है कि

वह अलग से इस क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट कर पाए, अलग से सोच पाए, अलग से मीटिंग कर पाए, क्योंकि कांस्टीट्यूशनली यह माना जाता है कि इस तरह के पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची एरिया को हम डायरेक्ट देखते हैं। आप देखें कि गवर्नर साहब क्या कहते हैं, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के बाद गवर्नर बने हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक बैठे-बैठे किसी ब्यूरोक्रेट को गवर्नर बना दिया। वे ओडिसा जैसे राज्य के मुख्य मंत्री रहे। यदि किसी राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा 32-33 परसेंट के आस-पास है, तो वह ओडिसा राज्य है। वे 15 साल तक ओडिसा के मुख्य मंत्री रहे। वे इसके आगे कहते हैं -

“Units should be created that will represent people at all strata, for instance, the MGNREGA scheme is implemented at the Panchayat level. Money comes directly to the Panchayats. If there is no Panchayat, there is no representation at the village level. Where will the money from the Centre go to?”

पैसा मिल ही नहीं रहा है, चाहे 12वें वित्त आयोग का पैसा हो, 13वें वित्त आयोग का पैसा हो, 14वें वित्त आयोग का पैसा हो। मनरेगा जैसी बड़ी योजना है, लेकिन वहां पंचायत सिस्टम नहीं है। आप देखिए कि वह इलाका किस तरह से पैसे से महरूम रहा है। वहां पैसा नहीं मिल रहा है और यदि पैसा नहीं मिलेगा, तो गरीबों का वहां से पलायन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि नार्थ-ईस्ट के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं और शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। यह देश जितना हमारा है, उनका भी उतना ही यह देश है। उन्हें भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। जब वे दिल्ली आते हैं, तो बार-बार आरोप लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या किसी दूसरी जगह भी जाते हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसका कारण यह है कि हम वहां एक अच्छी यूनीवर्सिटी डेवलप नहीं कर पाए हैं। हम वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का पूरा अधिकार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का ही है और यह काम कैसे फेल हुआ है, यह मैं आपको बताऊंगा। वे कह रहे हैं -

“The non-Sixth Schedule Areas are more developed than the Sixth Schedule ones. While the Sixth Schedule was enacted for giving more benefit to the people and bring development at a faster pace, the result on the ground has been opposite.”

यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैंने स्वयं आपको कहा है कि मैं जिस इलाके से आता हूं, उसका कुछ इलाका जैसे गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, उसके दो ब्लॉक पांचवीं अनुसूची में हैं। जिला दुमका पूरा का

पूरा पांचवीं अनुसूची में है। मैं मानता हूँ कि पांचवीं अनुसूची में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन छठी अनुसूची, जिसे कि कांस्टीट्यूशन ने दिया, उसमें कम डेवलपमेंट हुआ। मैं अपनी बात कहते हुए बताऊंगा कि किस तरह से नेहरू जी ने इन चीजों को किया और छैन्बठी अनुसूची की क्या आवश्यकता होगी।

Practically, there is very little development in these areas. There is large scale unemployment. आप किस लिए मांग रहे हैं? पाला साहब आप उस एरिया से आते हैं और मैंने जैसा कहा कि वहां से लोग केवल पढ़ाई के लिए ही बाहर नहीं आ रहे हैं, वह पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए है कि वहां इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है और इंडस्ट्री इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और केन्द्र के बीच कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। वहां के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस बात को कोई सोचने को तैयार नहीं है। Under such circumstances, where will the young people go? They are becoming easy targets for rebel elements who take full advantage of the situation and recruit them. इन्होंने परेशानी बतायी की पूरे नॉर्थ-ईस्ट की क्या समस्या है? मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड में समस्या है। उल्फा के कारण बांग्लादेश और त्रिपुरा बॉर्डर पर समस्या है। वहां मिलिटैसी बढ़ रही है। वहां का यूथ अपने को देश का हिस्सा नहीं मानता है। उसका कारण यह है कि वह सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। वह सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि वहां डेवलपमेंट का जो तरीका है, सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है, उसको न राज्य सरकार और न ही सिक्स्थ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको कर रहे हैं।

In my view, whoever is corrupt should be dealt with strongly. A CBI Inquiry is on. Prosecution will start any moment against those found guilty. If any new formation including new names comes up, the CBI should take up the cases. No corrupt persons should be protected. The North-Cachar Autonomous Council in Dima Hasao District is under the scrutiny of the NIA and the CBI for the alleged misappropriation of over Rs.1,000 crore of Government fund. 90-10 का हिसाब है, पूरे देश में 60-40 का है, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो। हम जो टैक्स इंसेंटिव देते हैं और आपको पता है कि डिमॉनेटाइजेशन के समय सारा पैसा नॉर्थ-ईस्ट के बैंकों में जमा किया जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? वह इसलिए हो रहा था कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट का डेवलपमेंट हो। लेकिन वहां डेवलपमेंट के नाम पर केवल पैसे की चोरी हो रही है। और कोई भी आदमी इसको देखने वाला नहीं है। पाला साहब यदि आप कॉम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आते और इन सब समस्याओं के बारे में सोचते तो अच्छा होता। यहां किरेन रिजीजू साहब और आप मुझ से कई

गुना ज्यादा नॉर्थ-ईस्ट की समस्याओं के बारे में जानते हैं। यहां यह देखते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आप लोगों को थोड़ा टफ शब्दों में बोलना होगा, क्योंकि इलैक्शन का सवाल होता है। इलैक्शन के समय में कोई भी सही बात नहीं बोलता है, यदि कोई बोलेगा तो चुनाव हार जाएगा। हम भी किसी एरिया को रिप्रजेंट करते हैं और हम भी किसी एरिया के बारे में खुलकर नहीं बोल सकते हैं। चूंकि नॉर्थ-ईस्ट में मेरा सांसद के नाते बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे देश को समझने की आवश्यकता है कि क्या कारण हैं?

पहला कारण है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। वहां ऑडिट सिस्टम फेल हो चुका है। डेवलपमेंट का सारा पैसा कहां जा रहा है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति चिंतित नहीं है। आर्टिकल 275 में यह दिया गया है कि राज्य के क्या अधिकार होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या अधिकार होंगे और वह एक-दूसरे के अधिकार को ओवरलैप कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक व्यक्ति रिप्रजेंट कर रहा है और राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रजेंट कर रहा है। आर्टिकल 275 की भावना पूरी की पूरी वहां लागू नहीं हो रही है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोऑर्डिनेशन वर्क पूरा का पूरा तबाह हो गया है।

उसी तरह से शेड्यूल 6 के अंडर पैरा 318, वह जो ले डाउन कर रहा है कि कोई भी कानून जब तक कि वहां लागू नहीं होगा, जैसे पार्लियामेंट यदि कोई कानून पास करती है तो यह शेड्यूल 6 के एरिया में लागू नहीं होगा, लागू तब होगा जब उसको वहां की डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एक्सेप्ट करेगी। आपने मिजोरम के केस में क्या किया? उसमें एक पैरा 12(बी) जो है, उसे शेड्यूल 6 में डाल दिया गया और वह लेजिस्लेचर को ओवर राइडिंग पॉवर दे रहा है। आप यह समझिए कि जिस मजबूती के लिए हमने यह काम किया, हमने वहां ओवर राइडिंग पॉवर 12(बी) देकर वहां के शेड्यूल 6 की चीजों को डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। उसी तरह से एक बड़ा प्रश्न यह है कि प्रधान कौन होगा और प्रधान का सेलेक्शन क्या होगा? शेड्यूल 6 में यह है कि 3 जी में डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, four hours' time allotted for discussion on the Bill is almost exhausted. As there are three more Members to take part in the discussion on the Bill, if the House agrees, the time for discussion on the Bill may be extended by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Agreed.

HON. DEPUTY SPEAKER: The time is extended by one hour.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJU): One hour would be insufficient for him, Sir!

HON. DEPUTY SPEAKER: He can conclude in one minute also; he knows how to speak.

श्री निशिकान्त दुबे: मैं केवल बिल पर ही बोल रहा हूँ। मैं 6 शेड्यूल से हटकर कहीं दायें-बायें नहीं जा रहा हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: There are three Members more to speak and the Minister has to reply. Please keep that in mind.

श्री निशिकान्त दुबे: मैं यह कह रहा हूँ कि वर्ष 1971 में जो मिजो डिस्ट्रिक्ट हिल एरिया है, उसको स्टेटहुड वर्ष 1986 में मिला। वहां प्रधान का सैलेक्शन कैसे होगा, वह सैलेक्शन का अधिकार स्टेट ने अपने पास रख लिया। इस कारण शेड्यूल 6 की चीज़ स्वयं डाइल्यूट हो गई। वह जिस दिन से दिया है, उसी दिन से डाइल्यूट हो रहा है। मुझे लगता है कि आजकल ट्राइबल्स की जो स्थिति है, खासकर शेड्यूल 6 एरिया की, सर, मिस्टर पाला यहां आए हुए हैं, मैं निदा फाजली की एक कविता सुनाना चाहूंगा।

इंसान में हैवान यहां भी हैं, वहां भी हैं,
अल्लाह निगेहबान यहां भी है, वहां भी है।
खूंखार दरिदों के फकत नाम अलग हैं,
शहरों में बयाबान यहां भी है, वहां भी है।
उठता है दिलो जान से धुआँ दोनों तरफ ही,
ये मीर के दीवाने यहां भी हैं, वहां भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज के लिए शेड्यूल 6 आया, जिन लोगों के जिम्मे दिया गया, वे सारी चीजें आज कहीं न कहीं फेल नजर आ रही हैं। जब यह संविधान बन रहा था तो इसके ऊपर काफी लड़ाई हुई। एक बारदोली कॉन्स्टीट्यूएंट असेंबली में बारदोली कमेटी बनी। अम्बेडकर साहब भी थे। एक सब कमेटी बनी और सब कमेटी ने वर्ष 1946 को एक रिपोर्ट दी कि फाइनली शेड्यूल 6 क्यों होना चाहिए।

“Sub-committee sought to evolve a system by which it could be possible to remove the apprehensions of the tribal people, simple and backward as they were, so they might not be exploited, subjugated and oppressed by the more advanced people.”

इस कारण से यह सब-कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। सब-कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर हिल काउन्सिल बनी। मान लिया, बहुत अच्छी बनी, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के

इतिहास को पहले देखने की आवश्यकता है। मगध साम्राज्य के समय इसकी एक बड़ी अच्छी स्थिति थी और अंत महात्या कहकर कोई राजा के तौर पर उसको विकसित किया जाता था। आप समझिए कि रूल कैसे किया जाएगा। अशोका डायनेस्टी के समय प्लेन में ट्राइब्स में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। जब मुगल आए तो मुगलों ने उसी तरह से सैनिकों की छावनी बनाकर नार्थ-ईस्ट को एक आम आदमी की तरह से देखने का प्रयास किया। ट्राइबल्स को अलग करने के जो चेंजिज स्टार्ट हुए कि ट्राइबल्स अलग हैं, आर्य अलग हैं, अनार्य अलग हैं, द्रविड़ अलग हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, वे देश के नागरिक हैं, यह जो शुरू हुआ, यह शुरू क्यों हुआ और इसके पीछे जो इतिहास है कि 1854 में एच.एम.ग्रोव की हत्या हुई। मैं आपको बताऊं कि संथाल म्यूटिनी के पहले, 1857 की क्रांति के पहले, 1855 में संथाल म्यूटिनी हुई और मैं जिस इलाके से आता हूँ, वहीं संथाल म्यूटिनी हुई। भागलपुर, जो मेरा जिला है, वहां 1776 में तिलका मांझी को फ्रांसी पर लटकाया गया था। उसके पहले नार्थ-ईस्ट में जब-जब ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की, अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब-तब वहां अटैक हुआ।

पाला साहब को ध्यान होगा कि 1911 में 42 लोगों की हत्या हुई, उसमें विलियमसन और गार्सन की हत्या हुई थी। नार्थ-ईस्ट के इतिहास में 1911 एक खूनी इतिहास के तौर पर माना गया और इस कारण उन लोगों को यह लगा कि यहां शासन करना मुश्किल है। मैंने 1855 की जो संथाल म्यूटिनी की बात की, ट्राइबल्स किसी का कंट्रोल सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें लगता था कि यह देश हमारा है, इस देश में यदि रहना है, इस देश में सारा अधिकार क्षेत्र हमारा है और ये जो विदेशी आ रहे हैं, इन विदेशियों के साथ मुकाबला करना चाहिए। उनका इतिहास इतना सशक्त था कि वे किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार रहते थे। यह बात जब ब्रिटिशर्स के दिमाग में आ गई तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि इसका डैवलपमेंट कैसे नहीं हो और दूसरा, ये कैसे भारत के अन्य लोगों से अलग हैं, मैदानी लोगों से कैसे अलग हैं, उस तरह की स्कीम उन्होंने बनानी स्टार्ट की और उसके आधार पर यह कानून उन्होंने बनाया। जब भारत आजाद हुआ तो चाहे गांधी जी हों, गांधी जी के अनुयायी ए.बी.ठक्कर हों या देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू हों, उन सभी का यह कहना था कि आदिवासी और गैर-आदिवासियों के बीच में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसी शासन पद्धति नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि आदिवासियों को जिंदगी भर यह लगता रहे कि हम आदिवासी हैं।

मैं नेहरू जी को कोट करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जब कमेटी बनाई तो उन्होंने कहा - **We must let them feel that we come to give and not to take something away from them.** यह नेहरू जी ने उस वक्त कहा और नेहरू जी ने कहा कि जो एलविन की कमेटी की रिपोर्ट बनी और जिसने एक मिडिल पाथ की बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि भारत देश स्वतंत्र हो गया है, यह देश

जितना हमारा है, उतना उनका भी है। उन्हें यह फील होना चाहिए कि हम उनसे कुछ लेने नहीं आ रहे हैं। आज जब आप खान और खनिज की बात कर रहे हो, पाला साहब आप जो संशोधन लेकर आए हो, वहां हम पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा यूरेनियम और थोरियम का भंडार है, कोयले का भंडार है। लेकिन न वहां यूरेनियम की कोई यूनिट आ पा रही है और न थोरियम की कोई यूनिट आ रही है। आपके खुद के राज्य में कोयले का इतना भंडार है, आपको पता है कि आप कोयले के मामले में बहुत रिच हो। लेकिन कोयले पर आधारित कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हमारा काम है और यह देश के दूसरे कोने में चला जायेगा, जो हमारा क्षेत्र नहीं है।

यह जो सिक्स्थ शेड्यूल है, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आया है जिसमें एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है। इस चीज को नेहरू जी उस वक्त जानते थे। 1950-51 का उनका भाषण मैं कोट कर रहा हूँ, वह कहते थे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी, नेहरू जी की थ्योरी थी - ट्राइबल पंचशील। उन्होंने पांच थ्योरी दीं और उन्होंने कहा कि इनके आधार पर शासन व्यवस्था बढ़नी चाहिए। ट्राइबल पंचशील की पहली थ्योरी थी - *People should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them. We should try to encourage in every way their own traditional arts and culture.* परंतु क्या यह पूरा कर पाए, क्योंकि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था, प्रह्लाद सिंह पटेल साहब यहां बैठे हुए हैं, वह मणिपुर में सरकार बनाकर आए हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज वहां क्या सिचुएशन है। आज आप लड़ाई कर रहे हैं। उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है? आप इसको स्वीकार करना चाहें या न करना चाहें, यदि हम क्रिश्चैनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या ट्राइबल कल्चर बच पा रहा है? ट्राइबल का अपना एक अलग कल्चर है। उन्होंने कभी वहां जा कर पूजा-पाठ नहीं किया है। वे कभी क्रिश्चियन मिशनरी के चक्कर में नहीं रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि सन् 1846 से लेकर आज तक का उनका इतिहास है कि उन्होंने इसका विरोध किया है। आज वहां पूरा का पूरा नॉर्थ-ईस्ट कन्वर्ट हो गया है। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या जो नेहरू जी चाहते थे, यह पिछले 60-70 साल में हुआ है, अपने वहां भी शासन किया है। चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सवाल हो, चाहे स्टेट का सवाल हो, चाहे सैंटर का सवाल हो, सब जगह आपने ही शासन किया है। आज वह पंचशील का सिद्धांत, इस कारण से ट्राइबल पिपुल्स को यह लगता है कि हम अपने कल्चर को बचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उनका सिद्धांत था कि :-

“Tribal rights in land and forest should be respected.”

आज हम उनको नहीं दे रहे हैं। किस तरह से नेहरू जी ने जो बातें कहीं, उन्होंने किस तरह से उनको पलटा, यह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सन् 1950-52 के बाद से ही यह 6th schedule और यह सब बनने के बाद ही उनका फॉरेस्ट राइट ले लिया, जो कि पेसा कानून के तहत हो गया। तीसरा सिद्धांत उन्होंने कहा कि :-

“We should try to train and build up a team of their own people to do the work of administration and development. Some technical person from our side will no doubt be needed especially in the beginning. But we should avoid introducing too many outsiders into the tribal territory.”

क्या आज वहां बाहर के लोग नहीं जा रहे हैं? बहुत से लोग जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया गया? क्या ऐसा कारण था? आपने कानून तो बना लिया, लेकिन जो करप्शन है, जो नैपोटिज़्म है, कुछ लोगों के हाथों में ये जो चीज़ें हैं, बाहर के लोगों को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? इसके बाद चौथा सिद्धांत है कि:-

“We should not over-administer these areas or overwhelm them with multiplicity of schemes. We should rather work through and not in rivalry to their own social and cultural institutions.”

जिस बात को ट्राइबल पंचशील में कहा गया, आज क्या हो रहा है, आज जो शिड्युल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट को मानने को तैयार नहीं है। स्टेट, सेंटर की बातों को इम्प्लिमेंट करने को तैयार नहीं है। 90-10 के सिस्टम के बाद भी आज यह फ़ैक्ट है कि केवल और केवल ठेकेदार, नॉर्थ-ईस्ट का पैसा, आपको पता है कि 1600 करोड़ रुपये हमारी सरकार वहां खर्च करना चाहती है, नॉर्थ-ईस्ट का मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। ट्राइबल के मंत्रालय के बारे में आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। लेकिन दस सालों में आपने क्या काम किया है? वहां किस तरह का विकास हुआ है? वहां रोड नहीं है, रेल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, गैस नहीं है। इसके बाद जो पांचवा सिद्धांत है कि :-

“We should judge results not by statistics or the amount of money spent, but by the quality of human character that has evolved.”

लेकिन क्या हो गया कि हम केवल पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैंने आपको कही कि प्राइमरी एजुकेशन, टैक्स कलैक्शन, आदि ये सारी चीजें आपके 6th schedule में मौजूद हैं। सबसे बुरी स्थिति, यदि जे.बी. पटनायक को कोट करें, यदि अपने प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन और सांख्यिकी विभाग को कोट करें, यदि विश्व बैंक की रिपोर्ट को कोट करें, यदि आई.एम.एफ. की रिपोर्ट को कोट करें तो पता चलेगा कि नॉर्थ-ईस्ट में 6th schedule का जो एरिया है, प्राइमरी एजुकेशन का लैवल उसमें सबसे कम है, उसकी सबसे बुरी स्थिति है। इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। उसके बाद आपने क्या किया है। मैं आपको बताऊं कि सन् 1952 में जो ट्राइबल राइट्स की बात थी और फॉरेस्ट की बात थी, यह बात देश के लिए सोचने वाली है कि कांग्रेस वाले कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उसमें भी मैं पहले प्रधान मंत्री की बात कर रहा हूँ, सन् 1952 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, सन् 1952 की नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई। उसने कहा कि:-

“The release of forest land for cultivation subject to certain safeguards was there in the old policy whereas the new policy withdrew the concession.”

जो पुरानी पॉलिसी थी, आप पंचशील का सिद्धांत ले कर आए, मतलब आप समझें कि वोट बैंक की पॉलिसी कांग्रेस कैसे करती रही। किस तरह से आपने 6th schedule के नाम पर एक झुनझुना पकड़ा दिया, यह कह कर कि आपका विकास होगा, आपकी सभी चीजें होंगी और स्थिति क्या पैदा हुई? सिचुएशन यह पैदा हुई कि जो फॉरेस्ट लैंड के कल्टिवेशन का अधिकार ट्राइबल के पास था, उसने उस कन्सेशन को बाहर कर लिया। दूसरा काम क्या किया, ओल्ड पॉलिसी में क्या था:

“The old policy had left a margin for the supply of the villagers’ requirements from the outlying areas in the reserved forests and the new policy decided to have village forests for this purpose.”

मतलब आप यह समझिये कि वह रिजर्व फॉरेस्ट को आउटलाइन करता था। अब आपने कहीं भी, राज्य सरकार तय कर ले कि यह फॉरेस्ट है, आप उसी में काम करो, लेकिन उनका जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह मैंने नहीं किया, यह वर्ष 1952 में कांग्रेस की आपकी सरकार थी, उसने किस तरह से फॉरेस्ट राइट्स, जिसकी आप बात लेकर आ रहे हो, खान, खनिज, सम्पदा, कल्टिवेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरह हुआ।

तीसरा, जो है, वह फ्री गेजिंग है, आपको पता है कि हम यहाँ जितने भी मंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, सभी जगह चरागाह के लिए जगह निर्धारित है। जितने भी गाँव हैं, इस देश में कोई ऐसा गाँव नहीं

है, जहाँ वह जमीन निर्धारित नहीं है, वह आज भी निर्धारित है। सबसे मुश्किल काम है उस लैंड को ट्रांसफर करना और वह लैंड ट्रांसफर तभी होगी, जब उसी पंचायत में या उसी जगह पर हम कहीं दूसरी लैंड दे देंगे। यह नहीं है कि सरकार उस जमीन को ले लेगी, क्योंकि उनको गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को खिलाने की आवश्यकता है। वह सबसे मुश्किल काम है। यह कहा कि:

“Free grazing of cattle in the forest was there in the old policy whereas the new policy has brought it under control.”

अब आप पूछकर जाइए। पहले यह था कि जहाँ जंगल, झाड़ आदि है, वहाँ आप खिलाते रहिए, लेकिन जो वर्ष 1952 की न्यू पॉलिसी बनी, उसने उस अधिकार को, ट्राइबल किस तरह से मिलिटेन्ट हुए, किस तरह से नॉर्थ-ईस्ट अपने आपको वॉ तक इस देश का पार्ट नहीं मान पाया। इस तरह के मूवमेन्ट पैदा हुए, उसमें कौन-कौन सी पॉलिसी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस का होता है कि कोई चीज खत्म हो गई, आप समझिए कि जब इसके ऊपर समस्या आयी तो एक डेबर कमेटी बन गयी। डेबर कमेटी हो गई तो बलवंत राय मेहता की कमेटी बन गई। बलवंत राय मेहता कमेटी से पिन्ड छूटा तो वेंकटचलैया कमेटी बन गई। वेंकटचलैया कमेटी से पीछा छुड़ा तो कोई एक और कमेटी बन गई। इस तरह की कमेटियाँ बनाने का खेल कांग्रेस हमेशा करती रहती है। इसके बाद चौथा यह था:

“The old policy did not touch the private forests of the tribals. The new policy has placed restrictions to them.”

जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, यह ठीक है कि यदि हम लोग भी पेड़-पौधे लगाते हैं, यदि उसको काटने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी आवश्यकता होती है कि हम उसे काटें या न काटें। आपने पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अब उसको कुछ नहीं कर सकते हो और वहाँ, मैं आपको बताऊँ कि ट्राइबल की एक ऐसी संस्कृति है, जिस संस्कृति के नष्ट होने के लिए मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कन्वर्शन हो रहा है और वह संस्कृति को नष्ट कर रहा है। ट्राइबल उन्हें पूजते हैं, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आता हूँ, पेड़ उनके लिए भगवान की तरह हैं। आपने ठेकेदार को वहाँ डाल दिया। यह काम वह ठेकेदार कर रहा है, जो ट्राइबल नहीं है, जो बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी बिचौलिया बनकर यह काम करता था तो बाहर के कान्ट्रेक्टर को रोकने के बदले उससे पैसा लेकर, उससे करप्शन करके आपने पूरे रूल को ही बदल दिया। यह काम आपने किया। पाँचवाँ जो सबसे बड़ा किया कि:

“The new policy made one important concession. It admitted that while it was emphatically opposed to shifting cultivation, persuasive and not coercive measures should be used in a sort of missionary, rather in an authoritarian manner to attempt to wean the tribals from their traditional method”

आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप कल्टिवेशन की तरफ चले जाओ। आप यह काम मत कीजिए, वह काम मत कीजिए, पूजा मत कीजिए, आप पढ़ाई की तरफ चले जाओ। आप यदि इस तरह से रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो हालत कितनी खराब होगी। उसका ही यह सब नतीजा है कि आज भी वह इलाका डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद वहाँ बड़ा आन्दोलन हो गया, चीजें हो गईं, लोगों को लगा कि अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, कहीं एक अलग राज्य की माँग होने लगी, सिक्स्थ शेड्यूल के और भी एरिया की माँग होने लगी, तो एक डेबर कमेटी बन गई। डेबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जब डेबर कमेटी की रिपोर्ट से आदमी संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊँ कि एक बलवंत राय कमेटी बनी। बलवंत राय कमेटी को ट्राइबल एरिया के लिए कैसे डेवलपमेंट होगा, इसके लिए कहा गया कि आप रिकमंडेशन दीजिए। आज तक बलवंत राय कमेटी की रिकमंडेशंस इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पायीं। उसने पहली रिकमंडेशन क्या की, उसने कहा कि:

“Like other blocks, Budget for development work in tribal areas should be for six years.”

चुनाव कितने सालों के लिए? पांच सालों के लिए। स्टेट का चुनाव अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव अलग होता है। मैं उस विषय पर जाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बीच में ही भंग भी किया जा सकता है, यदि वह राज्य के हिसाब से नहीं चल सकता। क्या आज तक ब्लॉक के लेवल पर कोई बजट बन पाया? उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट की इकाई आप ब्लॉक को मानिए। पर, आप उसके लिए ब्लॉक को नहीं मानते, आप तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक इकाई मानते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन यह है कि तेरहवें वित्त आयोग का, चौदहवें वित्त आयोग का पैसा वहां नहीं जा पा रहा है। मनरेगा जैसी योजनाएं वहां लागू करने में ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। यह वर्ष 1981 की बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है। हम लोग यहां बलवंत राय मेहता रोड पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बलवंत राय मेहता ने किस तरह की रिपोर्ट दी थी।

दूसरी उन्होंने रिपोर्ट दी -

“The right type of personnel with sympathy and understanding of the tribal people should be selected, preferably local people.”

लेकिन क्या हुआ? नेपोटिज्म हावी हो गया। वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप समझिए कि एक तरह से वहां नॉमिनेशन की स्थिति है। राजा चले गए, पर आप समझिए कि कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, ठेकेदार टाइप लोग हैं, वे वहां पर हैं।

अभी संयोग से अरुणाचल के पूर्व चीफ मिनिस्टर का लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है, वह सही है या गलत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन, यदि वह सही है तो वह जो दिखा रहा है, ठीक यही स्थिति पूरे-के-पूरे नॉर्थ-ईस्ट में है।

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलॉंग) : पर अरुणाचल प्रदेश तो सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं है।

श्री निशिकान्त दुबे : मैं नॉर्थ-ईस्ट की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि अरुणाचल प्रदेश सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं है। लेकिन, पूरे नॉर्थ-ईस्ट एरिया के बारे में, आठ बहनों के बारे में जो कहानी चल रही है, वह कहानी तो उसी तरह की है।

मैंने तो जे.बी. पटनायक को कोट किया। वे तो सिक्स्थ शेड्यूल के लिए ही कह रहे थे। वे तो कह रहे थे कि पूरा पैसा करप्शन के कारण ड्रेन में जा रहा है।

बलवंत राय मेहता ने तीसरा रिक्मेंडेशन किया -

“the recruited personnel should acquire knowledge of the dialects, customs and ways of life of the people among whom they work.”

ऐसा ही हो रहा है। बाहर के लोग जा रहे हैं। बाहर के लोगों को गांव के बारे में क्या पता? उन्हें ट्राइबल कस्टम्स के बारे में क्या पता?

मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए अब आठ साल हो गए हैं। यदि मुझे आज भी कह दें कि पूरा-का-पूरा मुझे ट्राइबल का कस्टम पता है, तो मुझे यह नहीं पता। वे किस तरह से शादी करते हैं, किस तरह से पूजा-पाठ की पद्धति होगी, कौन-सी चीजें होंगी, सरना पद्धति में करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन, यह पूरा-का-पूरा जो नॉर्थ-ईस्ट में कन्वर्जन है।...(व्यवधान)

मेरे यहां भी ऐसे ब्लॉक हैं। मेरे यहां चार ब्लॉक्स शेड्यूल-फाइव के ब्लॉक्स हैं - जरमुंडी, सरैया हाट, बोआरीजोर और सुन्दर पहाड़ी। जहां से मैं सांसद हूं, वहां ये चार शेड्यूल-फाइव के ब्लॉक्स हैं। आप समझिए कि मुझे भी इनके कस्टम्स के बारे में नहीं पता। लेकिन, आप समझिए कि यह पूरा कन्वर्जन

चलेगा। जिस तरह से यह चल रहा है, उसके कारण जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये बाहर के लोग उनकी पूरी परम्परा को नष्ट कर रहे हैं, पूरी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं।

महोदय, संयोग से यहां थावर चंद गहलोत साहब बैठे हुए हैं। इनके मंत्रालय में एक अच्छी बात है कि यदि शेड्यूल्ड कास्ट अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह रिज़र्वेशन का हकदार नहीं होता है। उसी तरह से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी यह परंपरा होनी चाहिए, चूंकि आपके ही विभाग का, पहले शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट का यह नियम था कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब कन्वर्जन कर लेंगे, उन्हें रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही यह काम होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति बच जाएगी। सरना धर्म की संस्कृति बच जाएगी। गहलोत जी संयोग से यहां बैठे हुए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इस तरह का बिल उन्हें लाना चाहिए।

उसी तरह से, उन्होंने कहा -

“Efforts should be made to induce the people in tribal areas to take up settled cultivation wherever possible”

उन्होंने कहा कि उन्हें खेती की तरफ एक्टिव कीजिए। जहां-जहां सरकारी ज़मीनें हैं, चीज़ें हैं, उस तरफ एक्टिव कीजिए। ब्रिटिश सरकार की पूरी-की-पूरी ज़मीन स्टेट में निहित हुई। उसके बाद फिर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि वह वर्ष 1935 के कानून के खिलाफ़ है। उसके लिए भी शेड्यूल-सिक्स्थ एरिया वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन, यह कहा गया कि जो खेती करना चाहते हैं और जो बगल में कहीं बसे हुए हैं, उन्हें आप ज़गह दीजिए। आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दे दीजिए। वहां पर सरकारी ज़मीनें हैं, अन्य चीज़ें हैं। लेकिन, वह आज तक नहीं हुआ।

उसके बाद उन्होंने कहा -

“Supply of necessary agricultural credit should be stressed”

मैं फाइनेंस कमेटी का आठ साल से मेम्बर हूं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इसका एक ही कारण था और उन्होंने कहा था कि हम बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मेरा राज्य झारखंड है, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे असम है, चाहे मिजोरम है, चाहे नागालैंड है और चाहे मेघालय है, इन सब में जो क्रेडिट डिपोजिट (सीडी) रेशियो है, वह लो है। यह कितना लो है, यह 30 से 35 पर्सेंट है। हम लोगों को इसे 70, 75 तथा 80 पर्सेंट से आगे ले जाना है। वर्ष 1969 का यह नारा है,

क्योंकि कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह क्वेश्चन करती रहती है कि आपने यह कह दिया, यह पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यह छह महीने में पूरा नहीं किया, दो साल में हिसाब लेना शुरू कर देते हैं।

आपने वर्ष 1969 में बैंकों को नेशनलाइज़ किया। आज हम कितने सालों के बाद बात कर रहे हैं? आज हम लगभग 48-49 साल के बाद बात कर रहे हैं। आज भी पूरे के पूरे नॉर्थ-ईस्ट का, पूरे के पूरे ईस्टर्न इंडिया इन्क्लूडिंग झारखंड का हमारा सीडी रेशियो 35-36 पर्सेंट पर ही है। तमिलनाडु में 100 पर्सेंट से ऊपर, चंडीगढ़ में 100 पर्सेंट से ऊपर, दिल्ली में लगभग 90 पर्सेंट के आसपास है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बिहार का सवाल है, पश्चिम बंगाल का सवाल है, पैसा हमारा है, हम पैसा देते हैं। क्रेडिट डिपोजिट रेशियो का मतलब यह है कि हम बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं, यदि हमारे लोग 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसका मात्र 30 से 35 रुपये ही उस इलाके में खर्च हो रहा है। इसका मानक है कि हमने जितना पैसा लिया है, उतना पैसा ही खर्च करना है। यदि आपने 100 रुपये लिया है तो 100 रुपये ही देना है, लेकिन उन्होंने जो कहा, वर्ष 1980-81 की रिपोर्ट आपके सामने है। नॉर्थ-ईस्ट में बैंक की पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं, नॉर्थ-ईस्ट की यह हालत है कि आज भी ग्रामीण एरिया में बैंक की शाखाएं नहीं हैं। अभी संयोग से मेघालय और त्रिपुरा के हमारे दो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि वहां की क्या हालत है।

इसी तरह से programmes like irrigation, आप कहते हैं कि वहां पूरा का पूरा नदी है। It further says:

“Reclamation, communication and soil conservation should be taken up to provide employment to the unemployed or under-employed tribals.”

वहां इरिगेशन की कोई सुविधा ही नहीं है, खेती की हालत बहुत ही खराब है। उसी तरह से जो रीक्लेम करना है, आप समझिए कि बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कोई बोर्ड नहीं है। इस बारे में सरकार एक्टिव ही नहीं है। शेड्यूल्ड 6 का एरिया तो और भी एक्टिव नहीं है। वहां कम्युनिकेशन का तो बुरा हाल है। नॉर्थ-ईस्ट में तो और भी बुरा हाल है। जिंदगी भर नॉर्थ-ईस्ट का पूरा का पूरा मालिकाना हक कांग्रेस के पास ही रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहां पर कम्युनिकेशन की क्या हालत है।... (व्यवधान) मैं बिल पर ही तो बोल रहा हूं। आपने आज तक वहां पर क्या नहीं किया और उसके कारण वहां पर कैसी समस्या है। वहां पर आपका टेलिफोन कम्युनिकेशन लगेगा ही नहीं, वहां पर यूएसओ फंड ऐसे ही पड़ा रहा, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की आवश्यकता है। माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की जब सरकार आई तो आपको पता है कि वर्ष 2014 में कैबिनेट के माध्यम नॉर्थ-ईस्ट में टेंडर हुआ है

और फोन लगना शुरू हुआ है। अब आपके यहां बीएसएनएल अपना टॉवर लगाएगी। प्राइवेट कंपनियां आपके यहाँ टॉवर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वहां पर कम्युनिकेशन का इतना बुरा हाल है।

इसके बाद वहां एजुकटेड और अन-एजुकटेड के बीच सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप करना है। शिलांग में एक यूनिवर्सिटी खुल गयी और आप समझिए कि वह फेक सर्टिफिकेट बॉट रही है। चेयरमैन को पकड़ने के लिए गवर्नर श्री राजखोवा साहब पीछे पड़े हुए हैं। इसका कारण यही है कि केवल टैक्स इनसेंटिव लेने के लिए, नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को एक्सप्लवायट करने के अलावा आप लोगों ने कोई रास्ता नहीं पकड़ा है। हमको नहीं लगता है कि इस तरह के बिल लाने से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है।

मेरा यह कहना है कि श्री विनसेंट एच. पाला को सबसे पहले एक कंप्रिहेनसिव बिल लेकर आना चाहिए। कंप्रिहेनसिव बिल वैसी हो, फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है, स्टेट के ऊपर फेथ नहीं है, सेंटर के ऊपर फेथ नहीं है और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर फेथ नहीं है। इसका पार्लियामेंट्री प्रोसेस कैसे अच्छा हो, पहले उसका माहौल अच्छा कैसे बनेगा, माहौल के लिए लेजिस्लेशन में क्या चेंजेज हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें चेंज आना चाहिए। जो वर्किंग ईयर है, समय पर काम हो, जितना भी काम है, वह टाइम बाउंड हो। मैं यह कह रहा हूँ कि क्या-क्या चेंजेज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होने चाहिए, जिससे कि यह आगे बढ़े। इस देश में यदि आप कोई कानून बना देते हैं तो उस कानून को वापस लेने की कोई स्थिति आपकी नहीं होती है। मेरा यह कहना है कि टाइम बाउंड मैनेर में काम हो।

जैसा कि मैंने कहा कि 1,600 करोड़ रुपये डोनर मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है, कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। खर्च करने को क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि डीपीआर बनने में ही वक्त लग जाता है। फिर यह तय नहीं है कि कौन सा काम केन्द्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर जो-जो काम हैं, उनका एक समय निर्धारित होना चाहिए कि यह काम 6 महीने के अंदर होगा। जैसा कि आपको पता है कि रियल्टी सैक्टर का बिल वेंकैया नायडू जी ने यहां पास किया। आपको पता है कि यदि हमने अपने मकान को बुक किया, तो पांच साल के बाद मकान मिलेगा या दस साल के बाद मिलेगा, उसकी कोई समय-सीमा ही निर्धारित नहीं थी। सारे केस में जा रहे थे। अब उन्होंने तय कर दिया कि उसका एन्वयर्नमेंट क्लियरेंस कितने दिन में मिलेगा, लैंड की पोजिशनिंग कितने दिन में मिलेगी, उसकी क्रेडिट गारंटी कितने दिन में मिलेगी, उसका सप्लाइ साइज कितना होगा, डिमांड साइज कितना होगा, तो एक कानून डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बनाने की आवश्यकता है।

डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या रोल होगा, स्टेट काउंसिल का क्या रोल होगा और सेंटर का क्या रोल होगा, वह देखने की आवश्यकता है। जो वहां समस्या है, जिसके लिए ये लेकर आए कि 30 से ज्यादा

मैंबरस दूढ़ रहे हैं। मैं मेघालय की बात कर रहा हूँ कि खासी हिल में 29 लोग इलेक्टेड हैं, 1 नॉमिनेटेड है, गारो में 29 लोग इलेक्टेड हैं, 1 नॉमिनेटेड है, लेकिन जो जयंतिया हिल है, उसमें 16 लोग इलेक्टेड हैं और 3 नॉमिनेटेड हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि यह जो नॉमिनेशन की पद्धति है, वह कैसे निर्धारित हुई। जहां 30 लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां 1 आदमी नॉमिनेट हो रहा है और जहां 19 लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां 3 लोग नॉमिनेट हो रहे हैं। इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है।

इसमें कौन नॉमिनेट करेगा और किस तरह के लोग नॉमिनेट होंगे, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, उसका एक क्राइटेरिया संविधान में फिक्स कर रखा है, लेकिन आपके यहां कौन सदस्य होगा, इसके नॉमिनेशन का कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं है।

दूसरा, नामिनेट कौन करेगा, क्योंकि आर्टिकल 275 यह अधिकार गवर्नर का देता है। आर्टिकल 275 यहां के पूरे विकास के लिए अधिकार गवर्नर को देता है। यहां कई राज्यों ने यह तय कर दिया कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर यह काम करेगा। जो नॉमिनेशन की पद्धति है, कभी-कभी यह बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। चंडीगढ़ बगल में है। चंडीगढ़ में हमेशा इंबैलेंस हो जाता है। यहां इंबैलेंस होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गवर्नर क्या कर सकते हैं। चण्डीगढ़ में जो नॉमिनेटेड क्राइटेरिया है, वह बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि इलेक्शन में आप जीत भी गए, पिछली बार जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय हम लोग जीत गए, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत गए, तो लगा कि हम लोग वहां शासन चलाएंगे, लेकिन 50 पर्सेंट के आसपास नॉमिनेटेड थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। उन्होंने अपने सारे लोगों को नॉमिनेट कर दिया और हम लोग सरकार नहीं बना पाये। इस तरह की स्थिति है। इसमें क्राइटेरिया फिक्स करने की आवश्यकता है।

इसके बाद, यह आता है कि कोई डीनॉमिनेट होगा या नहीं। यदि एक मेंबर नॉमिनेट होगा, जैसे झारखंड असेंबली में एंग्लो-इंडियन नॉमिनेट होते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि झारखंड जैसे राज्य में एंग्लो-इंडियन मिलते ही नहीं हैं। जब से झारखंड राज्य बना है, तो पहले उनके पिता जी एमएलए थे और अब उनके बेटे एमएलए हैं। सरकार कोई भी बने, वे लगातार 17, 18 साल से एमएलए बने हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन है।

इसके बाद, यदि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, तो गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए किस तरह की कमेटी बननी चाहिए। हमने देखा है कि सिक्सथ शिड्यूल उसके ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व करने लिए बना है, उसकी संस्कृति को रिजर्व करने के लिए रखा है। उसका एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो

नॉमिनेशन करे, यह होगा। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाई गवर्नर, डिजोल्यूशन ऑफ पॉवर, इसमें स्टेट का क्या रोल होगा? मैं बार-बार इसको कह रहा हूँ कि इसे लिखत-पढ़त में कर लीजिए। यदि इसे लिखत पढ़त में नहीं करेंगे तो स्टेट कोई दूसरा चीज इम्प्लीमेंट करना चाहता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कोई दूसरा चीज इम्प्लीमेंट करना चाहता है। जब डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल उसकी बात नहीं मानती तो गवर्नर के माध्यम से उसे डिजोल्ड कर देते हैं और डिजोल्ड करने के बाद कितने दिनों के बाद इलेक्शन होगा, यह भी निर्धारित नहीं है। किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल का छह महीने तक चुनाव ही न हो, साल भर तक चुनाव ही न हो, दो साल तक चुनाव न हो, क्योंकि यह लिखत-पढ़त में नहीं है। इस पॉवर के लिए एक कम्प्रिहेन्सिव बिल की आवश्यकता है। देश में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर बहुत जोर दिया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, नहीं तो आयाराम गयाराम, दिन में किसी पार्टी में और रात में किसी पार्टी में। लोक सभा में भी ऐसा होता था और विधान सभा में भी ऐसा होता था।

सिक्सथ शिड्यूल में कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा, इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है। इसके बाद ऑडिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंड सबसे इम्पोर्टेंट है। करप्शन की बात जे.बी.पटनायक ने की। आपको पता है, यदि मैं मंत्रालय में जाता हूँ तो मंत्रियों को देखता हूँ कि वह किसी न किसी आदमी के माध्यम से करते हैं क्योंकि 90: 10 का रेशियो है। यहां केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता, इनका क्या अनुभव है। यह हो सकता है कि हमारी सरकार आने के बाद न खाएंगे न खाने देंगे और करप्शन पर पूरा कंट्रोल होने की बात हो रही है, इस तरह के दलालों, बिचौलियों और ठेकेदार का सामना हमारी सरकार से कम हो रहा होगा। लेकिन जो इसके पहले की सरकारें थीं, उसमें ठेकेदार और बिचौलिये काम करता था जिसका कारण यह है कि उसमें ऑडिट नहीं है। सी एंड एजी का पूरा अधिकार नहीं है। ऑडिट की मैथोडोलोजी कैसे हो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद, पॉवर और फंक्शन ऑफ हेडमैन का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है।

सिक्सथ शिड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हो गई, इलेक्टेड बॉडी हो गई। आदिवासी परंपरा की बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं प्रधानी सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रधानी सिस्टम को खत्म करेंगे तो पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर को समाप्त कर देंगे। इसका पॉवर और फंक्शन, चीफ और हेडमैन गांव का होगा। उसका पॉवर क्या होगा, सेलेक्शन कैसे होगा। यदि प्रधान की डेथ हो जाती है तो दूसरा प्रधानी सिस्टम में क्या होगा? उसकी फैमिली से कोई आएगा, फैमिली में चार भाई हैं, उनका क्या होगा या दो भाई हैं तो क्या होगा? इसमें कोई क्लेरिटी नहीं है। इस कारण से आज जो सलेक्शन होता है, आज जो सूट करता है वही आप करते हैं, उसके बारे में होना चाहिए। मैनेजमेंट, प्राइमरी एजुकेशन को

कैसे मैनेज करेंगे। जो टारगेट आपको बताया, आप टारगेट फिक्स करेंगे कि इतने दिनों में सभी बच्चों को राईट टू एजुकेशन होगा, राईट टू एजुकेशन लागू करना है, मिड डे मील लागू करना है, आंगनवाड़ी लागू करना है, इसे कैसे लागू करना है? नार्थ ईस्ट के लड़के और लड़कियां कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, उनकी पढ़ाई हो जाए, बेसिक इनकम हो जाए।

दूसरा, मैंने फॉरेस्ट राइट की बात की। कांग्रेस की सरकार ने इसे वापस ले लिया जिस कारण से ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा समस्या हो गई। आप उसे खान और खनिज तक ले जा रहे हैं। खान और खनिज एक अलग चीज है, उसके लिए एक अलग लेजिसलेशन लाने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट उनका अधिकार है, जिसके कारण हमारे बाप-दादा जिन्दगी भर पढ़ते रहे, उस फॉरेस्ट में हमारा क्या अधिकार होना चाहिए, हम किस तरह के अधिकार को बढ़ाएंगे। इन्कवायरी का पॉवर है, करप्शन में जेल कौन देगा, आप किस तरह के काम को आगे बढ़ाएंगे, आपके यहां इन्कवायरी की पॉवर नहीं है। आपने सिस्टम डेवलप नहीं किया है, विजिलेंस का सिस्टम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आज तक नहीं देखा है। इन्कवायरी के सिस्टम को आगे ले जाना है, क्योंकि पूरे के पूरे नार्थ ईस्ट की इमेज चौपट हो रही है। मान लीजिए जैसे त्रिपुरा है, यह अपने आपको कटा हुआ महसूस करता है। यदि इस तरह का करप्शन नहीं होता, आपके इलाके में नहीं होता तो नार्थ ईस्ट इस देश का सबसे बड़ा हब होता। भारत सरकार पूरी दुनिया में मार्किट तलाश रही है।

माननीय नेहरु जी की बहुत इच्छा थी कि नार्थ ईस्ट मिडल हो जाए। 1960-62 में उनकी परियोजना था, जिसे अब माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गडकरी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि एशिया की मार्किट को यदि कंट्रोल करना है, तो रोड कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। रोड कनेक्टिविटी कैसे होगी, यदि नार्थ ईस्ट में यदि चार या आठ लेन का रोड बना देते हैं तो सबसे पहले बर्मा चले जाते। बर्मा से थाइलैंड चले जाते, सिंगापुर चले जाते, मलेशिया चले जाते, इण्डोनेशिया चले जाते और वहां से मनीला तक चले जाते। यह माननीय नेहरु जी की 1960-62 में कल्पना थी। बर्मा तक जा रहे थे, बर्मा से इसे आगे बढ़ाने की बात थी। सुमात्रा द्वीप, बाली द्वीप, रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं, जो बातें रुक गई थी, उसे मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता थी। लेकिन हमने क्या किया? इस करप्शन, नेपोटिज्म, सिक्स्थ शैड्यल ने, कांग्रेस की मिसरूलिंग से हालत यह कर दी कि वहां लोग एक छोटे से रोड के लिए परेशान हैं। आंगनवाड़ी बनाने के लिए परेशान हैं।

महोदय, वहाँ पूरी की पूरी पनबिजली परियोजना ... * अब दिवंगत हो गए हैं, इसलिए बोलना उचित नहीं है। लाख रुपया, दो इतना करोड़ रुपया दो, किस तरह उन्होंने प्रति मेगावाट पानी बेचने का

* Not recorded

काम किया। इस तरह की सिचुएशन में वहां के लोग अपने आपको एलूफ पा रहे हैं। वहां के लोग अपने आपको देश के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इंकवायरी सिस्टम कैसा हो? हम इंकवायरी सिस्टम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी आवश्यकता देश महसूस कर रहा था।

मैं केवल इतना ही कहूंगा यदि इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यदि ट्राइबल लोगों के लिए सिक्स्थ शैड्यूल के एरिया के लिए, नार्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए नहीं चेते तो मैं कह सकता हूं जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था -

सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा
 तैंतीस कोटि हित सिंहासन तैयार करो।
 अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है
 तैंतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो।
 आरती लिए तूं किसे ढूंढता है मूर्ख,
 मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में।
 देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे
 देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।
 फावड़े और हल राजदंड बनने को है
 धुसरता सोने से सिंगार सजाती है।
 दो राह समय के रथ का घर्घर नाद सुनो
 सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।

यदि आप नहीं करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। इसी तरह से नार्थ ईस्ट हमेशा परेशानी में रहेगा, इसलिए बड़े काम्प्रिहेन्सिव लॉ की आवश्यकता है। इसके विकास के लिए हम सब बड़ी पार्टियां मिल बैठकर फ़ैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर नार्थ ईस्ट का विकास कर पाएंगे। नार्थ ईस्ट का विकास इस देश का विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिंद, जय भारत।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, विनसेंट एच. पाला जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम एक विषय ... (व्यवधान) मैं अभी वही बात कहने वाला हूँ। ... (व्यवधान) एक चर्चा, जिससे लोग बचते थे, जिसके बारे में बोलने से कतराते थे, जैसे निशिकांत जी कह रहे थे कि इस देश में कोई कानून बन गया, तो लोग शायद उसकी समीक्षा का नैतिक साहस करने में हिचकिचाते हैं। एक बार ईमानदारी के साथ हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें इस बात की भी चर्चा सदन में करनी चाहिए और शायद प्राइवेट मैम्बर बिल इसी बात की इजाज़त देता है कि हम एक नागरिक होने के नाते अपनी बात को ईमानदारी के साथ रखें, चाहे कोई सहमत हो या न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पौने दो साल पहले मणिपुर में प्रभारी बनकर गया। उससे पहले मैं वर्ष 1999 में नेहरू युवा केन्द्र का महानिदेशक था। आप जानते हैं कि उस वक्त नार्थ ईस्ट में इन्सर्जेंसी किस हालत में थी। उस समय मुझे एक अधिकारी के रूप में, महानिदेशक के रूप में नार्थ ईस्ट में जाने का मौका मिला। लेकिन उस समय कार्यालय काम नहीं करते थे। आप गुवाहटी से आगे नहीं जा सकते थे। अगर आप किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें, तो वह कहता था आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, मैं कम से कम वापस तो चला जाऊंगा। इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता। ... (व्यवधान) यह तकलीफ आपकी हो सकती है।

अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ, जैसा निशिकांत जी ने कहा कि सिक्किम अब आपके पास नहीं है। अरुणाचल, असम आपके पास नहीं है। नागालैंड में भी आप यह दावा नहीं कर पायेंगे। अब मणिपुर भी चला गया है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का नम्बर है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कम से कम, अगर छठी अनुसूची हो या पांचवीं अनुसूची हो, सिर्फ नार्थ ईस्ट का सवाल नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले हैं, क्या वास्तव में हम इसकी समीक्षा नहीं करेंगे? उन्होंने वर्ष 1952 से लेकर अब तक जितनी भी कमेटियां बनीं, उनका और जवाहर लाल नेहरू जी को उद्धृत किया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं मणिपुर के भूगोल को देखता हूँ, मणिपुर इस देश की आजादी से पहले आजाद हुआ और वर्ष 1972 में राज्य बना। लेकिन उसके भूगोल को बदलने का काम किसने किया? मणिपुर की वह जमीन देने वाला कौन है? इस समय इस देश में लोग नहीं जागे। उस समय लोगों को यह नहीं लगा कि गलती हो रही है, क्योंकि उस समय जवाहर लाल नेहरू के वर्चस्व के सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था।

पाला जी, मैं आपसे कहूंगा कि जब वहां सीमा पर पोल तोड़ दिये गये थे, तो यह इश्यू मैंने संसद में उठाया था। कांग्रेस की सरकार राज्य में थी। हमें मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने भी कार्रवाई की और विदेश मंत्रालय ने भी कार्रवाई की, तो वह चीज रुक गयी। जब निशिकांत जी कह रहे थे, तब मैं उनसे यह बात कह रहा था कि चलिए, आप रामायण के उस तथ्य को मत मानिये, आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन देश जब गुलाम था, तब लोग साइकिल से थाइलैंड तक अपना कपड़ा लेकर गये हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उस मार्ग का महत्व तब भी था, लेकिन उसे ठीक करने का काम क्यों नहीं किया गया? यह बात क्यों पैदा की गयी? मैं नागालैंड, मेघालय की बात न करके मणिपुर की बात कर रहा हूँ। नागा, कुकी आदि आपके फिफ्थ शैड्यूल के एरिया में रहने वाले लोग हैं। जहां एडीसी इलैक्शन होते हैं, वे तो हैं, जैसे सेनापति, उखरूल आदि हैं। मुझे लगता है कि जब आप कमेटीज की बात करते हैं, तो इन पर अलगाववाद के अलावा क्या हुआ है? अगर उससे कोई लाभ मिला है, तो वह बताइये। आप जो संशोधन लेकर आये हैं, उस संशोधन से क्या चमत्कार हो जायेगा? इतना अलगाववाद, इतनी सारी परिस्थितियां हैं। आप जिस फ्रेमवर्क में कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि चर्च ने क्या किया? अगर यह बात कही जाती है, तो अभी तीन दिन पहले एक निर्वाचित विधायक कहता है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, जो चर्च का मिलता है, वही औथेंटिक माना जाता है। क्या चर्च इस बात के लिए था?

17.00 hours

क्या आप इसे ठीक मानते हैं? एक तरफ अगर हम कह दें, तो हमारे ऊपर पूरा बवाल खड़ा हो जायेगा। वहां एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि कह रहा है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, जो चर्च से इश्यू होता है, वही औथेंटिक माना जाता है। यह आजादी के 67 साल बाद की स्थिति है।

इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आजाद भारत में आज तक वहां एक तंत्र नहीं खड़ा कर सके कि एक निर्वाचित संस्था, उस क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति इस बात का सर्टिफिकेट दे सके, फिर भी आप उसे बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं। इस व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला कौन है? अगर इसकी कोई खिलाफत करता है तो आपको लगता है कि हम साम्प्रदायिक हैं, हम किसी धर्म विशेष का विरोध कर रहे हैं।

मैं मणिपुर के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि छठी अनुसूची को सब जगह मत ले जाइए, कानून की बात निशिकांत दुबे जी ने की है। वहां लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन उनके बीच मनमुटाव को हम रोक नहीं पाए। मणिपुर इसका उदाहरण है। वहां दोनों लोग एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक-दूसरे के चर्च में नहीं जाते हैं। दोनों की परम्पराएं अलग हैं। कुकीज में मुखिया ही सारी सम्पत्ति का राजा होता है, लेकिन जहां बाकी लोग हैं, वहां सोसाइटी उसकी ओनर होती है और जो वैली के लोग

हैं, जो छठी अनुसूची से बाहर हैं, उनके लिए अलग राजस्व कानून है। जहां एक ही राज्य में तीन प्रकार की भूमि अधिकार की व्यवस्था हो, मैं समझता हूँ कि क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए। वैली का आदमी पांचवीं और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में जमीन नहीं ले सकता है, वहां वह एक डिसमल जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन बाकी लोग वहां आकर जमीन और सम्पत्ति खरीद सकते हैं। मैं उन टकरावों की बात कर रहा हूँ कि जो परिस्थिति आपने बनाई, उससे विघटन ही हुआ। जब मणिपुर के राजा थे, उस समय किसी के बीच झगड़ा नहीं था, नागा, कुकी और मैतेयी के बीच कोई झगड़ा नहीं था। वे गर्व करते थे कि मैं मणिपुर का योद्धा हूँ और वे पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। वहां का मुसलमान आज भी कहता है कि मैं मैतेयी पांगल हूँ और उसकी अपनी अलग परिस्थितियां हैं। जब कभी आप इन बातों की चर्चा करते हैं तो समग्र नॉर्थ-ईस्ट रीजन के बारे में विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बिल और भी ज्यादा खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली बार इस सदन में आया था, तब मैंने वन अधिनियम, 1980 के संशोधन विधेयक के बारे में बोला था। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में मेरा पहला भाषण उसी विषय पर हुआ था। तब मैंने यह कहा था कि देश के जिन लोगों ने यह गलती की है, हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति के खिलाफ कानून बनाकर, जो आदिवासी या उसके निकट रहने वाला जंगल पर जान देता था, आपने उनको दुश्मन बनाने का काम किया। वह कानून बनाने वाले कौन थे? क्या उनकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? वही गलती इस पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में है। आपने अगर कोई लाभ दे दिया होता तो ठीक था, लेकिन आज वे अलगाववाद के कारण बन गए। उनके अपने गुट बन गए, उनके अंडरग्राउण्ड ग्रुप्स बन गए और एक ग्रुप नहीं है, एक ही क्षेत्र में आपको पन्द्रह-बीस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। उनमें से जिसकी ताकत ज्यादा होगी, वह अपनी ताकत बढ़ाने का काम करेगा। अभी 139 दिन बाद मणिपुर का ब्लॉकड खुला है। दुख यह होता है कि उसमें सफरर कौन रहा है, क्या बाहर के लोग सफरर रहे हैं? गैस किसे नहीं मिला, डीजल-पेट्रोल किसे नहीं मिला, सामान किसे नहीं मिले? लेकिन 139 दिनों के ब्लॉकड के बाद भी कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भारत सरकार ने वहां सेना को एलर्ट कर दिया, 135 कंपनियां भेज दीं, लेकिन उसके बाद भी वहां राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई और जैसे ही सरकार बदली, वह ब्लॉकड 48 घण्टों में खुल गया। इसके लिए कौन गुनाहगार है? आप किस प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं या विकास को बढ़ाना चाहते हैं?

इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर विकास की परिभाषा तय करनी है तो जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे, वह नहीं होगा। इसे ज्यादा कठोर मत बनाइए। अगर अनुच्छेद 370 जैसा तमाशा न बने तो

ज्यादा अच्छा है, बल्कि समय से पहले इस महीन रेखा को कम करने का प्रयास कीजिए। वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बैंक की ब्रांच 22 किलोमीटर दूर है। एटीएम लगाने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं है। वहां बैंक की सिंगल मेंबर ब्रांच है। वहां कम्यूनिकेशन नहीं है। वहां 22 किलोमीटर से दूर लोग बाजार करने नहीं आते हैं, वे एटीएम से पैसा निकालने आते हैं। मणिपुर का मेरा अनुभव है, मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। सेनापति जिले में 22 किलोमीटर आदमी चलकर आता है, उसके बाद भी उसे पैसा नहीं मिलता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आदिवासियों के नाम पर जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए दो प्रतिशत पैसा हम उस नागा को भेज देते हैं? वहां धन्धा करने वाला कोई और है। एक फूटी कौड़ी सरकार को नहीं मिलती है, काम वहां पर होता नहीं है और टैक्सेशन की व्यवस्था यह है कि वहां पर आदिवासी पर टैक्स नहीं है। क्या यही पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची का लाभ है? किसको मिला? आपने कपड़े पहना दिये, छोटी-मोटी अंग्रेजी उनको बोलनी आने लगी। बाकी चीजें तो आपने खत्म कर दी, लेकिन आज भी जाइए, हर कम्युनिटी का अपना डिजाइन है। उसका गमछा बता देगा, उसकी कमर का पट्टा बता देगा कि ये नागाओं में भी किस फिरके को स्वीकार करता है। लेकिन वह सिर्फ कपड़ों तक बचा है। बाकी चीजें तो आपने खत्म कर दी और इनको खत्म करने का गुनहगार कौन है? अगर वह नागा जो सूर्य का उपासक था, आज भी वह सूर्य की उपासना करने में हिचक नहीं रखता है, जैसे निशिकान्त जी कह रहे थे कि वहां पर जंगल के प्रति जो उसका रुझान था, उससे दूर उसको किसने किया? आपने अपने लाभ के लिए, आपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जिस अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया है, उसने भीषण संकट पैदा किया है, क्योंकि आप तो उनको भाषा के नाम पर लड़ाते रहे, वेषभूषा और वर्ग के नाम पर उनको लड़ाते रहे, लेकिन आज मोदी जी का जो जादू चला, उसी का परिणाम है कि वास्तव में अब ये सब चीजें खत्म होंगी।

जब अटल जी ने शुरुआत की थी, सारे के सारे वही काम ही तो पूरे हो रहे हैं, चाहे वह ट्राइबल्स की मिनिस्ट्री का काम हो या और अन्य कोई काम हो। आप अरुणाचल में ईटानगर अगर रेलवे लाइन से पहुंचिए तो यह डवलपमेंट का विचार नहीं है कि उस समय जब अटल जी ने शुरुआत की थी और आज एटानगर तक रेल लाइन पहुंच गई, त्रिपुरा में पहुंच गई, मिजोरम में पहुंच गई और वर्ष 2019 में मणिपुर में पहुंच जाएगी। ये काम आप बिना इसके भी कर सकते थे।

मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि आप जो विषय लेकर आए हैं, कम से कम यह विषय संसद में चर्चा में आया है। आज नहीं तो कल लोग उसकी बारीकियों की तरफ जाएंगे। आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी है। मैं उसको सौभाग्य मानता हूं कि आज नहीं कल, आपको उसी विचार के साथ जाना पड़ेगा कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। दरिद्र कोई एक फ्रेमवर्क में नहीं

हो सकता कि यह 6ठी अनुसूची वाला है, सिर्फ यही दरिद्र है। वहां अगर विकास होगा तो किसको लाभ मिलेगा? अगर वहां पर सड़क जाएगी तो लाभ किसको मिलेगा? यही बात पंचशील में आई थी कि जल पर उनका अधिकार होगा, जंगल पर अधिकार उनका होगा, उसके बाद खनिज पर अधिकार उनका होगा। विकास का प्लान बनाने वाली उनकी अपनी पंचायत होगी। उनकी अपनी व्यवस्था जो ट्रेडीशनल व्यवस्था है, यह होगी। यह कहा गया था। आज स्थिति यह है कि वहां पर पानी पहुंच नहीं रहा है। वहां पर हैंड-पंप नहीं हो सकते।

मैं मणिपुर की बात करूंगा। वहां पर पानी बह रहा है, पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। आज भी वहां गरीब आदमी भी बोतल का पानी खरीदकर पी रहा है। यहां पर हमारा मजाक उड़ता है, जब हम पानी खरीदकर पीते हैं तो यहां का मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन आप मणिपुर चले जाइए, मजदूर भी वहां पर पानी की बोतल खरीदकर पीता है क्योंकि वहां पानी पीने लायक नहीं है। मणिपुर में एक भी हैंडपंप आपको नहीं मिलेगा। वह मणिपुर जहां पर चारों तरफ पानी भरा है, मीठे पानी की झील है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। आप किस विकास की बात करते हैं? वहां बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, पहाड़ पर हालत तो यह हो गई है क्योंकि पहले तो ग्रेविटी से पानी आता था, अब तो ग्रेविटी से पानी नहीं आता है। आपकी इंसर्जेंन्सी के कारण वहां पर सड़कें नहीं बन सकतीं। वहां पर पीने के पानी की पाइपलाइन्स नहीं जा सकतीं। वहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती। बाकी चीजें नहीं हो सकती।

आखिर छठी अनुसूची का लाभ क्या हुआ? इसलिए मैं पाला जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जब कोई बिल हम डिसकस करने के लिए लाते हैं तो जो पिछले समय में हमने गलतियां की हैं, जैसे कोई कानून बना, तो उसकी एक सार्थक समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा के भाव से इस प्रस्ताव पर आइए। इस बात की वकालत मत करिए कि इसमें कुछ और सख्तियां की जाएं। बल्कि मैं यह कहूंगा कि जो सख्तियां की गईं, उन्होंने हमारे बीच में एक अलगाव पैदा किया है।

हमारे यहां सिर्फ पांचवी अनुसूची है। हमारे यहां छठी अनुसूची नहीं है। मैं मंडला की बात करता हूं। एक समय में उस पूरे जिले में सात विधान सभा क्षेत्र होते थे। तब अलग अलग जिले नहीं बने थे। अब वे दो जिले हो गये हैं। उस समय एक मुख्यालय की सीट पर हमारा एक एम.एल.ए. होता था। कोई भी सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही पांचवी अनुसूची जारी हुई तो पंच से लेकर विधायक तक सारे के सारे ट्राईबल्स की बात आ गई। जो कल तक उनकी सेवा में, मदद में, उनकी बहुओं और बेटियों की इज्जत के लिए लड़ने वाले लोग थे, वे घर-बैठे उनके दुश्मन बन गये। यह सच्चाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे वह वन अधिनियम 1980 हो, चाहे छठी अनुसूची हो, दोनों ऐसे प्रावधान हैं कि संसद

को खुले मन से उन पर चर्चा करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसका समाधान चाहिए तो विकास ही एकमात्र आधार है। अगर सड़क जाएगी तो वह किसी के साथ भेद नहीं करती कि यह पांचवी अनुसूची वाला है या छठी अनुसूची वाला है, सड़क सबके लिए रास्ता देती है। अगर वहां रेल की सुविधा है, तो निश्चित रूप से वह सभी को लाभ देगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। मैं राजनीतिक तरीके से यह बात नहीं कह रहा हूँ कि हमें लाभ मिलेगा, बल्कि मैं विजन के तौर पर यह बात कह रहा हूँ कि एक समय में व्यापार का केंद्र गेटवे आफ इंडिया, मुम्बई हुआ करता था। आप इसकी कल्पना कीजिए कि बराक और मकरु जैसी नदियों पर 70 सालों में पुल नहीं बना पाए। मोदी जी ने 22 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और इस सरकार ने पहली बार इसके लिए टेंडर किया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने जो ट्रेडिशनल रास्ता बताया है, जो वास्तव में व्यापार का रास्ता था, यदि वह रास्ता अपग्रेड हो जाएगा, तो मेरे जैसे लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक समय जिस प्रकार हिंदुस्तान में व्यापार का केंद्र गेटवे आफ इंडिया, मुम्बई था, नार्थ-ईस्ट का व्यापार का केंद्र गेटवे आफ इंडिया, इम्फाल होगा। मणिपुर के पास क्या नहीं है? मणिपुर में 37 प्रकार के बांस हैं। आपके पास कारीगर भी हैं, वैल्यु एडिशन करने के लिए सिर्फ आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we have allotted four hours for this Bill. We have extended one more hour. We have exhausted five hours in total. Still, there are three Members who want to speak. If the House agrees, we can extend this discussion for one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Yes Sir, it is very important Bill and we must extend for one more hour.

HON. DEPUTY SPEAKER: When the hon. Minister is saying that it is very important, then we can extend the discussion for one more hour.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी चीज का वैल्यु एडिशन होना है, वह तभी हो सकता है जब रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। अगर वहां के समाज में गुणवत्तापूर्ण विकास की संभावना है, तो ये सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे कि नागा लोग जिस प्रकार की चादर

बनाते हैं, वह यहां नहीं पहुंचती है, लेकिन अमेरिका में 32 हजार रुपए में बिकती है, लेकिन यह पैसा बिचौलिया कमाता है। क्या वहां के कारीगर ने इस कल्चर की पहचान की कीमत वसूल करने की कोशिश की है? आज भी करघा उसके हाथ में है। वह स्वयं अपने हाथ से काम करता है। यह अच्छी बात है कि नार्थ-ईस्ट के किसी भी ट्राइबल के पास जाओ, तो आप उनके पास करघा जरूर देख सकते हैं। करघा उनकी अपनी पहचान है। वह भले ही ईसाई बन गया हो, लेकिन जब वह चर्च में जाएगा, तो अपनी वेश-भूषा में जाएगा।

17.12 hours

(Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

वह अपने तरीके से सारी रस्म-अदायगी करेगा। मुझे लगता है कि इन सभी बातों पर हमें फिर से फोकस करना चाहिए। हमारी यह विरासत नष्ट नहीं होनी चाहिए। कहीं यह छठी अनुसूची हमारी इन पहचानों को खत्म न कर दे, हमें सदन में इस बात की चर्चा भी करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे शायद पहले इतना तजुर्बा नहीं होता। मैं नेहरू युवा केन्द्र का डायरेक्टर जनरल था। जब हमारा एनआईसी होता था, तब सभी यूथ क्लब के सदस्य आते थे। कुछ अपना सामान लेकर आते थे, हम उन्हें बेचने का प्रबंध करते थे। वे नृत्य भी करते थे, लेकिन वह एक सिम्बोलिक था। आज क्या हम वह कल्चर बचा पाए हैं? आज सबसे बड़ा खतरा यह है कि आज नई पीढ़ी इस सांस्कृतिक विरासत से दूर होती जा रही है। अब वे ऐसे अवसरों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। मैं अभी होली के समय 23 मार्च को गोविंद मंदिर में था। वहां मृदंग बजाने वाले नौजवान गिनती के थे। गांव-गांव से चलकर लोग वहां आते हैं और गोविंद मंदिर में होली के लिए लाइन लगाते हैं और किसी का नम्बर दस घंटे में आता है और किसी का 15 घंटे बाद नम्बर आता है। जो सबसे अच्छा करता है, उसे उस समय के राजा के प्रतीक चिह्न देकर अभिनंदित किया जाता है। वहां कांगड़ा पोर्ट है, जो मणिपुर के प्राइड के नाम पर है। वहां के राजा का महल है। हालांकि वह राजा वहां की सम्पत्ति के सुख से जूझ रहे हैं। वहां अंग्रेज छावनी बनाकर चले गए थे। उन्होंने टाइटल चेंज नहीं कराया, इसलिए आजादी के बाद राज परिवार की हालत खराब है। मैंने इस वर्ष परम्परा अपनी आंख से देखी कि हर क्लब का व्यक्ति होली के समय अपने सबसे बूढ़े व्यक्ति और सबसे छोटा बच्चा, दोनों एक साथ, एक-सी ड्रेस में आते हैं और पैदल मशाल जलाकर अपने क्लब तक जाते हैं। होली के पांच दिन उनके लिए उत्सव के दिन होते हैं। उनका स्लोगन है कि 'मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं देश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ ओलम्पियन दूंगा।' यह परम्परा भारत में कभी चर्चा में नहीं आयी। यह मामूली परम्परा नहीं है। आदमी अपनी सेहत की चिंता करता है, अपने परिवार के सेहत की चिंता करता है, लेकिन यह संकल्प लेना कि मेरा क्लब देश के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी देगा और वह

होली की मशाल लेकर जाता है, आप इन परम्पराओं की चर्चा कब करेंगे। यह परम्पराएं कब धराशायी हुईं? उस क्लब में पहले नगा भी था, कुकी भी था, मैतयी भी था और वे सब अपने को मणिपुरी मानते थे। आज भी नगा मैतयी जानता है, वह मणिपुरी भाषा बोलता है, कुकी भी बोलता है। नगा, लोकल नगा की भाषा नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर भी वह भाषा उनको बांधकर रखती थी। आपने उस मणिपुरी प्राइड को ध्वस्त कर दिया। क्या यह उसकी विफलता नहीं है? इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर बोलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह मणिपुर और नॉर्थ-ईस्ट की कोई टीआरपी नहीं है, इसलिए उसको कोई नहीं दिखाता है। दो साल से नौ डेडबॉडीज़ चुरचानपुर में रखी हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। यह भारत की संस्कृति है कि जिंदा आदमी से आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन मृत शरीर की अंत्येष्टि हिन्दुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन वहां की सरकारें नहीं कर पायी हैं। दो साल से आज तक नौ नौजवानों की लाशें रखी हुई हैं, जिसमें एक ग्यारह साल का बच्चा भी है। परिवार ने कहा कि हमने सोसायटी को डोनेट कर दिया है। यह उनका मनोभाव हो सकता है, लेकिन इन चीजों को रोकने की किसी ने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? हमारी व्यवस्था किस काम की है, हमारा कानून किस काम का है, हम किस प्रकार का कानून बनाते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने की हम हिम्मत न रख सकें और हमारे सामने उसका मजाक उड़ता रहे। दो साल से डेडबॉडीज़ पड़ी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम इस संकल्प का सम्मान कर सकते हैं कि कोई अपनी संतान को समाज के लिए डोनेट कर दे, लेकिन दूसरी तरफ यह सब हमारे इन अलगावों का ही परिणाम है। उनके मरने के कारणों का पता यदि आपको चले और आप उस पर विचार करेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि वह किस बात के लिए मारे गए हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए, आपसी टकराव की वजह से और मैं इसका जिम्मेदार किसी को मानता हूं तो इन विघटनकारी कानूनों को मानता हूं। इन व्यवस्थाओं ने समाज को तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया, कम से कम इनको और मजबूत होने मत दीजिए, बल्कि इनको कमजोर करने का काम कीजिए। यह काम कोई कर सकता है तो वह विकास का रास्ता कर सकता है। सबके साथ एक सा बर्ताव करेंगे तो ही ठीक होगा। वह तभी होगा, जब हम उनकी पहचान को सुरक्षित रखें, उनकी कला को सुरक्षित रखें, उनके नृत्य को सुरक्षित रखें।

आने वाली पीढ़ी को हमने इतना दूर कर दिया है कि वह न तो नृत्य से जुड़ने को तैयार है, न उसकी वेशभूषा धारण करने को तैयार है, कुल-मिलाकर हमने उनको उनकी संस्कृति से दूर कर दिया है और मैं नहीं मानता हूं कि हम उसमें सफल हुए हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वह जंगल के साथ हैं। लेकिन वे वहां रहना नहीं चाहते हैं। वे लोग एनजीओ बनाते हैं, लेकिन उनकी इम्फाल और दिल्ली में दस-

दस करोड़ रुपये की अट्टालिकाएं हैं। वह वापस लौटकर जाना नहीं चाहते हैं। वह जमीन पर रहना नहीं चाहते हैं, उनका जंगल से कोई वास्ता नहीं है, उनकी संस्कृति छूट गयी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का यही पंचशील का सिद्धांत है, जिसका एक भी हिस्सा वहां मौजूद नहीं है। वह देश में कहीं भी नौकरी करने को तैयार हैं, लेकिन वह अपने पहाड़ के क्षेत्र में रहने को तैयार नहीं हैं। मैं इसे छठी अनुसूची का अभिशाप ही कहूंगा और मैं तो इसका कम से कम समर्थन नहीं करूंगा।

मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस चर्चा में भाग लीजिए और इस चर्चा को सकारात्मक बनाइए कि कहीं हमारे पुराने कानून किसी भावावेग में तो नहीं बना दिए गए, जो आज हमारे दुश्मन बन गए हैं। निशिकांत जी ने बहुत सारी कमेटियों के बारे में बताया है, जिनमें घेवर कमेटी, बलवंत कमेटी और वेंकेटचलइया कमेटी है। इन सब को मैं तात्कालिक समाधान देने का काम तो नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि कांग्रेस ने यह सब काम इसलिए किया कि जहां कोई स्थिति उत्पन्न होती थी, उसके आगे छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया जाता था। मैं अटल जी की इस बात को कोट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था - नॉर्थ-ईस्ट में कमल खिलेगा। कमल खिल गया है, अब तो बहुत छोटा हिस्सा बचा है। मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा और हम उसी पुरातन परम्परा तक जाएंगे, जिसमें बाली का इतिहास है या वह सिक्ख, जो बंगाल से अपना मलमल लेकर थाईलैंड तक जाते थे और वहीं बस गए। हम तो चाहेंगे कि वही हमारे पैमाने हों। उस समय उनको रास्ते में किसी ने लूटा नहीं था, न नगा ने लूटा, न कूकी ने लूटा, न मैतयी ने लूटा। साइकिल से एक सरदार जी पश्चिम बंगाल से मलमल लेकर चले और थाईलैंड में बस गए। उनकी सातवीं पीढ़ी आज भी वहां व्यापार कर रही है। मुझे लगता है, वे दिन ज्यादा ही अच्छे थे। कुछ चीजें की होंगी, कपड़े पहना दिए होंगे, भाषा अंग्रेजी में बदल दी होगी, चर्च में जाकर वे प्रेरित कर रहे होंगे। यह हो सकता है, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। मुझे फायदा तो कहीं दिखता नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बात करने का मौका मिला मैं पाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम मुझे अपनी बात करने का एक निमित्त तो बनाया। इसके लिए मैं जरूर धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं फिर से अपनी बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि हम जब कभी कोई बिल लाएं, उसके पीछे नीयत क्या है, यह महत्वपूर्ण बात है। शायद मेरा शक उसी नीयत पर था, जिसमें जल्दबाजी कुछ ऐसे कानून बनाए थे, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। यहां पर किरण जी बैठे हुए हैं। अगर श्यांग 2, श्यांग 1 बन गए होते तो अरुणाचल प्रदेश में 90 फीसदी खेतों की सिंचाई हो गई होती। किसने रोका है? अरुणाचल के आदमी तो राष्ट्रविरोधियों के साथ नहीं हैं, लेकिन हमने गलती की, हमने गुवाहटी में बैरियर लगाया, यह गलती किसकी है? मैं कम से कम श्यांग 2 के बारे में जानता हूं। अरुणाचल के लोग तो तरसते रहे, वे चाहते थे कि श्यांग 2 बन जाएगा तो बिजली-पानी मिलेगा। हमने गुवाहटी में बैरियर लगाया।

ये गलतियां हुई हैं। इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। कानून की भाषा में ऐसे कड़े कानून या अड़ंगा लगाने वाले कानून से बाहर आने की आवश्यकता है। महोदय, आपने मुझे इस अच्छी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): *Vanakkam*, Sir.

I would like to thank hon. Members from the other parts of the country. They have also participated in the discussion on this Bill. Though it is a Private Member's Bill, I consider it as a very important agenda item or issue raised by my friend, Mr. Pala. इसमें दुबे जी ने भाग लिया है। उन्होंने अच्छा भी बोला है, भला भी बोला है। गाली दी या प्यार किया, वह भी समझ में आया है। प्रहलाद पटेल जी ने भाग लिया है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जानते हुए और कुछ न जानते हुए भी बहुत कुछ बताया है। Sir, I would like to come to the point. Where is the Sixth Schedule applicable? It is there only in the four States of the North-East. In Meghalaya, there are three ADCs under the Sixth Schedule – Jaintia, Khasi and Garo. In Assam, there are three in Karbi Anglong, North Cachar Hills and Bodo Territorial Council. In Mizoram, there are three – Chakma, Mara and Lai. In my State, Tripura, there is no separate thing for any particular community. There is a Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and all the 19 tribes come under a single umbrella. प्रहलाद जी मणिपुर और नागालैण्ड के बारे में बोल रहे थे, वहां पर शेड्यूल 6 का कोई सवाल नहीं है, वहां काउन्सिल है। वह स्टेट गवर्नमेंट का एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में कुछ बना हुआ है। इसका शेड्यूल 6 के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। Now, Sir, I am not talking about the amendment Mr. Pala has brought. Of course, it is essentially required that the Sixth provision under Article 244(2) and Article 275(1) of our Constitution deserves to be amended.

Of course, Shri Patel rightly said that there should be more discussion on it. Why is it so? It is because this was enacted right from the beginning of our Constitution coming into being. While Meghalaya and Mizoram were under the united Assam, at that time this provision was only with Assam, and after 1982, after the Constitution Amendment during the time of late Shri Morarji Desai it has been extended to Tripura initially under the Seventh Schedule and after 1985 under the Sixth Schedule. But the main structure of the provision was there since 1950s, that is, from the early age of the making of the Constitution.

Now, in these 70 years of our Independence, successive Governments at the Centre and in the States have governed the economic structure, social structure, people's desire has been changed and it is the order of the day. So, that is why that provision, which was made during the 1950s, was continuing for this long, which should be amended to address the aspiration and desire of the people.

But, of course, by honouring the main ambition or objective of the provision, that is, protecting the land within the hand of the indigenous people / tribals ...

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, just wait for a while.

Now, Item No. 50, Shri Ravneet Singh.

17.26 hours**PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced Contd.****(xlvi) Special Financial Assistance to the State
of Punjab Bill, 2017***

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for providing impetus to the financial and economic capabilities of State administration to carry out schemes for welfare of the Scheduled Castes, Other Backward Classes, farmers and agricultural labourers so that fruits of development reach the poorest and most disadvantaged citizens of State and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for providing impetus to the financial and economic capabilities of State administration to carry out schemes for welfare of the Scheduled Castes, Other Backward Classes, farmers and agricultural labourers so that fruits of development reach the poorest and most disadvantaged citizens of State and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI RAVNEET SINGH : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

17.27 hours**(xlvii) Special Financial Assistance to the State of Punjab (for the Welfare of Farmers) Bill, 2017***

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for overcoming the current agrarian crisis in state, caused by the unseasonal rains, hailstorms, deficit rainfall, whitefly attack and consistently rising input prices forcing farmers into debt trap; for providing relief and loan waivers to farmers, compensation for failed crops, promotion of sustainable farming, rainwater harvesting, creation of grain and fodder banks, skill development, research and development and welfare schemes for farmers agricultural labourers and other marginalized sections of society in State of Punjab and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for overcoming the current agrarian crisis in state, caused by the unseasonal rains, hailstorms, deficit rainfall, whitefly attack and consistently rising input prices forcing farmers into debt trap; for providing relief and loan waivers to farmers, compensation for failed crops, promotion of sustainable farming, rainwater harvesting, creation of grain and fodder banks, skill development, research and development and welfare schemes for farmers agricultural labourers and other marginalized sections of society in State of Punjab and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI RAVNEET SINGH: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.03.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

17.30 hours**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,
2015 -- Contd.**

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, now I am coming to the experience of my State of Tripura. Till 1982, Tripura was not under the purview of the Sixth Schedule. But the people of Tripura under the leadership of the Ganamukti Parishad, Communist Party of India (Marxist) and many other political parties, since the early 60s, they have been struggling for the amendment of the Constitution and to promulgate the Sixth Schedule in the State of Tripura. Why was that urge? You know that Tripura once was a princely State for more than 1300 years. The Tribal King of Manikya Dynasty ruled the State. They were in the majority till the 1950s. Until 1949, Tripura was independent. On 15th October, 1949, Tripura merged with the Indian Union. As the fall out of the partition of India - Hindustan and Pakistan - thousands of Hindu Bengali speaking people had been compelled by their destiny to migrate from East Pakistan. Definitely, they had migrated to the nearby territory. Tripura is surrounded by East Pakistan, which is now Bangladesh, from three sides. That is very near. So, in thousands they came to Tripura, Assam and Bengal. Hence, the majority Tribal State has been outnumbered by the minority people who migrated from East Pakistan and the original population has reduced to the minority. Their land, language and culture, everything has been overpowered and diluted. That is why, there is a survival for the protection of these people. Though there is a Tribal Reserve Law, but the Law of the land was not enough to protect the land in the hand of the Tribals.

On the other hand, because of illiteracy and because of under-development, the Tribals were divided. They are being alienated from their land. So, this slogan has been raised by the Ganamukti Parishad, the dominating political party and the Communist Party of India (Marxist), that the Constitution may be amended

immediately and the Sixth Schedule be promulgated in the Tribal areas so that the land be protected and the culture and language of the adivasis and tribals may be preserved and developed. But it was not so easy. There has been a huge struggle. Lastly, in the year 1977 when the Morarji Desai Government came, in Tripura also, the regime has been changed. The Left Front Government for the first time assumed office. The Left Front Government was able to convince the then Union Government, but the Union Government was not in a mood to agree with the Sixth Schedule proposal. As a strategy, as a compromising formula, Tripura had accepted the Seventh Schedule. Then, after three years, in 1985, again, the Constitution was amended and the Sixth had been promulgated.

What is the difference between the pre-Sixth Schedule or pre-ADC and post-ADC? Before 1982, though there was the Land Reforms and Land Records Act like in the mainland where PESA was there, पाँचवाँ सूची जहाँ पर लागू है, वहाँ आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं, वह जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है। That was also there. As per the 1960 Tripura Land Records and Land Revenue Act, no tribal land can be transferred to non-tribals by any means, but that Act was not enough that way. In the tribal contiguous areas, in those days, the ruling party of the 1960s and the 1970s, very intentionally, non-tribals were rehabilitated. They were given accommodation. They were given land in tribal contiguous areas.

Tribals are very backward educationally, economically and socially. On the one hand, the Government does not have any programme to uplift the tribal community and, on the other hand, there are the ill-fated refugees. The Bengali Hindus have not migrated to Tripura with pleasure. They were the victims of the instrument of partition. They have been compelled to migrate, but they also have not been rehabilitated properly or they were not looked after properly.

So, there was a mismatch. Tribals, being very backward and very simple, have become the victims. Now, after 1982 when the Sixth Schedule was promulgated, not a single inch of land was transferred to non-tribals. Not a single part of land is being transferred to the non-tribals. Of course, those non-tribals are

living within the Autonomous District Council area of Tripura. Those families whose names were in the electoral rolls of 1971, they have the equal right like other non-tribals. They have been very peacefully residing there. They can sell; they can purchase; and they can do anything like the tribals. That way, today, in my State of Tripura, the tribals have been protected. The land has been protected. Further alienation has been checked. The harmony could be established. Of course, land does not mean everything. Land is very important, of course. Why are these tribals called as 'indigenous'? 'Indigenous' means that their livelihood is based on the indigenous form of living. They do not know any other than the primitive form of cultivation. They know only the Jhoom Cultivation or the shifting cultivation. In most parts of the North-Eastern Region, in Tripura, in Mizoram, in Manipur, Nagaland and Assam, those who are very backward, they are surviving on the shifting cultivation. This is the indigenous form. When we say 'indigenous' in any form of the world, it would mean the indigenous form of livelihood. Once the land is protected, slowly, the standard of living of this section of the population has to be improved. They have to be provided education; they have to be provided the skill; and the new form of life should be introduced for them. That is why, the main objective of the Sixth Schedule is to protect the land. But, they should not confine within that.

There are other linkages for development. They should be encouraged to the modern way of life. What is this? How could they enjoy the benefits of democracy? How could they enjoy the benefits of science and technology? How could they enjoy the benefits of modern livelihood, culture and everything? That is why, I do agree with my learned friend Shri Dubey. उन्होंने बोला कि ऐसा किया, ऐसा किया गया, आपने क्या करके रखा है? यह ठीक है। इससे बाहर निकल कर आना है। इसके लिए तो उन्हें मौका देना चाहिए। उन्हें तो इसके लिए एक रोडमैप देनी चाहिए। Here, I would like to congratulate or appreciate that during the time of Shri Rajiv Gandhi the Constitution 73rd and 74th Amendments were passed. It was not implemented properly even in the Congress-ruled States. That has opened up some

opportunities. Today, in most of the States where the vibrant three-tier form of Government is functioning or panchayats are functioning, the development is also vibrant.

We are experiencing this three-tier panchayat system in my State of Tripura. The people at the grass roots level, that is, the panchayat level, again at the intermediary level, the block level and at the district level, they chalk out their own plans and implement them. That way, the people's भागीदारी or the sense of ownership has been built. People have realised this. हम भी बोलते हैं कि हमने ऐसा दिया, वैसा दिया, जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा दिया, मोदी जी ने वैसा दिया। यह ठीक है। मोदी जी हों, गांधी जी हों, जो भी हों, The country, the land, the resources and everything belongs to people. It does not belong to you or me alone. When people realise that it is their land, their property, their State, their district and they chalk out their plans accordingly, the participation would be something different.

I am not talking just about my State. Wherever in the country - whether it is BJP-ruled States, Congress-ruled States or States ruled by any party – the three-tier Panchayat system is given a free hand and capacity has been built, the economy there and the standard of life of people are different, people's urges are different. But unfortunately in my State of Tripura the case is different. Tripura is a tiny State of 10,449 square kilometres. महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश का जो एक बड़ा जिला है, हमारा प्रदेश उससे भी छोटा है। इसी छोटे प्रदेश में टी.टी.ए.ए.डी.सी. एक हिस्सा है, जहां पर आदिवासी रहते हैं, लेकिन टी.टी.ए.ए.डी.सी. त्रिपुरा का दो तिहाई, 65 per cent of the area of Tripura is under the TTADC, only 35 per cent of the area is outside TTADC. But there I find the difference. In the three-tier Panchayat area, participation of people in the functioning is something different. They are in the ADC areas in the absence of the intermediate level body, in the absence of the District level body. The ADC Village Committee does not have any role there at the intermediate level, at the District level. The State Government, in the absence of the provision, made block level committee, block advisory committee substituting the intermediate level. But

now we are strongly feeling that protecting the land alone does not suffice for the development of Adivasis, the tribals. It does require empowerment. How? There also the aspirations of the people should be taken into account. The mechanism may be something different. In the ADC areas also that three-tier Panchayat system or a system similar to that should be introduced.

In ADC areas, Council areas also urban areas are coming up like district headquarters, subdivision headquarters, mandal headquarters. In my small State of Tripura there are 15 Nagar Panchayats and they are directly receiving funds from the Ministry of Urban Development. Apart from getting money from the State's Budget, they are getting money directly from the Urban Development Ministry. That is good. But in the ADC areas when they send the proposals, they say no, it does not come under an urban area, how could that be given in the ADC area? The ADC villages and ADC sub-blocks were deprived of even the award of 13th and 14th Finance Commissions. That is why my argument is that the Government should consider that the three-tier Panchayat system and also the urban body should be there in the ADC areas also because the tribals also feel that they need streetlights, good roads, good infrastructure for safe drinking water, infrastructure for amusement and other things in the city they live. But it is not there. That is one thing.

Secondly, though it is not within the purview of the Sixth Schedule, it should be considered. My friend Shri Kiren Rijiju is in charge of the Home Ministry and the Sixth Schedule is also with the Home Ministry. During last 29 months, I have met him four or five times personally and also with delegation. In our country, every citizen is entitled for one vote, whether he is *Rashtrapati*, *Pradhan Mantri*, *Mantri* or *Santri*. Everyone has his own mother tongue. अपनी मातृभाषा, आप लोग हिंदी में बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी मातृभाषा है। I would like to speak in my own mother tongue. My mother tongue is Kokborok or Tripuri. If I have to speak in Kokborok, I can speak better than you. That way, I can express from the core of my heart. But I have to speak in English or Hindi. My

friend Shri Rijiju gives a prototype reply every time that some time in 1993 or 2003, a committee was constituted and they have not done anything. I am not talking only about my own mother tongue. I am also recommending Maithili, Bhojpuri, Rajasthani etc. Shri Rijiju, you are from north-east, from Arunachal Pradesh; the same heartburning is there. You should look into this matter. It is very important. We are talking about the Vibrant India. हिंदुस्तान तब ताकतवर हिंदुस्तान बन सकता है, जब हम हर जाति, जनजाति की भाषा, संस्कृति, वेशभूषा को ईमानदारी से इज्जत दे पायें। वे भी संकोच छोड़कर चल पायें कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहें कि यह मेरी संस्कृति है।

You are nailing Mr. Pala because he was once a Minister and he is a member of the Congress Party which was in power for more than six decades and they have not done it. आपके पास सत्ता है। आपके पास सब कुछ है। आप इतना बड़ा बहुमत लेकर आए हैं। Please do something. We may have the difference.

श्री निशिकान्त दुबे: त्रिपुरा में सिक्स्थ शेड्यूल में ग्रामोदय और नगरोदय का जो कांसेप्ट है, वह यूनीक है। आप मिस्टर पाला को बतायेंगे कि ग्रामोदय, नगरोदय के माध्यम से आप जो पंचायत सिस्टम की बात कर रहे थे कि हमने कैसे पंचायत सिस्टम को डेवलप किया, वह जरा बताइए, क्योंकि आपका बहुत नया, 1995 का लॉ है। उससे ज्यादा सुविधा हो जाएगी।

श्री जितेन्द्र चौधरी: इसीलिए तो मैंने बोला कि पाला जी जो अमेंडमेंट लाए, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। यह एडीसी हो, नॉन एडीसी हो, सिक्स्थ शेड्यूल हो, फिफ्थ शेड्यूल हो, सब कहीं ट्रेजरी फंक्शन होना चाहिए, सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। कंट्री के रूल्स should be the same everywhere. For ADCs, some extra thing should not be there; it is wrong. I do agree with you. But what I am telling is that not only the land, but the culture and the language are very important today for the unity and integrity of our country. I think this Government will definitely take care of it.

Thirdly, प्रहलाद जी ने मणिपुर के बारे में कहा है।

He was saying that Nagaland and Manipur were not under the Sixth Schedule. In Manipur where there were eight districts and seven more have been added, in eight or nine out of 15 districts tribals are in a majority but there are no Sixth Schedule areas.

The then Congress Government in Manipur brought three legislations and those three legislations were very cleverly against the tribals and they were about how to deprive the tribals so that they would not claim ownership of the land. In Manipur also there are Nagas, Kukis and Jhumis. In the Naga areas, in the Jhumi areas and in the Kuki areas, there should be autonomous district councils under the Sixth Schedule.

Simultaneously, I would like to debate about the point which was raised about Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana and Chhattisgarh, there are some systems. There is what is called Integrated Tribal Development Agency. Who is the Chairman of this Agency? It is the Collector. They get crores of rupees but he is not accountable to anybody. There are exceptions. I have seen some officers doing good work but in many places there is corruption. So, there should be a mechanism of the elected council and not a nominated body. There should be such a mechanism. I would like to very strongly recommend that. Why should there not be autonomous district councils in the tribal majority districts of Madhya Pradesh? It ranks first in our country with a tribal population of 1,20,00,000. In Maharashtra, there are 1,15,00,000 tribals.

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, जो पेसा लॉ है, इसमें मोर और लेस जो पंचायत है और डिस्ट्रीक्ट काउन्सिल है वह ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है और वही जीत कर आते हैं इसलिए इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जितेन्द्र चौधरी: पेसा में है, Under the Integrated Tribal Development Agency concept, there are some exceptions. Some IAS officers are doing very good work but in most cases that development has not taken place. You go anywhere, like Korba in Chhattisgarh, or Araku in Andhra Pradesh, or Bastar, there is no business in the hands of tribals. They are there in the name of *adivasis* only for the sake of it. When you go to the sub-divisions or big towns and ask for their shops, there is nothing.

18.00 hours

We have to go into the depth. That is why I am recommending it. मैं कुछ दिन पहले डूंगरपुर, राजस्थान गया था, वहां नारा उठा रहे थे कि 100 प्रतिशत जिस डिपार्टमेंट में हो, ट्राइबल को देना होगा। मेरे पास कार्यकर्ता आए और बोले कि आप भी चाहते हैं, आप आदिवासी एमपी हैं। I told him that I do not agree. कैसे हो सकता है। हम आदिवासी, गैर-आदिवासियों को एक साथ रहना है। ठीक है, उसमें आदिवासियों का जो अधिकार है, मेघवाल साहब राजस्थान से आते हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अभी पेसा एक्ट में पांचवी अनुसूची में जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है, ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Chaudhury, you may continue next time.

The House stands adjourned to meet on Monday, the 27th March, 2017 at 11.00 a.m.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 27, 2017/Chaitra 6, 1939 (Saka)
